PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

मई-2019 | अंक-3

मानव तस्करी

21वीं सदी की महामारी

- ऑनर किलिंग का जारी रहना : भारतीय समाज की एक गंभीर समस्या
- संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि और भारत : एक अवलोकन
- हवाई दुर्घटनाओं की बारम्बारता : विमानन उद्योग के लिए बड़ी चुनौती
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स : मशीनों के मध्य वार्तालाप
- जैव-विविधता एवं पारिस्थितिकी प्रणाली का भयावह ह्रास
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी दावेदारी का परीक्षण

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DSC
DHYEYA SCHOOL OF COMPETITIONS
A unit of ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Comprehensive UPPCS Prelims Test Series Programme 2019

[ONLINE MODE]

मुख्य विशेषताएँ

- प्रश्नों की बदलती प्रकृति के अनुसार उत्तर प्रदेश सिविल सेवा प्रतियोगियों को उनके अध्ययन की रणनीति एवं स्रोत को पुनः आकार देने की आवश्यकता है। अतः हमारा प्रयास प्रतियोगियों के दृष्टिकोण को प्रारम्भिक परीक्षा के प्रति विस्तृत करना है।
- टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस की परीक्षा के समरूप होगी।
- टेस्ट सीरीज में प्रतियोगियों को अधिक संख्या में सम्मिलित विद्यार्थियों के कारण उचित प्रतियोगी वातावरण प्राप्त होगा, क्योंकि यह हमारे सभी केन्द्रों पर आयोजित होगी।
- सीसैट पेपर-II के अंक मूल्यांकन में नहीं जोड़े जाते बल्कि केवल इसे उत्तीर्ण करना आवश्यक है। अतः हमने आवश्यकता के अनुरूप 3 सीसैट टेस्ट को सम्पूर्ण सामान्य अध्ययन टेस्ट के साथ कराने की योजना बनायी है।
- कुल 18 टेस्ट (15 सामान्य अध्ययन के एवं 3 सीसैट के) आयोजित करायें जाएंगे।
- प्रत्येक टेस्ट के बाद व्याख्यात्मक उत्तर हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में दिये जायेंगे।

Main Characteristics

- According to changing nature of questions the candidate of UP Civil Services have to reshape their strategy and source. So our efforts to diversify the view of candidates regarding the preliminary examinations.
- Test series will be completely based on UPPCS Pattern.
- Student will get highly competitive environment because the test series will be conducted among a large number of candidates appearing in all our centers.
- Marks obtained in CSAT Paper-II or not added in the evaluation only passing mark are required in this paper. So we have planned to organise 3 tests of CSAT according to the needs with General Studies Tests.
- Total 18 tests will be conducted (15 of General Studies-I and 3 of CSAT)
- After every test explanation of the test paper will be provided in both English and Hindi medium.

कार्यक्रम विवरण

कुल टेस्ट-18 (15-सामान्य अध्ययन, 3-सीसैट)

शुल्क विवरण

ध्येय/डीएससी विद्यार्थी- Rs. 2500/-
अन्य विद्यार्थी- Rs. 4000/-

Program Details

Total Test-18 (15-GS-I, 3-CSAT)

Fee Detail

Dhyeya/DSC Students- Rs. 2500/-
Outsider Students- Rs. 4000/-

How to buy ?

Dhyeyaias.com → Portal Login → Prelims Test → Test Series → UPPCS (Prelims) Test Series-2019

For Any Query — Write to StudentPortal@Dhyeyaias.com

or Call @ 01149274400

For detailed schedule — See the last page

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण
Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

मई-2019 | अंक-3

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन, अवनीश पाण्डेय, शशिधर मिश्रा

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार, बाघेन्द्र प्रताप सिंह

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम, जीवन ज्योति

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार, सचिन कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल, तरून कनौजिया

लेख सहयोग
रजनी तिवारी, मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव, आयुषी जैन,
प्रीति मिश्रा, आदेश, अंकित मिश्रा, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार, राजू यादव, शुभम,
अरूण त्रिपाठी, चंदन

Content Office
DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-18

- मानव तस्करी : 21वीं सदी की महामारी
- ऑनर किलिंग का जारी रहना : भारतीय समाज की एक गंभीर समस्या
- संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि और भारत : एक अवलोकन
- हवाई दुर्घटनाओं की बारम्बारता : विमानन उद्योग के लिए बड़ी चुनौती
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स : मशीनों के मध्य वार्तालाप
- जैव-विविधता एवं पारिस्थितिकी प्रणाली का भयावह ह्रास
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी दावेदारी का परीक्षण

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 19-23

सात महत्वपूर्ण खबरें 24-27

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 28-36

सात महत्वपूर्ण तथ्य 37

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 38-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. मानव तस्करी : 21वीं सदी की महामारी

चर्चा का कारण

हाल ही में महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोके जाने और उनके पुनर्वास के मुद्दे पर दिल्ली में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन्स (UN), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, न्यायिक क्षेत्र से जुड़े सदस्यों और गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों ने भी भागीदारी की। इस सम्मेलन में मानव तस्करी से जुड़े मुद्दे एवं विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के साथ एक ऐसी कॉमन वेबसाइट बनाए जाने की जरूरत महसूस की गई, जहाँ मानव तस्करी से जुड़े हर सवाल का जवाब एक जगह पर मिल सके।

परिचय

नशीली दवाओं और हथियारों के कारोबार के बाद मानव तस्करी विश्व भर में तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को डराकर, बलप्रयोग कर या दोषपूर्ण तरीके से कार्य लेना, यहाँ-वहाँ ले जाना या बंधक बना कर रखना मानव तस्करी की श्रेणी में आती है। दुनिया भर में 80 प्रतिशत से ज्यादा मानव तस्करी यौन शोषण के लिए की जाती है, और बाकी बंधुआ मजदूरी के लिए।

बंधुआ मजदूरी, जबरन विवाह, अंग व्यापार या यौन दासता के लिए महिला, पुरुष व बच्चों को दुनिया भर में बेचा और खरीदा जाता रहा है। गौरतलब है कि भारत में मानव तस्करी के खिलाफ मौजूदा कानून इम्मोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, 1956 (Immoral Traffic Prevention Act, 1956) के तहत सिर्फ यौन शोषण के लिए की गई तस्करी पर कार्रवाई करने का प्रावधान है।

मानव तस्करी की वर्तमान स्थिति

संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध ब्यूरो के अनुसार तस्करी के शिकार लोगों में 51% महिलाएं, 28% बच्चे और 21% पुरुष हैं। सेक्स उद्योग में शोषित 72% महिलाएं हैं। पहचाने गये मानव तस्करी में 63% पुरुष और 37% महिलाएं शामिल हैं। 43% पीड़ित किसी देश की सीमाओं के भीतर ही घरेलू स्तर पर मानव तस्करी का शिकार बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अनुमान के अनुसार दुनिया में जबरन श्रम और मानव तस्करी का उद्योग 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है।

भारत को एशिया में मानव तस्करी का गढ़ माना जाता है। भारत सरकार के आँकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। सन् 2011 में लगभग 35,000 बच्चों की गुमशुदगी दर्ज हुई जिसमें से 11,000 से ज्यादा तो सिर्फ पश्चिम बंगाल से थे। इसके अलावा यह माना जाता है कि कुल मामलों में से केवल 30 प्रतिशत मामले ही प्रकाश में आए जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है।

दक्षिण भारतीय राज्य भी मानव तस्करी के सक्रिय स्रोत हैं। चार दक्षिण भारतीय राज्यों (केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश) में से प्रत्येक में हर साल ऐसे लगभग 300 मामले दर्ज होते हैं जबकि पश्चिम बंगाल और बिहार में हर साल औसतन ऐसे 100 मामले दर्ज होते हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकोर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 में भारत में मानव तस्करी के 8,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसमें 182 विदेशियों सहित कुल 23,000 पीड़ितों को रिहा कराया गया है। एनसीआरबी के आँकड़ों के अनुसार, बचाए गए लोगों में 22,932 लोग भारतीय नागरिक थे, 38 श्रीलंकाई और उतने ही नेपाली थे। रिहा कराए गए लोगों में से 33 बांग्लादेशी और 73 लोग थाईलैंड तथा उजबेकिस्तान सहित अन्य देशों के नागरिक हैं।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोप के कई हिस्सों में तथा भारत सहित कई दक्षिण एशियाई देशों में तस्करी पीड़ितों का पता चला है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हर तीसरा तस्करी पीड़ित एक बच्चा है और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव तस्करी भयावह रूप ले चुका है। पीड़ितों के साथ हो रहे यौन शोषण के साथ ही मानव तस्करी चिंता का विषय है। तस्करी के शिकार हुये लोगों में 30 फीसदी बच्चे शामिल हैं, जिनमें लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कहीं अधिक होती है। इन पीड़ितों को बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका ,भारत और पाकिस्तान समेत अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों से तस्करी कर लाया गया है। नॉर्डिक देशों, नीदरलैंड और ब्रिटेन में भी अफगानिस्तान से तस्करी कर लाये गये कई पीड़ितों का पता लगाया गया है।

मानव तस्करी के कारण

- गरीबी, सामाजिक असमानता, क्षेत्रीय लिंग वरीयता, आर्थिक असंतुलन और भ्रष्टाचार मानव तस्करी के प्रमुख कारण हैं। खासतौर पर वे छोटी लड़कियाँ और युवा महिलाएँ जो ज्यादातर गरीब तथा ग्रामीण क्षेत्रों से होती हैं, उन्हें उनके घरों से लाकर दूरदराज के राज्यों में यौन शोषण और बंधुआ मजदूरी के लिए बेचा जाता है।
- एजेंट इनके माता पिता को पढ़ाई, बेहतर जिंदगी और पैसों का लालच देकर लाते हैं।
- एजेंट इन्हें स्कूल भेजने के बजाय ईंट के भट्टों पर, कारपेंटर, घरेलू नौकर या भीख मांगने का काम करने के लिए बेच देते हैं जबकि लड़कियों को यौन शोषण के लिए बेच दिया जाता है।
- यहाँ तक कि इन लड़कियों को उन क्षेत्रों में शादी के लिए मजबूर किया जाता है जहाँ लड़कियों का लिंग अनुपात लड़कों के मुकाबले बहुत कम है। आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों पर मानव तस्करी का खतरा सबसे ज्यादा है।

- बंधुआ मजदूरी भारत में गैरकानूनी है किन्तु समाज में प्रचलित है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में 11.7 मिलियन से ज्यादा लोग बंधुआ मजदूर के तौर पर कार्य कर रहे हैं।
- पैसों की तंगी झेल रहे लोग, पैसों के बदले में अकसर अपने बच्चों को बेच देते हैं।

मानव तस्करी का समाज पर प्रभाव

- हम आज सूचना क्रांति के उस दौर में हैं, जहां सामाजिक बुराइयों पर खुलकर बातें होने लगी हैं लेकिन, कुछ सामाजिक बुराइयों पर अभी समाज में चर्चा कम होती है। इन्हीं में से एक है- मानव तस्करी (Human Trafficking)।
- यह हमारे देश के लिए ही नहीं, दुनिया भर के लिए एक अभिशाप है।
- मानव तस्करी जैसी अमानवीयता का शिकार वैसे तो लड़के-लड़कियाँ- दोनों ही होते हैं, लेकिन मानव तस्करी का दंश झेलने वाली कच्ची उम्र की बेटियों पर इसका प्रभाव अधिक भयावह होता है।
- मानव तस्करों के चंगुल में फंसकर वे ऐसी गहरी समस्याओं में उलझ जाती हैं, जिनसे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है।
- मानव तस्करी कोई सामान्य अपराध नहीं है। यह, संपूर्ण मानवता के विरुद्ध किया जाने वाला अपराध है। इसमें मानव जीवन का व्यापार होता है।
- मानव तस्कर कमजोर वर्गों को अपना लक्ष्य बनाते हैं, जिनके पास ऐसी स्थिति से निपटने के पर्याप्त साधन नहीं होते।
- ऊपर से देखने पर यह प्रतीत हो सकता है कि इससे केवल एक जिंदगी प्रभावित होती है या फिर एक परिवार प्रभावित होता है लेकिन, हकीकत यह है कि सामाजिक इकाई का सदस्य होने के नाते मानव तस्करी की त्रासदी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हम सबको प्रभावित करती है।
- मानव तस्करी के शिकार लोगों की कई चीजों, जैसे मानसिक विकार, निराशा और चिंता से पीड़ित होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। यौन तस्करी की शिकार महिलाओं के 'एचआईवी' और 'एसटीडी' (Sexually Transmitted Disease) से ग्रसित होने की संभावना भी अधिक रहती है।

बांग्लादेश से भारत में हो रही ट्रैफिकिंग

- बांग्लादेश से पिछले एक दशक में 12 से 30 साल की उम्र के 5 लाख से अधिक लोग अवैध तरीके से भारत आ चुके हैं। करीब 50 हजार बांग्लादेशी लड़कियां मानव तस्करी का शिकार होकर भारत हर साल पहुंच रही हैं। बांग्लादेश से भारत में मानव तस्करी के जरिए लड़कियों के पहुंचने का यह आंकड़ा भयावह है।
- बीएसएफ ने इस बात का खुलासा किया है कि बांग्लादेश से मानव तस्करी का कारोबार भारत में परवान चढ़ रहा है। मानव तस्करी का यह पूरा नेटवर्क अब एक संगठित उद्योग में बदल चुका है। ट्रैफिकिंग का यह पूरा चक्र अब सिर्फ डिमांड और सप्लाई के नियम के आधार पर काम नहीं कर रहा है। दोनों ही देशों के बॉर्डर पार से यह कारोबार अब एक संगठित नेटवर्क और पैनल के द्वारा नियंत्रित हो रहा है।
- ट्रैफिकिंग का यह नेटवर्क भारत के कई राज्यों के कई शहरों में हो रहा है। लड़कियों को बांग्लादेश से अवैध तरीके से लाने के लिए नेटवर्क के काम करने का अपना तरीका है। देश के अलग-अलग हिस्सों से कोलकाता में ट्रैफिकिंग के एजेंटों को सूचना पहुंचाई जाती है, जहां से एक पूरा गिरोह (सिंडिकेट) लड़कियों की सीमा पार से घुसपैठ कराने और फिर उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है।
- आम तौर पर युवा लड़कियों को कोठों, सस्ते होटलों, डांस बार, देह व्यापार, मसाज पार्लर जैसे गुमनाम ठिकानों पर लगाया जाता है।
- इन लड़कियों को अकसर ही भारत में बेहद अमानवीय और दयनीय परिस्थितियों में अपना जीवन बिताना पड़ता है। कुछ लड़कियों को घरेलू कामों के लिए अलग-अलग रोजगार एजेंसियों में लगाया जाता है तो कुछ की तो जबरन शादी तक करवा दी जाती है। महिलाओं का प्रयोग सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड मजदूरों के तौर पर भी देश के कई हिस्सों में किया जाता है।
- बीएसएफ की रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादातर लड़कियां बॉर्डर से सटे गांव; जैसे- जेसोर, सतखीरा, गोजाडांगा, हकीमपुर से ही आती हैं। दलालों के द्वारा आम तौर पर इसी रास्ते का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है क्योंकि वहाँ से भारत पहुंचना काफी आसान है।
- बीएसएफ के अनुसार बांग्लादेश के बॉर्डर सुरक्षा जवानों को ऐसे लड़कियों को अवैध ढंग से सीमा पार करने के लिए अमूमन 200 से 400 टका (बांग्लादेशी मुद्रा) दिए जाते हैं।

चुनौतियाँ

- कोई भी अपराध बिना गठजोड़ या संरक्षण मिले, इतने बड़े स्तर पर नहीं पनप सकता। तस्करों, पुलिस और नेताओं की यह गठजोड़ मानव तस्करी को और भी ज्यादा संगठित और व्यवस्थित तरीके से फलने-फूलने में मदद करती है।
- हमारे देश में हर तरह के केसों को निपटाने की कानूनी प्रक्रिया बेहद धीमी है। तस्करी में लगे गिरोहों का अकसर ही बड़ा नेटवर्क होता है जिसमें कुछ प्रभावशाली लोग भी जरूर होते हैं। उन रसूखदार लोगों के कारण ही तस्करी में लगे लोगों के पकड़े जाने के बावजूद भी सजा नहीं हो पाती।
- देश में एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच सामंजस्य का अभाव भी मानव तस्करी रोकथाम मे एक बड़ी चुनौती है।
- मानव तस्करी के संबंध में कानून तो बने हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नही हो पाता। इसके साथ ही अवैध कारोबारियों के लिए यह एक बहुत बड़ा बाजार है जिससे कि इसका समाधान इतना आसान नहीं है।
- एक देश से दूसरे देश के बीच उचित तालमेल व स्पष्ट नीति न होने के कारण भी तस्करी का जाल बिछा हुआ है अर्थात् सीमापार हो रहे अवैध गतिविधि को न रोक पाना एक बड़ी चुनौती है।
- समाज में जागरूकता व शिक्षा का अभाव भी मानव तस्करी को बढ़ाने में मददगार है।

सरकारी प्रयास

मानव तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किये गये हैं-

- भारत में मानव तस्करी मुख्यतया भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत एक अपराध है। इसके अतिरिक्त ऐसे कानून भी हैं जो विशिष्ट कारणों से की गई तस्करी को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए यौन उत्पीड़न के लिए मानव तस्करी के संबंध में अनैतिक तस्करी (निवारण) एक्ट, 1986 है। इसी प्रकार बंधुआ मजदूरी रेगुलेशन एक्ट

1986 और बाल श्रम रेगुलेशन एक्ट, 1986 आदि कानून हैं, जो मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी को रोकते हैं। इनमें से प्रत्येक कानून स्वतंत्र तरीके से काम करता है, उनकी अपनी प्रवर्तन प्रणाली है और ये कानून मानव तस्करी से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करते हैं।

- 2011 में भारत ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, 2000 तथा मानव तस्करी के निवारण, उसके शमन एवं दंड से संबंधित प्रोटोकॉल को मंजूरी दी थी।
- 2015 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री ने एक कमेटी का गठन किया ताकि मानव तस्करी पर व्यापक कानून बनाने की व्यावहारिकता की जांच की जा सके।
- गौरतलब है कि 18 जुलाई, 2018 को महिला एवं बाल विकास मंत्री ने मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) बिल, 2018 को लोकसभा में पेश किया। 23 जुलाई, 2018 को लोक सभा ने मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) बिल, 2018 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। यह बिल तस्करी के शिकार लोगों के निवारण, बचाव और पुनर्वास का प्रावधान करता है।
- इस बिल में तस्करी के मामलों की जांच और विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय तस्करी रोधी ब्यूरो की स्थापना का प्रावधान है।
- राष्ट्रीय तस्करी ब्यूरो मानव तस्करी से संबंधित ऐसे मामलों की जांच कर सकता है जिसे दो या दो से अधिक राज्यों द्वारा जांच हेतु ब्यूरो को सौंपा गया हो।
- बिल के अंतर्गत प्रत्येक जिले में ऐसी अदालतों के गठन की व्यवस्था की गई है जिनके द्वारा 1 वर्ष में सुनवाई को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
- भारत सरकार चार 'पी' मॉडल प्रॉसीक्यूशन (अभियोजन), प्रोटेक्शन (सुरक्षा), प्रिवेंशन (रोकथाम) और पार्टनर्शिप (भागीदारी) के जरिये मानव तस्करी से लड़ने की योजना पर कार्य कर रही है।
- केन्द्र सरकार ने संस्थागत ढाँचा तैयार किया है, जिसे राज्यों ने लागू किया है, जिसमें मानव तस्करी विरोधी इकाईयां और पीड़ितों की पुर्नवास की योजनाएं शामिल हैं।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 23(1) में मानव तस्करी को प्रतिबंधित किया गया है तथा इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसके साथ ही किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक दिये बिना काम करने के लिए मजबूर करना भी प्रतिबंधित किया गया है।
- बाल विकास मंत्रालय ने Trackthemissing chield.gov.in नामक एक वेबसाइट बनाया है जिसमें मानव तस्करी से संबंधित जानकारी हासिल की जा सकती है।
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के तहत मानव तस्करी से निपटने के लिए कानूनी उपायों को मजबूती प्रदान की गई है।
- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370 व्यापक तौर पर मानव तस्करी को रोकती है; साथ ही यह मानव अंगों के व्यापार, यौन शोषण, बच्चों की तस्करी किये जाने के मामलों में कठोर दण्ड का प्रावधान करती है।

आगे की राह

- मानव तस्करी भारत ही नही बल्कि वैश्विक स्तर पर कायम है अत: इसका निवारण करना अति आवश्यक है। इसके लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि मानव तस्करी पर रोक लगाई जा सके।
- सरकार को मानव तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न नीतियाँ और सख्त कानून बनाना चाहिए।
- तस्करी के शिकार लोगों को छुड़ाने और अपराधों की जांच के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न प्राधिकरण/ नियामकों की स्थापना की जानी चाहिए।
- जिला एवं ग्रामीण स्तर पर एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए ताकि मानव तस्कर गिरोह एवं एजेंटो को गिरफ्तार किया जा सके।
- पीड़ितों के लिए भोजन, शरण और मेडिकल सुविधाएं प्रदान करना चाहिए, साथ ही केन्द्र या राज्य सरकार प्रत्येक जिले में पुनर्वास गृह भी बनाए ताकि लंबे समय के लिए पीड़ितों का पुनर्वास किया जा सके। साथ ही लोगों को उनके इलाके में अच्छी शिक्षा, कल्याणकारी योजना और बेहतर सुविधाओं का लाभ देने की आवश्यकता है।
- पुलिस एवं अन्य संबंधित अधिकारी एक साथ मिलकर कार्य करें एवं आपस में सूचनाओं का आदान-प्रदान करें जिसका उपयोग मानव तस्करों पर लगाम कसने के लिए किया जा सके।
- मानव तस्करी से निपटने के लिए सरकार के साथ-साथ समाज को भी आगे आना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

2. ऑनर किलिंग का जारी रहना : भारतीय समाज की एक गंभीर समस्या

चर्चा का कारण

हाल ही में राजस्थान के कानौर हैड में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। स्थानीय पुलिस द्वारा युवक एवं युवती का शव भोजूवाला माइनर से बरामद हुआ। इस प्रकार की घटना ने एक बार फिर ऑनर किलिंग शब्द को चर्चा में ला दिया है।

ऑनर किलिंग क्या है?

ऑनर किलिंग जिसे सम्मान हत्या भी कहा जाता है। इसे भारत में अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके तहत जब एक परिवार के किसी सदस्य की अपने परिवार अथवा समाज के किसी व्यक्ति द्वारा सम्मान को नष्ट करने या परंपरा को तोड़ने के अपराध में हत्या कर दी जाए तो इसे ऑनर किलिंग कहा जाता है। ऑनर किलिंग विकृत सामाजिक मानसिकता को बढ़ावा देती है जो सामाजिक न्याय के विरुद्ध है।

पृष्ठभूमि

ऑनर किलिंग जैसे अपराध केवल आधुनिक समाज

में ही नहीं देखे जा रहे बल्कि ये प्राचीन समाज में भी थे। वस्तुत: इसे प्राचीन रोमन साम्राज्य से जोड़कर देखा जाना चाहिए, जब 'पीटर परिवार' को अपने घर की महिला को यौन रूप से सक्रिय पाए जाने के अपराध में उसे मारने की अनुमति दी गई थी। मध्यकालीन युग में विश्व के सभी देशों में लगभग समाज का स्वरूप पितृतंत्रात्मक ही था, जहाँ पुरुष की मानसिकता समाज पर हावी थी। अधिकतर समाज में महिला को अपने आत्मसम्मान के रूप में जोड़कर देखा जाता था। इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे- ब्रिटेन में हेनरी-VII ने अपनी पत्नी को व्यभिचार के आरोप में मार दिया था।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 'सम्मान हत्या' के स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन देखा गया। अब केवल महिला ही नहीं बल्कि पुरुष भी इस प्रकार के जघन्य अपराध के शिकार हो रहे हैं। भारत में विशेषकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की हत्या देखी जाती है। यूँ तो भारत एक बहुल सांस्कृतिक देश है जहाँ विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय एवं परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं साथ ही भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में आदर्श संस्कृति के रूप में माना जाता है। इसके अलावा भारतीय परपंरा में स्त्री को देवी के रूप में देखा जाता है, परन्तु यहां पर भी 'सम्मान हत्या' से संबंधित मामले देखे जाते हैं।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में वैदिक युग में महिलाओं को काफी उच्च स्थान प्राप्त था। वे राजनैतिक रूप से सक्रिय थीं और समाज में बराबर की भागीदार थीं, परन्तु बाद के समाज में उनकी स्थिति में गिरावट आई जैसे कि मनु द्वारा स्त्रियों के संदर्भ में उपाय सुझाए गए। मनु द्वारा स्त्रियों को वश मे रखने व उनके प्रति व्यवहार करने के लिये भी कई बातें बतलाई गईं। मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारियों के बढ़ते अत्याचार के कारण लोग अपने घर की महिलाओं की हत्या कर देते थे। आधुनिक समय में खाप पंचायत द्वारा लिये गए निर्णय भी इस तरह की हत्या को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

भारत में ऑनर किलिंग के कारण

- ऑनर किलिंग का कारण पितृतंत्रात्मक समाज की सोच और दृष्टिकोण है। प्राय: देखा जाता है कि महिला द्वारा वैवाहिक संबंध को अस्वीकार करने पर वह परिवार के सम्मान का विषय बन जाता है क्योंकि उसे पिता अथवा अपने परिजनों की बात काटने का अधिकार नहीं दिया गया है।
- परम्परागत रूप से पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को पुरुषों से निम्न स्थिति प्रदान की गई है। ऐसे में लिंग आधारित भेदभाव के कारण भ्रूण हत्या जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। यदि महिला किसी कन्या को जन्म देती है तो उसे अपशकुन मान लिया जाता है। वह कन्या उस परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करती जिससे उस परिवार के सम्मान में भी कोई वृद्धि नहीं होती, अतएव इस कारण महिला को हेय दृष्टि से देखा जाता है, जो इस तरह के अपराध का कारण है।
- इस तरह के अपराध का एक अन्य कारण शिक्षा की कमी है जिसके कारण कई तरह की व्यावहारिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। शिक्षा के अभाव में परिवार के अंदर पर्याप्त समझ विकसित नहीं हो पाती। कभी-कभी परिवार द्वारा महिलाओं पर अनावश्यक अफवाहों के कारण संदेह किया जाता है। प्राय: वे प्रचलित रूढ़ियों को अपने परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न मान लेते हैं।
- समाज में महिलाओं के व्यभिचार को हीन दृष्टि से देखा जाता है। व्यभिचार से तात्पर्य किसी महिला को विवाहेत्तर अपनी स्वेच्छा से संबंध बनाना है। शादी के उपरान्त पुरुषों द्वारा महिलाओं पर नियंत्रण रखा जाता है। ऐसे में यदि इस प्रकार का दोष महिलाओं में पाया जाता है तो इस घटना को अपनी प्रतिष्ठा हानि मानकर उसकी हत्या कर दी जाती है।
- जाति व्यवस्था भारतीय समाज की सामान्य बुनियादी विशेषता रही है। हिन्दू समाज में विभिन्न प्रकार की जातियाँ एवं उपजातियाँ विद्यमान हैं। इस तरह से समाज में जातिगत बन्धन बहुत ही कठोरता से लागू किये गए हैं। विवाह संबंध का अपनी जाति में ही होना या फिर सांस्कृतिक उत्सवों में विभिन्न जातियों को उनकी श्रेणी के अनुसार सम्मान देना प्राय: देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति एवं धर्म से इतर विवाह अथवा प्रेम करता है तो उसे दोषी मान लिया जाता है और ऑनर किलिंग जैसे अपराध घटित हो जाते हैं।
- गोत्र के भीतर विवाह को भी इस समस्या का कारण माना जाता है। हिन्दू विवाह कानून के अनुसार कोई व्यक्ति अपने गोत्र अथवा सपिण्ड में विवाह नहीं कर सकता क्योंकि उनसे भाई-बहन के संबंध होते हैं, अतएव इन संबंधों का निर्वहन करना अनिवार्य है अन्यथा इसे प्रतिष्ठा की हानि के रूप में देखा जाता है।
- यदि कोई महिला जिसके साथ जबरन बलात्कार किया गया है तो वह बरबस ही सामाजिक निन्दा का शिकार होती है उसे विवाह करने एवं सम्मानजनक जीवन जीने में काफी समस्या उठानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में उस स्त्री को ही परिवार के लोग दोषी ठहराते हैं। इन स्थितियों में अपने सम्मान को बचाने के लिये कई बार स्त्री की हत्या कर दी जाती है या तो वह स्वयं आत्महत्या कर लेती है।
- विवाह पूर्व किसी स्त्री का गर्भधारण करना नैतिक रूप से असंगत माना जाता है। इसे कुत्सित कृत्य के रूप में देखा जाता है साथ ही यह परिवार के सम्मान से जोड़कर भी देखा जाता है।
- यदि परिवार में कोई पत्नी अपने वैवाहिक जीवन में सुखी नहीं है और वह संबंध विच्छेद करना चाहती है तो उस पर प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं। सामान्यत: ऐसा देखा गया है कि किसी स्त्री की निष्ठा जीवन-पर्यन्त अपने जीवनसाथी में बनी रहनी चाहिए। कई समुदायों में इसे उसके कर्त्तव्य के रूप में देखा जाता है। सामाजिक रूप से इन घटनाओं से पुरुष के आत्मसम्मान को ठेस भी पहुँचती है। यह भी ऑनर किलिंग का एक मुख्य कारण है।
- समलैंगिक संबंधों को भी विश्व के कई देशों में उचित नहीं माना जाता है। हालाँकि भारत में इसे कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया गया, परन्तु व्यावहारिक स्तर पर इसे स्वीकार नहीं किया गया है। समलैंगिक संबंध को समाज के कई तबकों द्वारा अप्राकृतिक संबंध माना जाता है और वे इसे सामाजिक कलंक के रूप में देखते हैं। इस प्रकार के केस में पुरुष अथवा महिला की हत्या उनके ही परिवार अथवा स्वजनों द्वारा कर दी जाती है।
- ऑनर किलिंग का एक कारण समाज पर पड़ रहा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है। परिवार में आंतरिक कलह के कारण या फिर परिवार का कोई सदस्य सामाजिक मांगों के अनुरूप नहीं होता तो ऐसी स्थिति में अन्य सदस्य स्वयं की प्रतिष्ठा को बचाने हेतु इस प्रकार के अपराध करते हैं।

ऑनर किलिंग को रोकने में चुनौतियाँ

- इस तरह के अपराध प्राय: गोपनीय रूप से किये जाते हैं। अत: इसके संबंध में आँकड़ों की पर्याप्त कमी पाई जाती है।

- स्थानीय पुलिस के सामने इस तरह के अपराध को वर्गीकृत करने मे समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। सामूहिक आधार पर इस तरह के अपराध को घरेलू हिंसा के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है।
- स्थानीय प्रशासन पर विश्वसनीयता की कमी के कारण महिला स्वयं के साथ हुए अपराध की सूचना नहीं दे पाती।
- 'सम्मान के लिये हत्या' को रोकने के लिये लोगों में प्राय: शिक्षा का अभाव देखा जाता है साथ ही लोग रूढ़ियों व सामाजिक बंधनों में जकड़े रहते हैं।
- लैंगिक असमानता समाज में व्यावहारिक स्तर पर कट्टर वैचारिकता को जन्म देती है। इसी के फलस्वरूप ऐसी घटनाएँ प्रकाश में आती हैं।

भारत में कानूनी प्रावधान

- भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत दिया गया है।
- अनुच्छेद 15 के तहत भारतीय संविधान में राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतन्त्रता अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, ताकि सभी व्यक्ति को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले। उसे सामाजिक प्रतिष्ठा अथवा पिछड़ेपन या अन्य किसी कारण से होने वाले अपराध से संरक्षण दिया जा सके।
- संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत वे अपना जीवन स्वतंत्रता से जी सकते हैं, जिसके तहत किसी को परंपरा, कानून अथवा अन्य किसी अनुचित आधार पर बाधित नहीं किया जा सकता।
- "मानव अधिकार अधिनियम 2006" के तहत किसी मानव की गरिमा को हानि पहुँचाना भी अपराध की श्रेणी में आता है।
- "घरेलू हिंसा अधिनियम 2005" के तहत किसी महिला को मानसिक रूप से अथवा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो महिला को इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून जो भारत में मान्य हैं

भारत केवल अपने नागरिकों की ही नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति को ऑनर किलिंग जैसे अपराध के प्रति न्याय दिलवाने हेतु कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कानून को मान्यता प्रदान करता है। भारत 'मानवाधिकारों के प्रति सार्वभौमिक घोषणा 1948' को अपने यहाँ लागू करता है।

'मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा 1948: अनुच्छेद 1 व 2- सभी मानव जन्म से स्वतंत्र हैं और सभी को समान सम्मान का अधिकार है। अनुच्छेद 3- प्रत्येक मानव को अपने जीवन में स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधि कार है। अनुच्छेद 5- सभी मानव को क्रूरता या अपमानजनक व्यवहार से मुक्त होने का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 28 मार्च, 2018 को शक्तिवाहिनी बनाम भारत संघ मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया जिसके तहत सम्मान आधारित हिंसा को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस निर्णय में खाप पंचायत को गैर-कानूनी घोषित किया गया। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दो वयस्क अगर शादी करते हैं तो कोई तीसरा उसमें दखल नहीं दे सकता है। इसके अलावा न्यायालय ने हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 5 में एक ही गोत्र में शादी न करने को उचित ठहराया है।
- एक अन्य केस कृष्णा मास्टर और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में भी ऑनर किलिंग के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
- एक अन्य केस लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अशोक ब्रम्हानन्द मार्कण्डेय काटजू ने अंतर्जातीय विवाह से संबंधित ऑनर किलिंग के मुद्दे पर अपना निर्णय देते हुए कहा कि 'यदि कोई पुरुष या स्त्री अपनी जाति से बाहर विवाह करता है तो उसके खिलाफ किसी तरह की हिंसा या जबरन चोट पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो यह इसे 'गैर कानूनी घोषित किया जाएगा' कोर्ट ने यह भी कहा कि अर्न्तजातीय विवाह राष्ट्र के हित में है।

ऑनर किलिंग का प्रभाव

- परिवार द्वारा अथवा किसी भी सामाजिक व्यक्ति द्वारा सम्मान के नाम पर की गई हत्या समाज में अपराध को बढ़ावा देती है।
- खाप पंचायत द्वारा दिये गए निर्णय जो कि 'ऑनर किलिंग' के नाम पर अत्याचार को प्रोत्साहित करते हैं इनके प्रभाव के बढ़ने से सामाजिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है।
- 'ऑनर किलिंग' के मामले महिलाओं की स्वयात्तता को प्रभावित करते हैं, जिससे घरेलू हिंसा, बलात्कार आदि विभिन्न तरह की समस्या उत्पन्न होती है।
- ऑनर किलिंग जैसी घटना प्रेम, करूणा और सहनशीलता जैसे गुणों के अभाव को और बढ़ाने का कार्य करता है।
- ऑनर किलिंग के मामले जातिगत कट्टरता को बढ़ावा देंगे जिससे समाज के एक वर्ग का प्रभुत्व एवं अन्य का शोषण होगा जो लोगों में वैमनस्य एवं असंतुष्टि को भी बढ़ावा देंगे।
- इस तरह के अपराध देश में सामाजिक

अराजकता को बढ़ावा देते हैं क्योंकि इससे एक-दूसरे की संस्कृति को सम्मान प्रदान करने की भावना समाप्त होगी।

- समाज में नस्लीय एवं रंग भेद जैसे अपराध को बढ़ावा मिल सकता है।
- ऑनर किलिंग राष्ट्रीय एकता एवं आपसी सहयोग की धारणा को बढ़ावा देने के लिए एक बाधक है।

आगे की राह

- ऑनर किलिंग जैसे अपराध को बर्बर अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा के प्रति किया गया अन्याय है।
- इस तरह के अपराध के निरीक्षण हेतु ठोस प्रयास किये जाने चाहिए। 21वीं शताब्दी के आधुनिक युग में परंपरागत कारणों से किये गए अपराध के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के अपराध के लिये बनाये गऐ नियम का सरकारों द्वारा कठोरता से पालन करवाना चाहिए।
- ऐसे कानून जिनकी कमी के कारण अपराध को बढ़ावा मिल रहा है, उनकी समीक्षा कर उन पर नए कानूनों को बनाना आवश्यक है।
- इस तरह के अपराध करने वाले कानूनी रूप से बच जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति युक्तिसंगत कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा मीडिया को समाज को जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- सामाजिक सशक्तीकरण, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्म-निरपेक्षता।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

3. संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि और भारत : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका अब संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि (United Nation Arms Trade Treaty) से बाहर होगा। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार हथियार व्यापार संधि अमेरिका के आंतरिक कानूनों में दखल देती है। इसके अलावा यह संधि सेकेंड अमेंडमेंट बिल (Second Amendment Bill) में मिले अधिकारों का भी हनन करती है। ज्ञातव्य है कि अमेरिका में सेकेंड अमेंडमेंट बिल के तहत प्रत्येक नागरिक को हथियार रखने का अधिकार मिला हुआ है।

परिचय

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ये लगने लगा था कि दुनिया में हथियारों की होड़ और गैर कानूनी व्यापार पर रोक लग जाएगी, लेकिन ये अनुमान समय के साथ गलत साबित हुआ। पूरी दुनिया में गैर कानूनी तरीकों से हथियारों की बिक्री खूब बढ़ी और फिलहाल हथियारों पर शीत युद्ध के समय के मुकाबले ज्यादा खर्च किये जा रहे हैं। आतंकी संगठनों से लेकर अपराधियों तक हथियारों को आसानी से पहुँचाने में गैर कानूनी व्यापार की अहम भूमिका रही है। इस कारोबार में दुनिया के कई देश भी शामिल हैं। हथियारों के इस गैर कानूनी व्यापार ने गृह युद्ध की स्थिति झेल रहे देशों के हालातों को और बदतर बना दिया है।

शस्त्र व्यापार संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी?

दुनिया भर में लगभग 12 मिलियन बंदूक की गोलियाँ हर साल तैयार होती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में इतने हथियार हैं कि समूची दुनिया को दो बार खत्म किया जा सकता है। यह हथियार युद्ध के मैदान से लेकर आतंकवादियों के हाथों का खिलौना बन रहे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद हथियारों का ये गैर कानूनी बाजार लगातार फल-फूल रहा है। इस गैर कानूनी गतिविधियों में न केवल दुनिया भर के आतंकी और अलगाववादी संगठन शामिल रहे हैं बल्कि कई देशों के नाम भी इसमें उजागर हुए हैं। हथियारों की इस गैर कानूनी व्यापार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए वर्ष 2003 में नोबल शांति पुरस्कार विजेताओं के एक समूह ने संयुक्त राष्ट्र संघ से इसके लिए एक नियंत्रित प्रणाली गठित करने की मांग की थी। संयुक्त राष्ट्र ने इनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2006 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें एक शस्त्र व्यापार संधि स्थापित करने की बात कही गई। इन प्रयासों के बाद 2 अप्रैल, 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा तीन चौथाई से अधिक बहुमत से अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार संधि को स्वीकार किया गया। इसके बाद 3 जून, 2013 से इस संधि पर सदस्य देशों के हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया शुरू हुई और 61 देशों के हस्ताक्षर और अनुमोदन के बाद 24 दिसंबर, 2014 से यह संधि प्रभावी हो गई। वर्तमान में 130 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

जब इस संधि को अपनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान हुआ तब 154 सदस्य देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया जबकि तीन देश- ईरान, सीरिया और उत्तर कोरिया ने इसके विरोध में मतदान किया था। भारत समेत 23 देशों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया था। मतदान में भाग नहीं लेने वालों में अमेरिका, रूस और चीन भी शामिल थे, हालाँकि बाद में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस संधि पर हस्ताक्षर किये, किन्तु अमेरिकी सीनेट द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी।

अमेरिका समेत लैटिन अमेरिका के लगभग सभी देश, यूरोपीय संघ, अफ्रीका के कई देश, पाकिस्तान, मध्य-पूर्व के देश, मंगोलिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ अन्य देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किये हुए हैं। वहीं भारत, चीन, रूस, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार संधि के प्रमुख प्रावधान

अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार संधि के महत्वपूर्ण प्रावधानों को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- यह संधि पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

- संधि का उद्देश्य संघर्ष वाले क्षेत्रों में हथियारों के प्रवाह पर लगाम लगाना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, समुद्री डाकुओं, गिरोहों व अपराधियों के हाथों में घातक हथियारों के पहुँच को रोकना है।
- इस संधि के तहत छोटे हथियारों से लेकर युद्धक टैंक, लड़ाकू विमानों, मिसाइल और युद्ध पोतों के व्यापार के लिए नियम बनाने का भी प्रावधान है। इस संधि के तहत सदस्य देशों पर प्रतिबंध है कि वह ऐसे देशों को हथियार ना दें जो नरसंहार, मानवता के प्रति अपराध या आतंकवाद में शामिल होते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के नि:शस्त्रीकरण मामलों के अनुसार यह संधि सदस्य देशों के हितों के खिलाफ कोई भी आवश्यक प्रतिबंध नहीं लगाएगी। उदाहरण के लिए घरेलू हथियारों के व्यापार या सदस्य देशों में शस्त्र रखने के अधिकारों में यह संधि कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके साथ ही यह संप्रभु देशों को प्राप्त आत्मरक्षा के वैधानिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके अलावा यह संधि सदस्य देशों में पहले से ही स्थापित राष्ट्रीय शस्त्र विनियमन मानकों को कमजोर नहीं बनाएगी।

शस्त्र व्यापार संधि का उद्देश्य

- शस्त्र व्यापार संधि का मुख्य उद्देश्य हथियारों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना है।
- आर्म्स ट्रेड ट्रीटी (ATT) का मकसद पारंपरिक हथियारों के अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार को नियंत्रित किया जाना है।
- इसके तहत देशों को हथियारों के निर्यात पर नजर रखनी होती है और ये सुनिश्चित करना होता है कि हथियारों को लेकर बने नियम और पाबंदियों का उल्लंघन नहीं हो।
- साथ ही इनसे आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिले और न ही मानवाधिकारों का उल्लंघन हो।
- इसके लिए यह संधि यह भी सुनिश्चित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा बनी रहे।

एटीटी क्या नहीं करती है?

- यह संधि शस्त्र नि:शस्त्रीकरण को बढ़ावा नहीं देती है और न ही यह शस्त्रों की कमी करने के उपायों को सुझाती है।
- इसके अलावा यह संधि हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी प्रतिबंधित नहीं करती है।
- इस संधि का किसी भी देश के आतंरिक हिस्से में शस्त्र व्यापार को लेकर नियंत्रण नहीं है।
- हथियारों की घरेलू बिक्री के संबंध में नियम, सीमाएँ या दायित्व जैसे मुद्दे इस संधि में नदारद हैं।

अमेरिका के कदम से वैश्विक जगत पर प्रभाव

मानवाधिकार समूहों व कई देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम की आलोचना की है और कहा है कि इस कदम से घातक हथियारों से लोगों को बचाने की प्रतिबद्धता पर सवाल उठेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए 2020 में चुनाव होना है, इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि वे दोबारा राष्ट्रपति चुने जाएँ। इसी बात को ध्यान रखते हुए ट्रंप किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन (NRA) को नाराज नहीं करना चाहते हैं। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन शस्त्र व्यापार संधि का लम्बे समय से विरोध कर रहा था।

चीन का मानना है कि पारंपरिक हथियारों के कारोबार को नियंत्रित करने की दिशा में इस करार की सकारात्मक भूमिका है। ऐसे में अमेरिका के इस संधि से हटने में विश्वव्यापी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही जहाँ विशेष रूप से यमन व सीरिया गृह युद्ध में उलझे हैं, वहाँ की स्थिति और खराब होगी। यमन में गृह संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय हथियारों की बिक्री के नैतिक मुद्दों को प्रकाश में ला दिया है।

विश्लेषकों का मानना है कि हथियारों की बिक्री मानव अधिकारों के उल्लंघन में योगदान करती है। ऐसे में अगर अमेरिका की ही तरह अन्य विकसित देश इस संधि से अलग होते हैं तो यह माना जा सकता है कि उन देशों के लिए हथियार व्यापार ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, बजाय मानव कल्याण के।

अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार संधि और भारत

अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार संधि में भारत शामिल नहीं है। इसके पीछे भारत के अपने ठोस तर्क हैं। भारत का मानना है कि हथियारों के आयातक और निर्यातक के प्रति बराबरी का नजरिया होना चाहिए। इसके अलावा देश की सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने वाले आयातक देशों की तुलना, आतंकवाद को पोषण देने वाले आयातक देशों से नहीं होनी चाहिए। भारत का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि में इस मूल भावना की कमी है, जिसकी वजह से वह इससे दूरी बनाये रखे है। हालाँकि यह भी सच है कि भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बन चुका है। हथियारों के बाजार में भारत की भागीदारी व एटीटी (ATT) के प्रति भारत के रुख को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है–

- भारत का मानना है कि इस तरह की संधि का उद्देश्य हथियारों के गलत इस्तेमाल और तस्करी को रोकना होना चाहिए। एटीटी का फायदा पूरी दुनिया को तब होगा जब आतंकवादियों के हाथों घातक हथियार न पहुँचने पाये।
- भारत का कहना है कि कई ऐसे अनाधिकृत लोग हैं जो बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद करते हैं। इसके अलावा वे देश जो नॉन स्टेट एक्टर्स (Non State Actors) के हाथों में हैं, यानी वो सत्ता में नहीं हैं पर अपरोक्ष रूप से सरकार चला रहे हैं, उन्हें भी आधुनिक या खतरनाक हथियार नहीं बेचे जाने चाहिए।
- 2013 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार संधि के प्रस्ताव को कमजोर एवं एकतरफा बताया और संधि में शामिल नहीं हुआ।
- भारत के अनुसार संधि के प्रस्ताव में संतुलन नहीं है। इसके अलावा हथियार निर्यातक देशों और आयातक देशों की एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो इस संधि में नहीं है।
- भारत ने कहा है कि संधि के मसौदे में आतंकवादियों और नॉन स्टेट एक्टर्स पर नियंत्रण के लिए कोई कड़े नियम नहीं हैं। साथ ही ऐसे लोगों के हाथ में घातक हथियार न पहुँचे, इसके लिए कोई खास प्रतिबंध का प्रस्ताव भी इस संधि में नहीं किया गया है।
- भारत को इस बात पर भी आपत्ति थी कि एटीटी का गलत इस्तेमाल कर हथियार बेचने वाला देश खरीदारी करने वाले देश के साथ एक तरफा रवैया अपना सकता है।
- भारत ने संधि में शामिल होने से मना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाना हमारा अधिकार है और भारत अपनी रक्षा सौदों के मामलों में अनुशासन का पालन करता है।

हथियारों के आयात में भारत की स्थिति

- हथियारों के संबंध में 2018 में ग्लोबल थिंक टैंक एस्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई,

जिसके अनुसार वर्तमान में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के कुल शस्त्र आयात में भारत की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत है जो सभी देशों से सर्वाधिक है।

- कुछ वर्षों पहले तक भारत से आगे सऊदी अरब था जो अब दूसरे स्थान पर है। सऊदी अरब के अलावा शीर्ष हथियार आयातक देशों में मिस्र, चीन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, इराक, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देश हैं। रूस, अमेरिका, इजरायल और अन्य देशों से आयात किये गये हथियारों में भारत की वर्ष 2008 से 2012 और फिर 2013 से 2017 के बीच 24 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
- खास बात यह है कि 2013 से 2017 के बीच भारत ने करीब 62 फीसदी हथियार रूस से लिए हैं। इसके बाद भारत ने अमेरिका से 15 फीसदी और इजरायल से 11 फीसदी हथियार खरीदे हैं।
- पिछले एक दशक में हथियारों के मामले में भारत की भागीदारी देखें तो 2007 से 2011 और 2012 से 2016 के बीच भारत का शस्त्र आयात 43 प्रतिशत तक बढ़ गया और पिछले चार वर्षों में उसकी वैश्विक खरीद उसकी क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों यथा- चीन, पाकिस्तान से कहीं अधिक है।
- 2009 से 2013 के बीच भारत के कुल आयात में रूस से आयातित हथियारों का हिस्सा 76 फीसदी था जो 2014 से 2018 में घटकर 58 फीसदी रह गया। भारत द्वारा रूस से 2009 से 2013 के मुकाबले 2014 से 2018 में देश में हथियारों का कुल आयात 24 प्रतिशत घटा है।
- वित्त वर्ष 2014 से 2018 में अमेरिका, फ्रांस और इजरायल से भारत को हथियारों का निर्यात बढ़ा है।

भारत ने अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, चीन के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव की वजह से अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया है। चीन और पाकिस्तान की मित्रता एवं देश में आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर अपनी रक्षा प्रणाली और सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियार खरीदना भारत की मजबूरी है। हालाँकि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश होने के बावजूद भी भारत अपनी जिम्मेदारियों को भली-भाँति निभाना जानता है।

आगे की राह

अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार संधि को पूरी तरह से निष्पक्षता से लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करना होगा, साथ ही गैर सदस्य देशों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए उन्हें भी इस संधि का हिस्सा बनाना होगा। हालाँकि इसका एक चिंतनीय पहलू यह है कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा शस्त्रों का व्यापार करता है। ऐसे में उसका इस संधि से अलग होना कई तरह की आशंकाओं को जन्म देगा। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र का यह प्रयास होना चाहिए कि शस्त्र व्यापार के मामले में जिम्मेदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता स्थापित किये जाएँ। इस संधि से जुड़े देशों की नैतिक व कानूनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे हथियारों और युद्धक सामग्री के निर्यात व आयात में सर्वोच्च मानकों का पालन करें। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यह संधि मानवाधिकार उल्लंघनों पर रोक लगाने और लोगों के सुरक्षित जीवन के लिए यह सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय मानकों की स्थापना करती है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।
- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

■

4. हवाई दुर्घटनाओं की बारम्बारता : विमानन उद्योग के लिए बड़ी चुनौती

चर्चा का कारण

हाल ही में रूस की राजधानी मॉस्को में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान सुखोई सुपरजेट-100 यात्री विमान में आग लग गई, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई। गौरतलब है कि हादसे का शिकार हुए सुखोई यात्री विमान ने मॉस्को एयरपोर्ट से उत्तरी रूस के मरमांस्क शहर के लिए उड़ान भरी थी। इसमें 73 यात्री और 5 क्रू मेंबर सवार थे।

परिचय

विमान दुर्घटना हालाँकि विरल होती हैं, जहाँ तबाही के कारण प्रभावित लोगों के लिए बचने के बहुत कम मौके होते हैं। विमान दुर्घटनाएँ विशेषकर आपदायी होती हैं क्योंकि विमान सैकड़ों यात्री के साथ भारी मात्रा में ईंधन भी ले जाता है। यह देखा गया है कि अधिकांश घटनाएँ विमान के ऊपर उड़ने और नीचे भूमि पर उतरने के दौरान होती हैं। यह दुर्घटना उस समय भी होती है जब विमान चालक अप्रत्याशित और अचानक से उत्पन्न परिस्थितियों में विमान पर आंशिक अथवा पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठता है। यह उसके विमान और उसके यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा किये गए भरसक प्रयासों के बावजूद होता है। विमान चालक द्वारा विमान पर नियंत्रण खो बैठने के अतिरिक्त विमान की दुर्घटना के मुख्य कारण मानव गलतियाँ, तीव्र मौसम की स्थितियाँ, यांत्रिक विफलता, तोड़-फोड़ अथवा शत्रु द्वारा किये गए कार्य हो सकते हैं।

विमान दुर्घटनाओं से संबंधित परिस्थितियाँ

विकसित देशों द्वारा किये गए अनुसंधानात्मक अध्ययनों के परिणामस्वरूप हवाई दुर्घटनाओं को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है-

- विमान के ऊपर उड़ने के दौरान
- विमान के उतरने के दौरान
- टैक्सिंग के दौरान
- रास्ते में
- भूमि पर दुर्घटनाएँ

उपर्युक्त बताई गई दुर्घटनाओं के महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हो सकते हैं-

- विमान की किसी भी क्रियाविधि में त्रुटि जैसे विमान का निचला ढाँचा, प्रत्याकर्षण अथवा हाइड्रोलिक पावर की विफलता
- इंजन के कार्य न करने पर व विमान के लैंडिंग गियर में त्रुटि से
- किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों में, जब विमान चालक अचानक से विमान पर नियंत्रण नहीं रख पाता इत्यादि।

विमान दुर्घटनाओं का वर्गीकरण

विमान दुर्घटनाओं को सामान्यतः निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है:

i) निम्न गति की दुर्घटनाएँ और

ii) तेज गति की दुर्घटनाएँ

i) **निम्न गति की दुर्घटनाएँ:** निम्न गति की दुर्घटनाएँ उस समय होती हैं, जब विमान नीचे उतरता है अथवा ऊपर की ओर उड़ता है। यह दुर्घटना साधारणत: यांत्रिक दोष अथवा निर्णय लेने में त्रुटि के कारण होती है। इसमें विमान के ढाँचे में अधिक क्षति नहीं होती किंतु इसमें आग भी लग सकती है अथवा नहीं भी लग सकती है। आग लगने का प्रमुख कारण ईंधन वाष्प के दहन अथवा तेल के पाइप टूटने से हो सकता है अथवा विद्युत शार्ट-सर्किट से उत्पन्न चिंगारी से या हवाई पट्टी के साथ हुए घर्षण से आग लग सकती है। निम्न गति आपेक्षित शब्द है क्योंकि विमान के उतरने पर गति और ऊपर उड़ने के दौरान गति 160 कि.मी. प्रति घंटे से अधिक हो सकती है। दुर्घटना में निम्न गति के कारण विमान यात्रियों के जीवित बचने के मौके अधिक होते हैं और बचाव कार्य सरलता से किए जा सकते हैं।

ii) **उच्च गति की दुर्घटनाएँ:** उच्च गति की दुर्घटनाएँ तब होती हैं जब विमान की दुर्घटना ऊँचाई पर होती है जो या तो आंशिक रूप से अथवा पूर्णत: नियंत्रण के बाहर होता है। यह इंजन के खराब होने से, संरचनात्मक दोष के कारण अथवा टक्कर के कारण होती है। इन दुर्घटनाओं से विमान के संरचनात्मक ढाँचे को बहुत क्षति होती है, जिससे आग लग सकती है अथवा गंभीर रूप में कोई विस्फोट हो सकता है। अकसर दुर्घटना का भूमि पर प्रभाव और उससे लगने वाली आग इतनी अधिक होती है कि विमान टूट-फूट जाता है, साथ ही यह यात्रियों पर घातक प्रभाव डालता है। उच्च गति से हुई दुर्घटनाएँ अकसर हवाई क्षेत्र से बहुत दूर होती हैं।

विमान के टूटे टुकड़े (मलबा) और उसके शेष भाग और बिखरे भागों में यदि आग लगी रहती है तो उसके बचाव के लिए दुर्घटना के पूरे क्षेत्र में कार्यों को समन्वित करने की जरूरत होती है तथा दुर्घटना स्थल से बहुत दूर तक बचाव करने की जरूरत होती है क्योंकि दुर्घटना के कारण विमान यात्री और चालक दल बहुत दूर तक गिर जाते हैं अथवा दुर्घटना स्थल से बहुत दूर तक भटक जाते हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार विमान दुर्घटना की जाँच में यह बात सामने आयी है कि 67000 उड़ानों में औसतन एक दुर्घटना होती है और इन दुर्घटनाओं में से 50 प्रतिशत संभावना आग लगने की होती है। 500 दुर्घटनाओं पर किये गए अनुसंधानात्मक अध्ययनों के आधार पर यह मूल्यांकित किया गया कि 55 प्रतिशत दुर्घटनाओं में आग लग जाती है।

समुद्र के ऊपर विमानों का पता लगाना मुश्किल

विमानों के लोकेशन को जानने के लिए रडार रेडियो तरंगों के पिंग्स (एक प्रकार की ध्वनि) भेजता है और विमानों से उनके टकराकर वापस आने के समय को माप कर उनकी लोकेशन का पता लगाता है लेकिन रडार विमानों का पता तभी लगा सकता है जब वे उसकी रेंज में हों। रडार की अधिकतम रेंज समुद्र के भीतर तकरीबन 200 मील यानी 321 किमी. तक होती है। इससे अधिक दूरी होने पर रडार विमान का पता नहीं लगा पाते। यही कारण है कि हिंद और प्रशांत महासागर जैसे समुद्री मार्गों के ऊपर उड़ान भर रहे विमानों की लोकेशन का सही पता एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नहीं होता है। वे फ्लाइट प्लान और पायलट द्वारा भेजे गए रिपोर्ट के आधार पर हवाई जहाज की लोकेशन का सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। विमान का पायलट जीपीएस के माध्यम से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सीधे संपर्क में होता है। हालांकि फ्लाइट प्लान और विमान के असली लोकेशन में अकसर भिन्नता होती है। समुद्र के ऊपर विमान बिल्कुल 'ब्लाइंड स्पॉट' में होता है। इसी वजह से दुर्घटना की स्थिति में विमान के लोकेशन का सही पता नहीं चल पाता है।

बोइंग विमान हादसे एवं इससे उपजे विवाद

बोइंग कंपनी ने पहली बार 1967 में बोइंग 737 विमान बनाया था और इसने साल 1968 में पहला व्यावसायिक उड़ान भरा जो काफी सफल रहा। इसके बाद बोइंग 737 विमान दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला वाणिज्यिक विमान बन गया। समय के साथ-साथ बोइंग विमान के रूप में बदलाव होता रहा और 2016 में बोइंग 737 की चौथी पीढ़ी के विमान का निर्माण हुआ, जिसे बोइंग 737 मैक्स के रूप में जाना जाता है। 2017 में बोइंग 737 मैक्स ने अपनी पहली वाणिज्यिक उड़ान की शुरूआत की, जब इंडोनेशिया का लायन एयर इसका पहला ऑपरेटर बना। गौरतलब है कि बोइंग 737 मॉडल के दुनिया भर में 10 हजार विमान हैं।

2018 में दुनिया भर में करीब 6 बड़े विमान हादसे हुए हैं, जिसमें 800 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। इनमें दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे बोइंग विमान सबसे ज्यादा हादसे का शिकार हुए हैं।

पिछले साल 29 अक्टूबर को इंडोनेशिया के लो-कॉस्ट एयरलाइन लायन एयर द्वारा संचालित बोइंग 737 मैक्स-8 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक दल के साथ 189 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी।

फिर 10 मार्च को इथियोपियाई एयरलाइंस द्वारा संचालित चार महीने पुरानी 737 मैक्स 8 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें चालक दल के साथ 157 यात्री मारे गए थे।

गौरतलब है कि इस तरह के हवाई हादसे को देखते हुए विश्व में बोइंग 737 के सभी विमानों पर रोक लगा दी गई है।

दुनिया के कुछ प्रमुख बड़े विमान हादसे

- 2014: कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा मलेशियाई विमान एमएच 370 लापता हो गया था, इस विमान में 239 लोग सवार थे जिनका अब तक पता नहीं चला है।
- 2016: ब्राजील के एक फुटबाल क्लब की टीम को लेकर जा रहा एक विशेष विमान कोलंबिया के पहाड़ों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 75 लोगों की मौत हो गई थी।
- 2018: ईरान के जाग्रोस पर्वत पर हुए यात्री विमान हादसे में सभी 66 लोगों की मौत हो गई थी। उड़ान भरने के घंटे भर बाद ही ईरान की राजधानी तेहरान से यासुद जाने वाला ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।
- 2018: नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बांग्लादेश का प्लेन लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया जिसमें 49 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

हवाई दुघर्टना का चिंतनीय पहलू

मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से अपनी सुविधा के लिए बहुत से आविष्कार किए हैं। आवागमन के लिए जल, थल, हवा पर यातायात के नए-नए साधन जुटाए हैं। उनके बल पर हजारों यात्री इधर से उधर पहुँच जाते हैं। दूर-दूर की यात्रा कुछ ही समय में तय हो जाती है पर यही साधन कभी-कभी आपदा का कारण बन जाते हैं। यह आपदा न ईश्वर प्रदत्त है, ना ही प्रकृतिप्रदत्त, बल्कि मानव की छोटी-सी भूल का परिणाम होती है। हजारों लोग मृत, घायल व विकलांग होकर रह जाते हैं। जितनी तीव्र गति का वाहन होता है, आपदा का स्वरूप उतना ही ज्यादा घातक होता है। अधिकतर दुर्घटनाओं के पीछे मनुष्य की लापरवाही, वाहन का तकनीकी दोष या चालक की तेज रफ्तार होती है।

21वीं सदी में हवाई यात्रा रेलयात्रा की तरह चल रही है। आज के व्यस्त जीवन में लोग समय बचाने के लिए रेल की जगह हवाई जहाज से जाना पसन्द करते हैं। कहा जाता है कि औसतन हवाई जहाज की दुर्घटना रेल से कम होती है, किन्तु यह भी है कि इसमें बचने की संभावना बहुत कम होती है।

निश्चित तौर पर हवाई जहाज के आविष्कारक ने मानव सभ्यता को एक नया आयाम प्रदान किया हैं, किंतु हवाई दुर्घटनाओं की श्रृंखला देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हवाई यातायात की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में ऐसी कई विमान दुर्घटनाओं ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं, जिनमें प्रमुख हैं- रूस का सुखोई यात्री विमान तथा बोइंग विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना।

हाल ही में बोइंग कंपनी की 737 मैक्स जेट विमान के सुरक्षा प्रणाली में कई प्रमुख खामियाँ पायीं गई जिसके वजह से इथोपियन एयरलाइंस का बोइंग 737 मैक्स 8 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें कई लोगों को जान गवाँना पड़ा। इथोपियन एयरलाइंस विमान के ब्लैक बॉक्स से मिले डाटा का विश्लेषण करने पर पता चला है कि यह दुर्घटना कमोबेश वैसे ही हुई है, जैसे पिछले साल अक्टूबर में इंडोनेशिया में विमान दुर्घटना हुई थी। दोनों विमान बोइंग 737 मैक्स 8 थे और दोनों के पायलटों ने उड़ान नियंत्रण समस्या की सूचना देने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गए।

ब्लैक बॉक्स

'ब्लैक बॉक्स' वायुयान में उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों को रिकार्ड करने वाला उपकरण होता है। इसे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है। आमतौर पर इस बॉक्स को सुरक्षा की दृष्टि से विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर विमान की दिशा, ऊँचाई (altitude), ईंधन, गति, हलचल (turbulence), केबिन का तापमान आदि सहित 88 प्रकार के आँकड़ों के बारे में 25 घंटों से अधिक की रिकॉर्डेड जानकारी एकत्रित रखता है। अतः इसके सहायता से हवाई दुर्घटनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर

यह बॉक्स (उपकरण) विमान में अंतिम 2 घटों के दौरान विमान की आवाज को रिकॉर्ड करता है। यह इंजन की आवाज, आपातकालीन अलार्म की आवाज, केबिन की आवाज और कॉकपिट की आवाज को रिकॉर्ड करता है, ताकि यह पता चल सके की हादसे के पहले विमान का माहौल किस तरह का था।

इस घटना को देखते हुए भारत में अतिरिक्त सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत पायलटों के लिए हजार घंटे का हवाई उड़ान का अनुभव जरूरी है, जबकि सह-पायलटों के पास 500 घंटे की उड़ान का अनुभव होना चाहिए। गौरतलब है कि इन विमानों का परिचालन जेट एयरवेज तथा स्पाइस जेट जैसे विमानन कंपनियाँ कर रही हैं। फिलहाल डीजीसीए ने बोइंग विमान के सभी परिचालन पर भारत में रोक लगा दी है। विदित हो कि नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) नागरिक उड्डयन, हवाई परिवहन, सुरक्षा आदि देख-रेख करने वाली नियामक संस्था है। यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के साथ सभी विनियामक कार्यों का समन्वय भी करता है।

भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- भारत में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रबंधन के बावजूद कभी-कभी हवाई दुर्घटना हो जाती है। हवाई सुरक्षा के मामले में भारतीय रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है।
- कुछ वर्ष पहले अमेरिकी हवाई सुरक्षा एजेंसी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने भारत को श्रेणी-1 से श्रेणी-2 में डाल दिया था।
- एफएए के मुताबिक, श्रेणी-2 का मतलब है कि देश में हवाई सुरक्षा की निगरानी करने के लिए जरूरी कानून और नियमन नहीं हैं या नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण के पास कानून और नियमनों का पालन करवाने के लिए जरूरी तकनीकी विशेषज्ञता या अन्य बुनियादी चीजें नहीं हैं।
- हवाई सुरक्षा के नजरिये से भारत को 185 देशों में 55वें स्थान पर रखा गया है, जबकि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान 37वें, चीन 28वें और श्रीलंका 24वें स्थान पर है। इसका अर्थ है कि हवाई सुरक्षा के नजरिये से हमें काफी सुधार करने की जरूरत है।
- भारत में सुधार के रास्ते में कई समस्याएँ हैं। सबसे बड़ी समस्या डीजीसीए (Directorate General of Civil Aviation) ही है, जिसके ढांचे और कामकाज में काफी सुधार की जरूरत है।
- कुछ साल पहले पायलटों को प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों की निगरानी में धांधली की एक खबर आई थी। इसी तरह, हमारे हवाई अड्डों की सुरक्षा भी काफी संदिग्ध है। भारत के कई हवाई अड्डों के चारों ओर कंक्रीट की दीवार नहीं हैं, जिसकी वजह से अकसर पशु हवाई अड्डों पर आ जाते हैं।
- इसके अलावा कुछ हवाई अड्डों पर हवाई पट्टियाँ सही नहीं बनी हैं, इसलिए वहाँ उतरते वक्त पायलटों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है।
- पायलटों के प्रशिक्षण में लापरवाही के नतीजे भी कभी-कभी यात्रियों को झेलने पड़ते हैं, इसके भी कई उदाहरण हैं।
- हवाई सुरक्षा के मद्देनजर भारत विकसित देशों के अपेक्षा तकनीकी और अनुसंधान के क्षेत्रों में काफी पीछे है।

आगे की राह

- विमान की दुर्घटना आज वैश्विक चुनौती बन चुकी है। इसकी प्रमुख वजह है हवाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव तथा मौसम संबंधी चेतावनी को ध्यान में नहीं रखना। अतः कुशल प्रशिक्षण और मौसम की उचित जानकारी मुहैया कराकर विमान दुर्घटना को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।
- कानून तथा सुरक्षा मानकों को उचित रूप से लागू करना जरूरी है, ताकि दुर्घटना को रोका जा सके। साथ ही खतरनाक सामाग्रियों के परिवहन के लिए सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना अति आवश्यक है।
- सरकार को विभिन्न नीतियाँ एवं कानून बनाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
- वायु परिवहन कंपनियों का समय-समय पर निरीक्षण तथा अधिक पुराने वायुयानों को सेवा से मुक्त करना चाहिए।
- अग्निशमन व आपातकालीन चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि दुर्घटना के दौरान समय पर राहत सुविधा उपलब्ध कराया जा सके।
- एयरपोर्ट को तकनीकी एवं सुरक्षा की दृष्टि से अधिक सक्षम बनाना होगा। साथ ही दुर्घटना से संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान व विकास कार्य को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- बुनियादी ढांचाः ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

■

5. इंटरनेट ऑफ थिंग्स : मशीनों के मध्य वार्तालाप

चर्चा का कारण

देश में डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े अवसरों की तलाश के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) इंडिया काँग्रेस का आयोजन 22-23 अगस्त को बंगलुरू में किया जाएगा जिसमें आईओटी को मुख्यधारा में लाने की संभावनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, विनिर्माण, दूरसंचार, स्मार्ट शहर, ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, कौशल एवं विकास, आईओटी मानक, विधि एवं नियामकीय और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा।

परिचय

आज डिजिटल जगत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अवधारणा बहुत तेजी से विकसित हो रही है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया तथा चीन जैसे देश तो पहले से ही इस तकनीक का लाभ उठाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हालाँकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिये हो रहे बदलाव सिर्फ विकसित देशों तक ही सीमित नहीं हैं।

भारत में भी सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्र प्रशासनिक विधाओं तथा व्यापार को और समृद्ध बनाने के लिए कुशल और प्रभावी तरीके से उसमें सुधार हेतु इस तकनीक को अपनाने के लिए तैयार हैं।

वर्तमान में भारती कॉर्पोरेट सेक्टर लभग 1.6 अरब डॉलर इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर खर्च कर रहा है जिसके 2021 तक 3.8 अरब डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। वहीं वैश्विक रूप से आईओटी पर कार्पोरेट द्वारा लगभग 120 अरब डॉलर खर्च किए जा रहे हैं और 2021 तक इसके 253 अरब डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।

क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स?

इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी नेटवर्किंग होती है जिसमें व्यक्ति के उपयोग की सभी चीजें टेलीविजन से लेकर मोबाइल तक इंटरनेट से जुड़ी होती हैं।

दूसरे शब्दों में आईओटी इंटरनेट का एक नेटवर्क होता है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डाटा को एकत्रित और बदलने (Exchange) में सक्षम होता है। आईओटी के दो भाग होते हैं-

- इंटरनेट- यह संपर्क (Connectivity) का आधार होता है।
- थिंग्स- इसके अन्तर्गत वस्तुएँ (Objects) या उपकरण (Devices) आते हैं।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स का महत्त्व

- इस तकनीक से हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर रहे सभी पदार्थों को डिवाइस विशिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरनेट से जोड़कर स्मार्ट बनाकर उनसे मनोवांछित कार्य करा सकते हैं।
- इसके द्वारा विभिन्न कार्यो की सक्षमता बढ़ती है जिससे धन और समय की बचत होती है। उदाहरण के लिए AC एवं मोबाइल को आपस में कनेक्ट कर, एसी को मोबाइल के माध्यम से घर के बाहर से भी नियंत्रित किया जा सकता है।
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग लोगों की स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा को बढ़ाने व उसे बेहतर करने के साथ-साथ स्वास्थ्य निरीक्षण, पहचान और निगरानी में किया जा सकता है।
- वहीं पर्यावरणीय आपदाओं जैसे- भूकंप, सुनामी आदि का पूर्वानुमान सेंसर्स के प्रयोग से करके पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि सेंसर के द्वारा वातावरण की गुणवत्ता प्रभावित करने वाले कारकों जैसे रेडिएशन और प्रदूषण का पता लगाया जा सकता है।
- इसके द्वारा स्मार्ट मीटर का प्रयोग जल उपचार प्रणाली का विश्लेषण व किसी भी समय इसको नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। रिसर्च फर्म आईएचएस मार्केट के मुताबिक अगामी पाँच वर्षो में 500 मिलियन से अधिक स्मार्ट वॉटर मीटर इकाइयों को विश्व स्तर पर बेचा जाएगा।
- चौथी औद्योगिक क्रांति अर्थात् इंडस्ट्री 4.0 की सफलता के लिए साइबर फिजिकल सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कॉगिलटीव कंप्यूटिंग समय की माँग है।
- कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा पौधों की वृद्धि के लिए जल और फर्टिलाइजर की मात्रा को नियंत्रित करने के साथ मृदा में नमी तथा पोषक तत्त्वों का भी पता लगाया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त जलाशयों में जलस्तर की विविधता, नल में पानी की गुणवत्ता, नदी में फेंके जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा व उनका रिसाव आदि का पता इस तकनीक से लगाया जा सकता है।
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग स्मार्ट सिटी के संदर्भ में ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्टर एनर्जी मैनजमेंट सिस्टम, अर्बन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट सर्विलेंस आदि के विकास में कारगर हो सकता है।
- आज के समय में लोगों के लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सिक्योरिटी डिवाइसेस से आसानी से सुरक्षा हासिल हो सकती है।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे कार्य करता है?

इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत एक डिवाइस डाटा की पहचान कर उन्हें एकत्रित करती है तथा उसे इंटरनेट के माध्यम से अन्य डिवाइसेज को आगे भेजती है। यह डाटा अगली वस्तु को आसानी से उपलब्ध हो पाता है और इसी के अनुसार आगे के कार्य किये जाते हैं। निर्णय प्रक्रिया के लिए एनालिटिकल इंजन तथा बहुत अधिक संख्या में डेटा का उपयोग किया जाता है। इस तरह से इस तकनीक द्वारा एक डिवाइस को इंटरनेट के साथ लिंक करके बाकी डिवाइसेज से अपने अनुसार कोई भी कार्य करवाया जा सकता है।

बिजनेस इनसाइडर द्वारा किए गए शोध के अनुसार 2020 तक 24 अरब से अधिक इंटरनेट से जुड़ी डिवाइस दुनिया भर में लग चुकी होगी। वहीं भारत में वर्ष 2020 तक 1.9 बिलियन डिवाइस कनेक्ट किये जाने की उम्मीद है जो वर्तमान में 60 मिलियन है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए चार से अधिक डिवाइस होंगी। इन डिवाइसेस में इंटरनेट ऑफ थिंग्स शामिल है जिसकी उपस्थिति विश्व को स्थायी रूप से बदल रही है।

ज्ञातव्य है कि आईओटी व्यक्तियों की भौतिक दुनिया और डेटा की डिजिटल दुनिया के बीच का कनेक्शन है। कम्प्यूटर, स्मार्टफोन, स्मार्टवाच, टैबलेट, मॉर्डन टीवी और पहनने योग्य गैजेट्स सभी आईओटी का ही हिस्सा हैं।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे काम करता है, इसे विस्तार से समझने के लिए नीचे कुछ एप्लिकेशन्स और डिवाइसेज के उदाहरण लिए जा सकते हैं जैसे-

स्मार्ट होम: स्मार्ट होम IOT की सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है। इसमें घर में प्रयोग किये जाने वाले उपकरण जैसे अमेजन इको से लेकर नेस्ट थर्मोस्टेट तक ऐसे हजारों प्रोडक्ट्स हैं जिन्हे यूजर्स अपनी आवाज से कंट्रोल कर सकते हैं।

वियरेबल्स: वाच अब समय बताने तक ही सीमित नहीं रही है। एप्पल वाच समेत बाजार में ऐसी कई वाच उपलब्ध हैं जिनसे अब टेक्स्ट मैसेज, फोन कॉल्स और कई काम किये जा सकते हैं। इसी के साथ फिटबिट और जॉबोन जैसे डिवाइसेज ने फिटनेस की दुनिया को बदल दिया है।

स्मार्ट सिटीज: IoT से लोगों की रोजमर्रा में आने वाले परेशानियों को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। इससे क्राइम, प्रदूषण, ट्रैफिक की समस्या आदि से आसानी से निपटा जा सकता है।

कनेक्टेड कार: इन वाहनों में इंटरनेट एक्सेस होता है और यह एक्सेस दूसरों के साथ शेयर भी किया जा सकता है।

भारत की स्थिति

इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर भारत में जहाँ एक वर्ग इसके प्रसार को लेकर उत्साहित है, वहीं दूसरा एक ऐसा वर्ग भी है जो इसके भावी परिणामों से सशंकित हैं। भारत में आईओटी की वर्तमान हालातों को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत देखा जा सकता है-

- केन्द्र सरकार ने अक्टूबर 2014 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर मसौदा नीति जारी की थी जिसे डिजिटल इण्डिया स्मार्ट सिटी पहल की परिकल्पना के साथ अप्रैल 2015 में कुछ संशोधनों के साथ जारी किया गया।
- इस नीति के तहत 2020 तक 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इंटरनेट ऑफ थिंग्स उद्योग बनाने की परिकल्पना है। इसके अलावा सरकार की तैयारी आईओटी सेंटर्स को भी डेवलप करने की भी है।
- 2020 तक आंध्र प्रदेश को मुख्य हब में परिवर्तित करने के उद्देश्य से आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने भारत की पहली आईओटी नीति 2016 को मंजूरी प्रदान की।
- यहाँ तक कि निजी क्षेत्र में अगस्त 2015 में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड ने संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित जैस्पर टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता कर भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेवाओं में प्रवेश करने की कोशिश की है।

भारत को संभावित लाभ

वैश्विक स्तर पर 2020 तक जुड़े उपकरणों की संख्या 26 बिलियन से 50 बिलियन के मध्य होने की संभावना है। इस संदर्भ में भारत को प्राप्त होने वाले संभावित लाभों को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत देखा जा सकता है-

- आईओटी इंडिया कॉंग्रेस के अनुसार भारत का आईओटी बाजार जैसे- दूरसंचार, स्वास्थ्य, वाहन, घरो, शहरों और कम्प्यूटर क्षेत्रों में वर्ष 2016 के 1.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2020 तक 9 अरब डॉलर हो जाने की संभावना है।
- यूटिलिटीज, विनिर्माण, मोटर वाहन और परिवहन तथा लॉजिस्टिक जैसे उद्योगों को भारत में सबसे अधिक स्तर पर पर अपनाए जाने से स्वास्थ्य देखभाल और कृषि जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धि की उम्मीद है।
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स से डेटा साइंटिस्ट, उत्पाद प्रबंधक, रोबोट को-ऑर्डिनेटर, इंडस्ट्रियल प्रोग्रामर, नेटवर्क इंजीनियर जैसे क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। कंसल्टिंग फर्म जिनेवा के मुताबिक भारत में इस तकनीक को व्यापक स्तर पर अपनाने पर 25000 नए जॉब के अवसर पैदा होंगे।
- उल्लेखनीय है कि आईबीएम, सिक्को, क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनियों और भारतीय स्टार्ट-अप के कई मेजबानों ने आईओटी अंतरिक्ष में निवेश शुरू कर दिया है। उदाहरण के तौर पर जर्मन कंपनी द्वारा भारत में अगले तीन वर्षो के लिए निवेश किया है जो आईओटी और कृत्रिम बुद्धिमता पर केंद्रित है। विदित हो कि भारतीय दूरसंचार उद्योग भी आईओटी में भारी निवेश कर रहा है।
- एप्पल गूगल के नेस्टलौब प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर लगा रहा है। देश में भी एचसीएल, आईबीएम और रिलायंस कम्युनिकेशन्स ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए सॉल्युशंस बनाने शुरू कर दिए हैं।
- सिस्को की रिपोर्ट बताती है कि भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बाजार अभी 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है जो 2020 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार आगामी दशकों मे आईटी उद्योग और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाली कंपनियाँ इसका समुचित लाभ उठा सकेंगी।
- ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि आगामी समय में आईओटी ऊर्जा आधारित स्मार्ट पानी और ऊर्जा मीटर भारत को लाभान्वित कर सकता है।

चुनौतियाँ

आज के दौर में तकनीकी विकास निरन्तर एक नया मुकाम हासिल कर रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी ऐसी ही एक तकनीक है लेकिन इसके समक्ष कई चुनौतियाँ मौजूद हैं जिन्हें निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- सात बिलियन से ज्यादा डिवाइस आज भी सुरक्षित नहीं हैं, ऐसे में विनिर्माण क्षेत्र को 2020 तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे नेटवर्क तकनीक को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया था, उसे समय के साथ-साथ और अपडेट नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते बहुत से वेबसाइट और सेवा 2016 में ऑफलाइन हो गया था नतीजतन बहुत से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।
- इंटरनेट से जुड़ी जितनी भी चीजे होती हैं उन्हें हैक किया जा सकता है जिसमें आईओटी तकनीक भी शामिल है।
- भविष्य में इंटेलिजेंस सर्विसेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग, पहचान, सर्विलांस, निगरानी तथा लोकेशन ट्रैकिंग के लिए कर सकते हैं।
- आईओटी से संबधित एक अन्य चुनौती निजता से भी संबंधित है क्योंकि सभी डाटा एक-दूसरे से जुड़े होते हैं साथ ही इंटरनेट का काफी बड़ा हिस्सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित होता है।
- यह मशीन इंटरनेट को मॉनीटर करती है और उसे नियंत्रित करती है। इस तकनीक के चलते एडमिनिस्ट्रेशन, सहायक कर्मचारी और मेंटीनेंस में काम करने वाले लोगों के जॉब पर असर पड़ सकता है।
- ऑटो सेक्टर, टेलीकॉम से लेकर हेल्थकेयर सेक्टर की कंपनियों मे आईओटी तकनीकी का प्रयोग बड़े पैमान पर हो रहा है। कंपनियाँ इस तकनीक के द्वारा अपनी लागत को कम कर रही हैं, जिसका सबसे बड़ा असर अकुशल और निचले स्तर के कर्मचारियों की नौकरी पर पड़ा है।

- कंसल्टिंग फर्म जिनोव के मुताबिक भारत में 2021 तक करीब 94000 लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है और यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे तकनीक के उपयोग किए जाने के कारण होगा।

आगे की राह

आईओटी की तकनीक जहाँ मानवता के लिए लाभप्रद है, वहीं इसके नकारात्मक पहलू भी हैं। उल्लेखनीय है कि आज जहाँ इंटरकनेक्टेड पर्यावरण का निर्माण हुआ है वहीं ऑटोमेशन का भी विस्तार हुआ है। नतीजतन काम की रफ्तार कई गुणा बढ़ी है, साथ ही कार्यकुशलता और पारदर्शिता भी आई है। दूसरा पहलू यह है कि इससे भारत की बीपीओ जैसे इंडस्ट्री में कम स्किल वाले काम खत्म हो जाएंगे, जिसकी जगह ऑटोमेशन ले लेगी। ऐसे में नयी तकनीक अपनाने से कोताई बरतने की जगह आईओटी के अनुरूप अपने कौशल को बढ़ाने पर जोर देने की है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।

■

6. जैव-विविधता एवं पारिस्थितिकी प्रणाली का भयावह ह्रास

चर्चा का कारण

संयुक्त राष्ट्र ने 06 मई, 2019 को जारी एक आकलन रिपोर्ट में कहा है कि मानवता उसी प्राकृतिक विश्व को तेजी से नष्ट कर रही है, जिस पर उसकी समृद्धि और उसका अस्तित्व टिका है।

समरी फॉर पॉलिसी मेकर्स रिपोर्ट (Summary for Policy Makers Report) को 450 विशेषज्ञों द्वारा तैयार 132 देशों की एक बैठक में मान्यता दी गई। बैठक की अध्यक्षता करने वाले रॉबर्ट वाटसन ने कहा कि जंगलों, महासागरों, भूमि एवं वायु के दशकों से हो रहे दोहन और उन्हें जहरीला बनाए जाने के कारण हुए बदलावों ने विश्व को खतरे में डाल दिया है।

विदित हो कि जैव-विविधता एवं पारिस्थितिकी सेवाओं के अंतर-सरकारी विज्ञान नीति मंच (आईपीबीईएस) ने अपनी वैश्विक आकलन रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट ने पृथ्वी पर जैव विविधता के खतरों से आगाह किया है।

रिपोर्ट से संबंधित मुख्य बिंदु

- विशेषज्ञों के अनुसार जानवरों और पौधों की दस लाख प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। इनमें से बहुत से प्रजातियों पर कुछ दशकों में ही विलुप्त हो जाने का खतरा मँडरा रहा है।
- आकलन के अनुसार, ये प्रजातियाँ पिछले एक करोड़ वर्ष की तुलना में हजारों गुणा तेजी से विलुप्त हो रही हैं।
- ये प्रजातियाँ जिस तरह से विलुप्त हो रही हैं, उसे देखते हुए ऐसा संदेह है कि 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले डायनोसोर के विलुप्त होने के बाद से पृथ्वी पर पहली बार इतनी बड़ी संख्या में प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रकृति को बचाने हेतु बड़े बदलावों की आवश्यकता है। हमें करीब-करीब प्रत्येक चीज के उत्पादन एवं पैदावार और उसके उपभोग के तरीके में बदलाव करना होगा।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि किस प्रकार हमारी प्रजातियों की बढ़ती पहुंच और भूख ने सभ्यता को बनाए रखने वाले संसाधनों के प्राकृतिक नवीनीकरण को संकट में डाल दिया है।
- ज्ञातव्य है कि अक्टूबर की अपनी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण विज्ञान पैनल ने ग्लोबल वार्मिंग के सबंध में इसी प्रकार की गंभीर तस्वीर पेश की थी।

परिचय

जैव-विविधता जीवों के बीच पायी जाने वाली विभिन्नता है जो कि प्रजातियों में, प्रजातियों के बीच और उनकी पारितंत्रों की विविधता को भी समाहित करती है। जैव-विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रकाशन ई.ओ. विल्सन वाल्टर ने 1988 में किया था। जैव-विविधता तीन प्रकार की होती हैं- (i) आनुवंशिक विविधता, (ii) प्रजातीय विविधता; तथा (iii) पारितंत्र विविधता। प्रजातियों में पायी जाने वाली आनुवंशिक विभिन्नता को आनुवंशिक विविधता के नाम से जाना जाता है। यह आनुवंशिक विविधता जीवों के विभिन्न आवासों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन का परिणाम होती हैं। प्रजातियों में पायी जाने वाली विभिन्नता को प्रजातीय विविधता के नाम से जाना जाता है। किसी भी विशेष समुदाय अथवा पारितंत्र (इकोसिस्टम) के उचित कार्य के लिये प्रजातीय विविधता का होना अनिवार्य होता है। पारितंत्र विविधता पृथ्वी पर पायी जाने वाली पारितंत्रों में उस विभिन्नता को कहते हैं, जिसमें प्रजातियों का निवास होता है। पारितंत्र विविधता विविध जैव-भौगोलिक क्षेत्रों जैसे- झील, मरुस्थल, ज्वारनमुख आदि में प्रतिबिम्बित होती हैं।

जैव-विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों?

जैव-विविधता का मानव जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। अगर जैव-विविधता के क्षरण की वर्तमान दर कायम रही तो विश्व की एक-चौथाई प्रजातियों का अस्तित्व सन 2050 तक समाप्त हो जायेगा। यहाँ हम जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता को निम्न बिन्दुओ के अंतर्गत समझ सकते हैं-

- जैव-विज्ञान के अनुसार सभी जीवों की अपनी खाद्य-शृंखला होती है जिसके चलते सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में जैव-विविधता का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
- वन्य जीवन, पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों का अपना अलग-अलग आर्थिक मूल्य है। जहाँ पौधे हमें लकड़ी, कागज, लुगदी, रबड़, फाइबर, कोयला आदि देते हैं, वही पशु से हमें पौष्टिक भोजन, रेशम, ऊन, चमड़े, शहद, एसीटोन, सिरका, मीथेन आदि मिलता है।
- जैव-विविधता में संपन्न वन पारितंत्र कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख अवशोषक होते हैं। उल्लेखनीय है कि कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह गैस है जो वैश्विक तापन के लिये उत्तरदायी होता है।
- आज फसलों की पैदावार और पशु उत्पाद की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। फसलों और जानवरों से उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक ने आनुवंशिक संशोधन पर काम किया। प्रजनन कार्यक्रम के माध्यम से यह संशोधन आज हमारी आवश्यकता है, ऐसे में जैव-विविधता का संरक्षण अनिवार्य हो जाता है।

- शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी जैव विविधता को संरक्षित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए विज्ञान के कारण जैविक और दवा दोनों को बढ़ावा देने के लिए बंदरों, कुत्तों, मेंढ़कों और मछलियों का उपयोग वैज्ञानिक समुदाय द्वारा किया जाता है।
- जैव-विविधता पोषक चक्र को गतिमान रखने में सहायक होती है। वह पोषक तत्त्वों की मुख्य अवशोषक तथा स्रोत होती है।
- वानस्पतिक जैव-विविधता औषधीय आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है। एक अनुमान के अनुसार आज लगभग 30 प्रतिशत उपलब्ध औषधियों को उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है।
- सांस्कृतिक विविधता भी आज जैव-विविधता के संरक्षण को प्रेरित कर रही है। चूँकि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में साहित्य और धर्म प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जैव-विविधता का महत्त्व सौन्दर्य कारणों से भी बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर पारिस्थितिक पर्यटन, पक्षी निरीक्षण, वन्य जीवन, पालतू जीवों की देखभाल, बागवानी इत्यादि। इसलिए इनका संरक्षण अनिवार्य हो जाता है।

भारत की जैव-विविधता की वर्तमान स्थिति

- भारत एक बहुत बड़ा जैव-विविधता वाला देश है, जहाँ दुनिया की लगभग 10% प्रजातियाँ रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के अनुसार, विश्व की 7-8% वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियाँ भारत में पायी जाती हैं।
- इनमें पौधों की लगभग 45,000 प्रजातियाँ हैं, जो दुनिया के कुल आबादी का लगभग 7% हैं लेकिन जैव-विविधता क्षरण के कारण पौधों की लगभग 1336 प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है।
- भारत में लगभग 15,000 फूल की प्रजातियाँ पायी जाती हैं, जो दुनिया के कुल आबादी का लगभग 6% है इनमें से लगभग 1,500 फूल की प्रजातियाँ लुप्तप्राय हैं।
- इसके अलावा भारत में 91,000 पशुओं की प्रजातियाँ पायी जाती हैं जो दुनिया के कुल आबादी का लगभग 6.5% है। इनमें 60,000 कीट प्रजातियाँ, 2,456 मछली प्रजातियाँ, 1,230 पक्षी प्रजातियाँ, 372 स्तनपायी, 440 सरीसृप और 200 उभयचर आदि शामिल हैं।
- भेड़ की 400, मवेशियों की 27 और बकरियों की 22 प्रजातियाँ भारत में पायी जाती हैं।
- एशिया के कुछ पशुओं की प्रजातियाँ जो विश्व स्तर पर दुर्लभ प्रजातियों में एक हैं,भारत में पायी जाती हैं। जैसे- बंगाली लोमड़ी, मारबल्ड कैट, एशियाटिक शेर, भारतीय हाथी, एशियाई जंगली गधा, भारतीय गैंडा, माखोर तथा गौर आदि।

जैव-विविधता क्षरण के कारण

जैव-विविधता क्षरण के विभिन्न कारण हैं, जिन्हे निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-

- आज मानव जनसंख्या वृद्धि एवं मानवीय गतिविधियाँ आवास, विनाश और आवास विखण्डन का प्रमुख कारण बन रही हैं जिसके कारण जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।
- आज बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण जैव-विविधता के क्षरण का कारण बन रहा है।
- कीटनाशक डी.डी.टी. (डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन) पक्षियों की गिरती आबादी का एक प्रमुख कारण बन गया हैं। डी.डी.टी. खाद्य शृंखला के माध्यम से पक्षियों के शरीर में पहुँचता है जिसके परिणामस्वरूप पक्षियों की असामयिक मृत्यु हो जाती है।
- उल्लेखनीय है कि कई संकटग्रस्त जानवरों का शिकार आमतौर से दाँत, सींग, खाल, कस्तूरी आदि के लिये किया जाता है। आज अंधाधुंध शिकार के कारण भी जानवरों की बहुत-सी प्रजातियाँ लुप्तप्राय जन्तुओं की श्रेणी में पहुँच चुकी है।
- उष्णकटिबंधीय देशों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली झूम कृषि (स्थानान्तरी कृषि) भी जैव-विविधता क्षरण का एक प्रमुख कारण रहा है। भारत के आदिवासी बहुल पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषि के कारण वनों के क्षेत्रफल में अभूतपूर्व गिरावट दर्ज की गयी है।
- चिकित्सा शोध, वैज्ञानिक शोध तथा चिड़ियाघर के लिये कुछ विशिष्ट जानवरों को प्राकृतिक वास से पकड़ना प्रजाति के लिये खतरनाक साबित हुआ है, चूँकि इससे जहाँ उनकी जनसंख्या में गिरावट हुई है, वहीं वे विलुप्ति के कगार पर पहुँच चुके हैं।

जैव-विविधता के संरक्षण

जैव-विविधता के संरक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय और राष्टीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे है। इन प्रयासों को निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत समझा जा सकता है-

अंतर्राष्ट्रीय प्रयासः जैविक विविधता सम्मेलन (सीबीडी) की स्थापना विभिन्न देशों द्वारा 1992 में रियो-डी-जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।

यह कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके तीन मुख्य लक्ष्य थे-

- जैव-विविधता का संरक्षण।
- इसके घटकों का सतत उपयोग करना और
- आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभ का उचित और न्यायसंगत बँटवारा।

सीबीडी का कार्यान्वयनः वर्ष 2010 में, जापान में सीबीडी पक्षकारों के 10वें सम्मेलन के दौरान 193 देशों की सरकारें एकत्र हुयीं और विश्व की बहुमूल्य प्रकृति को बचाने के लिए एक नई रणनीति के तहत 20 सूत्रीय योजना को अपनाया गया। जिसे पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर विलुप्त हो रही प्रजातियों और दुनिया भर के महत्वपूर्ण निवास स्थलों के नुकसान से निपटने में मदद करने के लिए अगले 10 वर्षों में लागू किया जाना है। ज्ञातव्य है कि विश्व भर में जैविक विविधता के बचाव के लिए सरकारें 17% भूमि को संरक्षित क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए तथा 2020 तक महासागरों के 10% क्षेत्र को समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के रूप में कवर करने के लिए प्रयासरत हुई हैं।

नागोया प्रोटोकॉलः पहुंच और लाभ बँटवारे पर नागोया प्रोटोकॉल (एबीएस) 29 अक्टूबर, 2010 को नागोया, जापान में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभ का उचित और न्यायसंगत बँटवारा है, जिससे यह जैविक विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग में योगदान दे सके।

आईची जैव-विविधता लक्ष्यः आईची लक्ष्य का संबंध जैव-विविधता पर दबाव को कम करते हुए इसके लाभों को बढ़ाने से है। विदित हो कि नागोया सम्मेलन के दौरान वर्ष 2011-2020 के लिए जैव-विविधता कार्य योजना को स्वीकार किया गया था। जिसमें नागोया प्रोटोकॉल के अलावा आईची लक्ष्य का भी उल्लेख था। आईची लक्ष्य में मुख्य रणनीतिक लक्ष्य शामिल हैं-

1. जैव-विविधता नुकसान के कारणों को समझना।
2. जैव-विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव को कम करना व सतत् उपयोग को बढ़ावा देना।
3. पारितंत्र, प्रजातियों एवं आनुवंशिक विविधता

की सुरक्षा कर जैव-विविधता स्थिति में सुधार लाना।

4. जैव विविधता एवं पारितंत्र सेवाओं से लाभों का सभी में संवर्द्धन करना।
5. साझीदारी नियोजन, ज्ञान प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण के द्वारा क्रियान्वयन में वृद्धि करना।

रामसर सम्मेलन: यह झीलों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य प्रगतिशील अतिक्रमण का मुकाबला करने तथा वर्तमान झीलों के नुकसान एवं भविष्य में झीलों के मौलिक पारिस्थितिक कार्यों और उनके आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा मनोरंजन के मूल्य को पहचानना है। अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के झीलों की रामसर सूची में लगभग 2,065 साइटें शामिल हैं।

भारत में जैव-विविधता का संरक्षण

भारत विश्व भर में अपने जैव-विविधता के लिए जाना जाता है लेकिन जलवायु परिवर्तन व मानवजनित गतिविधियों ने कई पौधों और जानवरों को विलुप्ति के कगार पर पहुँचा दिया है।

गंभीर खतरे और अन्य विलुप्तप्राय पौधों तथा पशु प्रजातियों की रक्षा करने के लिए सरकार ने कई कदम, कानून और नीतिगत पहलों को अपनाया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पहलों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है-

- **बाघ परियोजना (प्रोजेक्ट टाइगर):** भारत सरकार द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंटरनेशनल के सहयोग से 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गयी थी। यह इस तरह की पहली पहल थी, जिसका उद्देश्य बाघों और उसके सभी निवासस्थानों की रक्षा करना था।
- **मगरमच्छ संरक्षण:** भारत ने 1960 के दशक में जंगलों में मगरमच्छ के विलुप्त होने पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रजनन केंद्रों का निर्माण कर उनके प्राकृतिक निवास में मगरमच्छों की शेष आबादी की रक्षा करने के उद्देश्य से 1975 में मगरमच्छ प्रजनन और संरक्षण का एक कार्यक्रम शुरू किया।
- **हाथी परियोजना:** उत्तर और पूर्वोत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में हाथियों के प्राकृतिक निवास में उनकी व्यवहार्य आबादी की लंबी अवधि के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गयी थी। जिसे 12 राज्यों में लागू किया गया है।
- **ओडिशा - ओलिव रिडले कछुए:** ओडिशा तट के गहिरमाथा और अन्य दो स्थानों पर प्रतिवर्ष दिसंबर और अप्रैल के बीच बड़े पैमाने पर निवास करने के लिए हजारों की संख्या में ओलिव रिडले कछुए एकत्र होते थे। यह दुनिया में ओलिव रिडले कछुओं के निवास का सबसे बड़ा स्थान था। इसको सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है।
- इन कदमों के अलावा, कई स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के साथ भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसायटी, दिल्ली और ओडिशा की वन्यजीव (वाइल्डलाइफ) सोसायटी द्वारा "ऑपरेशन कच्छपा" को संचालित किया जा रहा है। ओडिशा वन विभाग, डब्ल्यूआईआई देहरादून और तटरक्षक बल भी इस परियोजना में शामिल हैं।
- **पूर्व स्वस्थानी संरक्षण:** आज ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी है कि जब वैकल्पिक तरीकों से विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाया जाता है। इस रणनीति को ही पूर्व स्वस्थानी संरक्षण के रूप में जाना जाता है।
- विदित हो कि मगरमच्छ की सभी तीन प्रजातियों के लिए भारत में सफलतापूर्वक पूर्व स्वस्थानी संरक्षण कार्यक्रम को पूरा किया गया है। यह बेहद सफल रहा है। हाल ही में एक सफलता गुवाहाटी के चिड़ियाघर में बहुत ही दुर्लभ बौने खस्सी सूअर (हॉग) के प्रजनन मे भी मिली हुई है।

जैव-विविधता अधिनियम, 2002

जैव-विविधता अधिनियम, 2002 भारत में जैव-विविधता के संरक्षण के लिए संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है जो परंपरागत जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के समान वितरण के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) की स्थापना 2003 में जैव विविधता अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिए की गई थी। एनबीए एक सांविधिक और स्वायत्त संस्था है। यह संस्था जैविक संसाधनों के साथ-साथ उनके सतत् उपयोग से होने वाले लाभ की निष्पक्षता और समान बँटवारे जैसे मुद्दों पर भारत सरकार के लिए सलाहकार और विनियामक की भूमिका निभाती है।

मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान

भारत में जैव-विविधता के संरक्षण और विकास के लिए एक अनूठा जीवमंडल रक्षित स्थान है। यह पश्चिम भारत के राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। यह 3162 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला हुआ सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्कों में से एक है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान थार रेगिस्तान के पारिस्थितिकी तंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उद्यान का 20 प्रतिशत भाग रेत के टीलों से सजा हुआ है।

पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित पारित हुए महत्वपूर्ण भारतीय अधिनियम

- मत्स्य अधिनियम, 1897
- भारतीय वन अधिनियम, 1927
- खनन और खनिज विकास विनियमन अधिनियम, 1957
- जानवर क्रूरता निवारण, 1960
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
- जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980
- वायुमंडल (रोकथाम और प्रदूषण के नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
- जैव-विविधता अधिनियम, 2002
- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006।

आगे की राह

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि पारिस्थितिकी संतुलन, मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति एवं प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़, सूखा, भू-स्खलन आदि) से मुक्ति के लिये जैव-विविधता का संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय व राष्टीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। जरूरत है व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने की इस संदर्भ में कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- उन प्रजातियों के संरक्षण का प्रयास किया जाना चाहिए जो संकटग्रस्त हैं।
- उन आवासों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए जहाँ प्रजातियाँ भोजन, प्रजनन तथा बच्चों का पालन-पोषण करती हैं।
- जंगली पौधों तथा जन्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण किया जाना चाहिए।
- संरक्षण में सहायक पारंपरिक ज्ञान तथा कौशल को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- वनस्पतियों एवं जन्तुओं की प्रजातियों तथा उनके आवास को बचाने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम को लागू करने की आवश्यकता है, ताकि जैव-विविधता संरक्षण को बढ़ावा मिल सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

7. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी दावेदारी का परीक्षण

चर्चा का कारण

हाल ही में फ्रांस ने भारत समेत जर्मनी, ब्राजील और जापान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूनएनएससी) में स्थायी सदस्यता दिलाने पर जोर दिया है। फ्रांस ने यूएन में कहा कि इन देशों को स्थायी सदस्यता दिए जाने की जरूरत है, जिससे ये देश अपनी स्थिति को रणनीतिक रूप से सुधार सकें। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इन देशों को स्थायी सदस्यता दिलाना फ्रांस की प्राथमिकताओं में से एक है।

परिचय

सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। पूर्व में इसके कुल सदस्यों की संख्या 12 थी परन्तु वर्तमान में इसके कुल 15 सदस्य हैं जिनमें से पाँच सदस्य (संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन) स्थायी सदस्य हैं। इन सदस्यों के पास वीटों का अधिकार है। इसके अतिरिक्त दस अस्थायी सदस्य होते हैं। इन दस अस्थायी सदस्यों का चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है जिनमें से पाँच सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों से, दो अमरीकी देशों से तथा एक पूर्वी यूरोप से और दो पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना है। इन अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का होता है।

सुरक्षा परिषद का महत्त्व क्यों?

- सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके महत्त्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर ही महासभा संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य राष्ट्रों का चयन करती है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में सुरक्षा परिषद के निर्णयों को मानने के लिए सभी देश बाध्य हैं।

सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की माँग क्यों?

- जी-4 (जर्मनी, जापान, ब्राजील, भारत) द्वारा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर एक लंबे समय से माँग की जा रही है। यहाँ उन कारणों का वर्णन किया जा रहा है जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता को बताता है-
- शीत युद्ध के पश्चात विश्व की राजनीति में आमूलकारी परिवर्तन हुए हैं, परन्तु सुरक्षा परिषद की संरचना अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् की स्थिति को प्रकट करती है।
- सुरक्षा परिषद का वर्तमान ढाँचा यूएनओ के लोकतांत्रिक स्वरूप का प्रतिनिधत्व नहीं करता है।
- सुरक्षा परिषद का विस्तार सिर्फ एक बार 1965 में किया गया था। शुरूआत में सुरक्षा परिषद में मूल रूप से 11 सीटें थीं, जिसमें से पाँच स्थायी और छह अस्थायी सीटें थीं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1965 के विस्तार के बाद सयुंक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सीटें हो गईं, जिसमें 4 अस्थायी सीटों को जोड़ा गया लेकिन स्थायी सदस्यों की सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया।
- परिषद की वर्तमान संरचना शक्ति-संतुलन की अनुचित व्यवस्था को प्रकट करती है। उदाहरण के तौर पर यूरोप जहाँ दुनिया की कुल आबादी का मात्र 5 प्रतिशत निवास करता है उसका परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर सबसे अधिक प्रतिनिधत्व है, वहीं अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से कोई स्थायी सदस्य प्रतिनिधि नहीं है।
- परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को इस आधार पर स्थायी सदस्यता देना कि वे द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता व शक्तिशाली देश हैं, न्यायोचित नहीं लगता है।
- शांति व सुरक्षा वाले अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद मौजूदा सदस्यों द्वारा उन देशों के पक्ष को नजरअंदाज कर दिया जाना भी एक अन्य कारण है, उदाहरण के तौर पर भारत।

सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयास

सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है बावजूद इसके सरंचना और कार्यपद्धति को लेकर सवाल उठते रहे हैं। वर्तमान में जी-4 देशों, एल-69 समूह और अफ्रीकी समूह ने इसमें सुधार से संबंधित प्रस्ताव दिया है। उल्लेखनीय है कि यूएनओ के ढाँचे में बदलाव को लेकर जनवरी 1997 में महासचिव कोफी अन्नान ने जाँच शुरू करवाई। इस जाँच के पश्चात् सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए जो मानदंड सुझाए गए, (बड़ी आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, बजट में अधिक योगदान, बड़ी जनसंख्या, संपन्न विरासत और सांस्कृतिक विविधता आदि) उन मानदंडों में खामियाँ हैं। अगर मानदंडों को देखा जाए तो इन मानदंडों पर कोई भी देश पूर्णतया खरा नही उतर सकता है। जो देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के इच्छुक नहीं हैं वे भी इन कसौटियों में खामियों को स्वीकारते हैं। इन सीमाओं को दूर करने के लिए कोफी अन्नान के एक नया मॉडल सुझाया जो निम्नलिखित है-

कोफी अन्नान मॉडलः सर्वप्रथम 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने सुरक्षा परिषद के सदस्य संख्या बढ़ाकर 24 करने का सुझाव दिया। उन्होने 'इन लार्जर फ्रीडम' नामक रिपोर्ट में संख्या के विस्तार में दो मॉडल प्रस्तावित किए थे-

1. **मॉडल ए-** इसमें उन्होने छः नए स्थायी सदस्य एवं तीन नए अस्थायी सदस्यों को बढ़ाने की बात कही थी, जिनका कार्यकाल दो वर्षों का होगा। सदस्यों का यह विस्तार क्षेत्र के अनुसार किया जाएगा जिसके तहत एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप से दो-दो सदस्य तथा अमेरिका और यूरोप से एक सदस्य लिए जाएंगे।
2. **मॉडल बी-** इस मॉडल में कोफी अन्नान ने सुझाव दिया था कि स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि न करके 8 नए अर्द्ध स्थायी सदस्यों को शामिल किया जाए, जिनका कार्यकाल चार वर्षो का हो तथा इन्हें दुबारा चुनने का भी प्रावधान हो। इसके साथ ही एक सीट अस्थायी सदस्य के लिए रखी जाएगी जिसका कार्यकाल 2 वर्षो का होगा और वह दुबारा चुना भी नहीं जाएगा। ध्यान

योग्य बात है कि कोफी अन्नान के इन दोनों मॉडल में सुरक्षा परिषद में सदस्यों की वृद्धि बिना वीटों के किया जाएगा।

जी-4 समूह एवं उसके प्रस्ताव

- जी-4 समूह का प्रस्ताव भारत, ब्राजील, जर्मनी एवं जापान द्वारा लाया गया। उल्लेखनीय है कि अगर भविष्य में स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है तो ये देश उसके प्रबल दावेदार हैं। दरअसल इसके निम्न कारण हैं- संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में जापान दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता राष्ट्र है, जबकि जर्मनी योगदान करने में तीसरे स्थान पर है।
- सामान्यत: ये देश दुनिया की बड़ी एवं शक्तिशाली अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- लैटिन अमेरिका में ब्राजील क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा देश है और आबादी एवं अर्थव्यवस्था के मामले में भी यह सबसे बड़ा है।
- कुल सदस्य संख्या 25 किए जाएँ जिसमें छ: नए स्थायी सदस्य बिना वीटो पावर के बनाये जाएँ।
- जी-4 के अतिरिक्त 2 स्थायी सदस्य अफ्रीका महाद्वीप के बनाये जाएँ।
- 4 नए अस्थायी सदस्य बनाए जाएँ।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी सदस्यों में से तीन यूके, फ्रांस और रूस ने जी-4 के आकांक्षी देशों का समर्थन किया है।

गौरतलब है कि जी-4 प्रस्ताव के विरोध में कॉफी कल्ब ने एक नया प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव अर्जेंटीना, कनाडा, कोस्टारिका, कोलंबिया, माल्टा, मैक्सिको, पाकिस्तान, इटली, स्पेन और तुर्की द्वारा प्रस्तुत किया गया।

कॉफी क्लब प्रस्ताव

- स्थायी सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन न किया जाय।
- केवल 10 नए अस्थायी सदस्यों को बढ़ाया जाए, जिनका निर्वाचन 2 वर्ष के लिए हो।
- इस प्रस्ताव के अनुसार सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 25 किया जाए जिसमें निर्णय बहुमत (15 मत) के आधार पर लिया जाए।

अन्य विकल्प की बात करें तो प्रसिद्ध राजनयिक किशोर महबूबानी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए 7-7-7 फॉर्मूला की वकालत की थी। इस फॉमूले के अनुसार सात स्थायी सदस्य सात अर्द्ध स्थायी सदस्य और सात गैर-स्थायी सदस्यों का प्रावधान सुरक्षा परिषद में किया जाना चाहिए।

भारत की दावेदारी का परीक्षण

भारत ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर समय-समय पर अपना दावा पुख्ता किया है। जी-4 के मुख्य प्रस्तावकों में से भारत भी एक है। यहाँ हम निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत भारत के दावेदारी का परीक्षण कर सकते हैं-

- भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के उद्देश्य लगभग समान हैं।
- भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा प्रत्येक राज्य की स्वतंत्रता जैसे आदर्शों का समर्थक है, साथ ही यूएनओ के संस्थापक सदस्यों में भी वह शामिल है।
- भारत जनसंख्या तथा भूगोल की दृष्टि से विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
- अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व की दूसरी सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। यह एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- भारत यूएनओ के शांति निर्माण कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। यूएनओ में शांति सेनाओं में योगदान करने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्र भारत ही है। विदित हो कि भारत ने यूएनए द्वारा संचालित 33 शांति अभियानों में भागीदारी की, जिसमें लगभग 75 हजार भारतीय सैनिक तैनात किए गए।

भारत के दावेदारी के समक्ष चुनौतियाँ

भारत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है लेकिन इसके समक्ष कई चुनौतियाँ मौजूद हैं, जिसे निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी न्यायोचित है, परन्तु विश्व राजनीति का निर्धारण शक्ति के आधार पर होता है, न्याय और लोकतांत्रिक आदर्शो के आधार पर नहीं।
- निषेधाधिकार प्राप्त देश (अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन) अभी भी अपना विशेषाधिकार बनाए रखना चाहते हैं तथा फ्रांस को छोड़कर ये देश सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रकार के बदलाव के खिलाफ हैं।
- यूएन के बजट में हिस्सेदारी और अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मामले में भारत अपेक्षाकृत अन्य दावेदारों से कमजोर नजर आता है।
- भारत के समक्ष स्थायी सदस्यता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा सुरक्षा परिषद के पाँचों स्थायी सदस्यों का समर्थन न प्राप्त करना भी रहा है।
- वर्तमान में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस व रूस भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर रहे हैं लेकिन चीन के द्वारा भारत का सीधा समर्थन नहीं किया गया है।
- सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की वृद्धि के लिए चार्टर में संशोधन की आवश्यकता है, जिसके लिए महासभा के दो-तिहाई बहुमत के समर्थन के साथ सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों तथा कोई अन्य चार अस्थायी सदस्यों का समर्थन भी अनिवार्य है।

भारत की सदस्यता की संभावना व संभावित लाभ

- भारत की उभरती अर्थव्यवस्था के कारण भारत का महत्त्व पूरी दुनिया में निरंतर बढ़ रहा है तथा अमेरिका के साथ संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- भारत वर्तमान में विश्व के सभी प्रमुख समूहों का सदस्य है और विश्व का एक ऐसा देश है जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है बावजूद उसे परमाणु ईंधन और तकनीक प्राप्त हो रही है।
- क्षेत्रीय आधार पर भारत का दावा निर्णायक और महत्वपूर्ण है दरअसल सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में पहले से ही यूरोपीय देशों की संख्या समानुपातिक रूप से ज्यादा है। ऐसे में एशिया महाद्वीप से दो नए सदस्य शामिल किए जाने पर विचार चल रहा है। इस लिहाज से जापान और भारत की संभावना सर्वाधिक है।
- भारत-अमेरिका सिविल परमाणु समझौता, आतंकवाद एवं पर्यावरण की समस्याओं, जी-8 के बैठकों आदि में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
- ज्ञातव्य है कि चीन और भारत के बीच एक लंबे समय तक तनाव बना हुआ है, जिसकी पुष्टि डोकलाम विवाद से भी होती है। बावजूद इसके आज के वैश्वीकरण के युग

में भारत और चीन के बीच एक व्यापारिक साझेदारी है। जहाँ तक सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता को लेकर समर्थन की बात है तो इसे लेकर अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रांस ने जहाँ पहले ही सहमति व्यक्त कर दी व रूस ने हाल फिलहाल में वहीं चीन के द्वारा अभी तक न तो सीधा समर्थन किया गया है और न ही सीधा विरोध ही किया गया है।

- गौरतलब है कि अगर भारत को भविष्य में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त होती है तो भारत कई अवसरों (लाभों) को प्राप्त कर सकने में सक्षम होगा।
- भारत की सुरक्षा परिषद मे स्थायी सदस्यता भारत को वैश्विक राजनीति के स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के समकक्ष ला देगी।
- आर्थिक रूप से भारत अन्य देशों से मोल-भाव करने मे सक्षम हो सकेगा, वहीं राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से अपना वर्चस्व भी स्थापित कर सकेगा।
- वर्तमान में चीन-भारत को शक्ति संतुलन नीति के तहत घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मे भारत की सदस्यता न सिर्फ उसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से सशक्त करेगी बल्कि भारत हिन्द महासागर को ''शांति का क्षेत्र' भी घोषित कर सकेगा जो चीन की विस्तारवादी नीतियों का करारा जवाब होगा।
- सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनकर भारत पड़ोसी देशों की समस्याओं, जैसे श्रीलंका में गृह युद्ध, तमिलों के साथ अत्याचार, अपराध, म्याँमार के रोहिंग्या मुस्लिम की समस्या, अफगानिस्तान में तालिबान समस्या, लिंग असमानता तथा एशियाई मानवाधिकारों से संबंधित मामलों को यूएनओ के सुरक्षा परिषद् में लाकर ध्यान आकर्षित करवा सकेगा।

आगे की राह

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद में सुधार आज समय की मांग है, दरअसल सुरक्षा परिषद की सरंचना अभी-भी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् की स्थिति को प्रकट करती है जबकि विश्व राजनीति में कई आमूलकारी परिवर्तन हो चुके हैं।

ध्यान देने योग्य बात है कि इस संदर्भ में यूएनओ प्रयासरत है। इन्ही प्रयासों के तहत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर कई मानदंड सुझाए गए हैं। जरूरत है इन मानदंडों को सहज करने की इसके साथ ही आवश्यकता इस बात की भी है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को चार्टर में संशोधन कराने के लिए यूएनओ सदैव प्रयासरत रहे। चूंकि स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि तभी की जा सकती है जब 9 सकारात्मक मतों में पाँच स्थायी सदस्यों की सहमति हो जो कि जटिल प्रक्रिया है, अत: आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक और सहज किया जाय।

जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए जोर-शोर से प्रयास को जारी रखना चाहिए। हाल ही में भारत ने स्थायी सदस्यता के दावेदारी को लेकर कूटनीतिक जीत हासिल की है। भारत के समर्थन में ब्रिटेन, फ्रांस, अेमरिका और रूस तक उतर आये हैं।

इसके अतिरिक्त स्थायी सदस्यता दावेदारी को लेकर यूएनओ द्वारा जो मानदंड सुझाए गए हैं उनमें से अधिकांश मानदंडों जैसे- बड़ी आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, बड़ी जनसंख्या, संपन्न विरासत तथा सांस्कृतिक विविधता के लिहाज से भारत एक प्रबल दावेदार है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

■

स्नातक विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

मानव तस्करी : 21वीं सदी की महामारी

प्र. मानव तस्करी संपूर्ण मानवता के विरुद्ध किया जाने वाला अपराध है। विश्लेषण कीजिए।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोके जाने और उनके पुनर्वास के मुद्दे पर दिल्ली में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

परिचय

- नशीली दवाओं और हथियारों के कारोबार के बाद मानव तस्करी विश्व भर में तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को डराकर, बलप्रयोग कर या दोषपूर्ण तरीके से कार्य लेना, यहाँ-वहाँ ले जाना या बंधक बना कर रखना मानव तस्करी की श्रेणी में आती है। दुनिया भर में 80 प्रतिशत से ज्यादा मानव तस्करी यौन शोषण के लिए की जाती है, और बाकी बंधुआ मजदूरी के लिए।

मानव तस्करी की वर्तमान स्थिति

- संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध ब्यूरो के अनुसार तस्करी के शिकार लोगों में 51% महिलाएं, 28% बच्चे और 21% पुरुष हैं। सेक्स उद्योग में शोषित 72% महिलाएं हैं। पहचाने गये मानव तस्करी में 63% पुरुष और 37% महिलाएं शामिल हैं। 43% पीड़ित किसी देश की सीमाओं के भीतर ही घरेलू स्तर पर मानव तस्करी का शिकार बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अनुमान के अनुसार दुनिया में जबरन श्रम और मानव तस्करी का उद्योग 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है।

मानव तस्करी के कारण

- गरीबी, सामाजिक असमानता, क्षेत्रीय लिंग वरीयता, आर्थिक असंतुलन और भ्रष्टाचार मानव तस्करी के प्रमुख कारण हैं। खासतौर पर वे छोटी लड़कियाँ और युवा महिलाएँ जो ज्यादातर गरीब तथा ग्रामीण क्षेत्रों से होती हैं, उन्हें उनके घरों से लाकर दूरदराज के राज्यों में यौन शोषण और बंधुआ मजदूरी के लिए बेचा जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार एशिया- पैसिफिक क्षेत्र में 11.7 मिलियन से ज्यादा लोग बंधुआ मजदूर के तौर पर कार्य कर रहे हैं।

मानव तस्करी का समाज पर प्रभाव

- हम आज सूचना क्रांति के उस दौर में हैं, जहां सामाजिक बुराइयों पर खुलकर बातें होने लगी हैं लेकिन, कुछ सामाजिक बुराइयों पर अभी समाज में चर्चा कम होती है। इन्हीं में से एक है- मानव तस्करी (Human Trafficking)।
- यह हमारे देश के लिए ही नहीं, दुनिया भर के लिए एक अभिशाप है।
- मानव तस्करी जैसी अमानवीयता का शिकार वैसे तो लड़के-लड़कियाँ- दोनों ही होते हैं, लेकिन मानव तस्करी का दंश झेलने वाली कच्ची उम्र की बेटियों पर इसका प्रभाव अधिक भयावह होता है।

चुनौतियाँ

- कोई भी अपराध बिना गठजोड़ या संरक्षण मिले, इतने बड़े स्तर पर नहीं पनप सकता। तस्करों, पुलिस और नेताओं की यह गठजोड़ मानव तस्करी को और भी ज्यादा संगठित और व्यवस्थित तरीके से फलने-फूलने में मदद करती है।
- हमारे देश में हर तरह के केसों को निपटाने की कानूनी प्रक्रिया बेहद धीमी है। तस्करी में लगे गिरोहों का अकसर ही बड़ा नेटवर्क होता है जिसमें कुछ प्रभावशाली लोग भी जरूर होते हैं। उन रसूखदार लोगों के कारण ही तस्करी में लगे लोगों के पकड़े जाने के बावजूद भी सजा नहीं हो पाती।

सरकारी प्रयास

- 2011 में भारत ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, 2000 तथा मानव तस्करी के निवारण, उसके शमन एवं दंड से संबंधित प्रोटोकॉल को मंजूरी दी थी।
- 2015 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री ने एक कमेटी का गठन किया ताकि मानव तस्करी पर व्यापक कानून बनाने की व्यावहारिकता की जांच की जा सके।

आगे की राह

- मानव तस्करी भारत ही नही बल्कि वैश्विक स्तर पर कायम है अतः इसका निवारण करना अति आवश्यक है। इसके लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि मानव तस्करी पर रोक लगाई जा सके।
- सरकार को मानव तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न नीतियाँ और सख्त कानून बनाना चाहिए। ■

ऑनर किलिंग का जारी रहना : भारतीय समाज की एक गंभीर समस्या

प्र. वर्तमान में ऑनर किलिंग जैसे अपराध सामाजिक न्याय को प्राप्त करने में बाधक हैं। इस अपराध के पीछे के कारणों एवं समाज पर उसके प्रभावों की चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में राजस्थान के कानौर हैड में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। स्थानीय पुलिस द्वारा युवक एवं युवती का शव भोजूवाला माइनर से बरामद हुआ।

ऑनर किलिंग क्या है?

- ऑनर किलिंग जिसे सम्मान हत्या भी कहा जाता है। इसे भारत में अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके तहत जब एक परिवार के किसी सदस्य की अपने परिवार अथवा समाज के किसी व्यक्ति द्वारा सम्मान को नष्ट करने या परंपरा को तोड़ने के अपराध में हत्या कर दी जाए तो इसे ऑनर किलिंग कहा जाता है।

भारत में ऑनर किलिंग के कारण

- ऑनर किलिंग का कारण पितृतंत्रात्मक समाज की सोच और दृष्टिकोण है। प्राय: देखा जाता है कि महिला द्वारा वैवाहिक संबंध को अस्वीकार करने पर वह परिवार के सम्मान का विषय बन जाता है क्योंकि उसे पिता अथवा अपने परिजनों की बात काटने का अधिकार नहीं दिया गया है।
- गोत्र के भीतर विवाह को भी इस समस्या का कारण माना जाता है। हिन्दू विवाह कानून के अनुसार कोई व्यक्ति अपने गोत्र अथवा सपिण्ड में विवाह नहीं कर सकता क्योंकि उनसे भाई-बहन के संबंध होते हैं, अतएव इन संबंधों का निर्वहन करना अनिवार्य है अन्यथा इसे प्रतिष्ठा की हानि के रूप में देखा जाता है।

ऑनर किलिंग को रोकने में चुनौतियाँ

- इस तरह के अपराध प्राय: गोपनीय रूप से किये जाते हैं। अत: इसके संबंध में आँकड़ों की पर्याप्त कमी पाई जाती है।
- स्थानीय पुलिस के सामने इस तरह के अपराध को वर्गीकृत करने मे समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। सामूहिक आधार पर इस तरह के अपराध को घरेलू हिंसा के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है।

भारत में कानूनी प्रावधान

- भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत दिया गया है।
- अनुच्छेद 15 के तहत भारतीय संविधान में राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
- "मानव अधिकार अधिनियम 2006" के तहत किसी मानव की गरिमा को हानि पहुँचाना भी अपराध की श्रेणी में आता है।
- "घरेलू हिंसा अधिनियम 2005" के तहत किसी महिला को मानसिक रूप से अथवा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो महिला को इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त है।

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 28 मार्च, 2018 को शक्तिवाहिनी बनाम भारत संघ मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया जिसके तहत सम्मान आधारित हिंसा को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस निर्णय में खाप पंचायत को गैर-कानूनी घोषित किया गया। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दो वयस्क अगर शादी करते हैं तो कोई तीसरा उसमें दखल नहीं दे सकता है। इसके अलावा न्यायालय ने हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 5 में एक ही गोत्र में शादी न करने को उचित ठहराया है।

ऑनर किलिंग का प्रभाव

- परिवार द्वारा अथवा किसी भी सामाजिक व्यक्ति द्वारा सम्मान के नाम पर की गई हत्या समाज में अपराध को बढ़ावा देती है।
- खाप पंचायत द्वारा दिये गए निर्णय जो कि 'ऑनर किलिंग' के नाम पर अत्याचार को प्रोत्साहित करते हैं इनके प्रभाव के बढ़ने से सामाजिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है।

आगे की राह

- ऑनर किलिंग जैसे अपराध को बर्बर अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा के प्रति किया गया अन्याय है।
- इस तरह के अपराध के निरीक्षण हेतु ठोस प्रयास किये जाने चाहिए। 21वीं शताब्दी के आधुनिक युग में परंपरागत कारणों से किये गए अपराध के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। ■

संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि और भारत : एक अवलोकन

प्र. अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार संधि से अमेरिका के पीछे हटने से वैश्विक जगत पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करते हुए बताएँ कि भारत के इस संधि में शामिल न होने के पीछे क्या तर्क हैं?

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका अब संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि (United Nation Arms Trade Treaty) से बाहर होगा। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार हथियार व्यापार संधि अमेरिका के आंतरिक कानूनों में दखल देती है।

अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार संधि के प्रमुख प्रावधान

- यह संधि पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- संधि का उद्देश्य संघर्ष वाले क्षेत्रों में हथियारों के प्रवाह पर लगाम लगाना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, समुद्री डाकुओं, गिरोहों व अपराधियों के हाथों में घातक हथियारों के पहुँच को रोकना है।
- इस संधि के तहत छोटे हथियारों से लेकर युद्धक टैंक, लड़ाकू विमानों, मिसाइल और युद्ध पोतों के व्यापार के लिए नियम बनाने का भी प्रावधान है। इस संधि के तहत सदस्य देशों पर प्रतिबंध है कि वह ऐसे देशों को हथियार ना दें जो नरसंहार, मानवता के प्रति अपराध या आतंकवाद में शामिल होते हैं।

शस्त्र व्यापार संधि का उद्देश्य

- आर्म्स ट्रेड ट्रीटी (ATT) का मकसद पारंपरिक हथियारों के अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार को नियंत्रित किया जाना है।

- इसके तहत देशों को हथियारों के निर्यात पर नजर रखनी होती है और ये सुनिश्चित करना होता है कि हथियारों को लेकर बने नियम और पाबंदियों का उल्लंघन नहीं हो।
- साथ ही इनसे आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिले और न ही मानवाधिकारों का उल्लंघन हो।

अमेरिका के कदम से वैश्विक जगत पर प्रभाव

- अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए 2020 में चुनाव होना है, इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि वे दोबारा राष्ट्रपति चुने जाएँ। इसी बात को ध्यान रखते हुए ट्रंप किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन (NRA) को नाराज नहीं करना चाहते हैं।
- चीन का मानना है कि पारंपरिक हथियारों के कारोबार को नियंत्रित करने की दिशा में इस करार की सकारात्मक भूमिका है। ऐसे में अमेरिका के इस संधि से हटने में विश्वव्यापी प्रभाव पड़ेगा।

अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार संधि और भारत

- भारत का मानना है कि इस तरह की संधि का उद्देश्य हथियारों के गलत इस्तेमाल और तस्करी को रोकना होना चाहिए। एटीटी का फायदा पूरी दुनिया को तब होगा जब आतंकवादियों के हाथों घातक हथियार न पहुँचने पाये।
- भारत का कहना है कि कई ऐसे अनाधिकृत लोग हैं जो बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद करते हैं। इसके अलावा वे देश जो नॉन स्टेट एक्टर्स (Non State Actors) के हाथों में हैं, यानी वो सत्ता में नहीं हैं पर अपरोक्ष रूप से सरकार चला रहे हैं, उन्हें भी आधुनिक या खतरनाक हथियार नहीं बेचे जाने चाहिए।

आगे की राह

- अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार संधि को पूरी तरह से निष्पक्षता से लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करना होगा, साथ ही गैर सदस्य देशों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए उन्हें भी इस संधि का हिस्सा बनाना होगा। हालाँकि इसका एक चिंतनीय पहलू यह है कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा शस्त्रों का व्यापार करता है। ऐसे में उसका इस संधि से अलग होना कई तरह की आशंकाओं को जन्म देगा। ■

हवाई दुर्घटनाओं की बारम्बारता : विमानन उद्योग के लिए बड़ी चुनौती

प्र. 21वीं सदी में हवाई यात्रा ने मानव सभ्यता को एक नया आयाम प्रदान किया है, किंतु हवाई दुर्घटनाओं की श्रृंखला देखकर हवाई यातायात की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। चर्चा कीजिए।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में रूस की राजधानी मॉस्को में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान सुखोई सुपरजेट-100 यात्री विमान में आग लग गई, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई।

परिचय

- विमान दुर्घटना हालाँकि विरल होती हैं, जहाँ तबाही के कारण प्रभावित लोगों के लिए बचने के बहुत कम मौके होते हैं। विमान दुर्घटनाएँ विशेषकर आपदायी होती हैं क्योंकि विमान सैकड़ों यात्री के साथ भारी मात्रा में ईंधन भी ले जाता है। यह देखा गया है कि अधिकांश घटनाएँ विमान के ऊपर उड़ने और नीचे भूमि पर उतरने के दौरान होती हैं। यह दुर्घटना उस समय भी होती है जब विमान चालक अप्रत्याशित और अचानक से उत्पन्न परिस्थितियों में विमान पर आंशिक अथवा पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठता है।

विमान दुर्घटनाओं से संबंधित परिस्थितियाँ

- विमान के ऊपर उड़ने के दौरान
- विमान के उतरने के दौरान
- टैक्सिंग के दौरान
- रास्ते में
- भूमि पर दुर्घटनाएँ

हवाई दुघर्टना का चिंतनीय पहलू

- मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से अपनी सुविधा के लिए बहुत से आविष्कार किए हैं। आवागमन के लिए जल, थल, हवा पर यातायात के नए-नए साधन जुटाए हैं। उनके बल पर हजारों यात्री इधर से उधर पहुँच जाते हैं। दूर-दूर की यात्रा कुछ ही समय में तय हो जाती है पर यही साधन कभी-कभी आपदा का कारण बन जाते हैं।
- यह आपदा न ईश्वर प्रदत्त है, ना ही प्रकृतिप्रदत्त, बल्कि मानव की छोटी-सी भूल का परिणाम होती है। हजारों लोग मृत, घायल व विकलांग होकर रह जाते हैं। जितनी तीव्र गति का वाहन होता है, आपदा का स्वरूप उतना ही ज्यादा घातक होता है। अधिकतर दुर्घटनाओं के पीछे मनुष्य की लापरवाही, वाहन का तकनीकी दोष या चालक की तेज रफ्तार होती है।

भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- कुछ वर्ष पहले अमेरिकी हवाई सुरक्षा एजेंसी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने भारत को श्रेणी-1 से श्रेणी-2 में डाल दिया था।
- एफएए के मुताबिक, श्रेणी-2 का मतलब है कि देश में हवाई सुरक्षा की निगरानी करने के लिए जरूरी कानून और नियमन नहीं हैं या नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण के पास कानून और नियमनों का पालन करवाने के लिए जरूरी तकनीकी विशेषज्ञता या अन्य बुनियादी चीजें नहीं हैं।

आगे की राह

- विमान की दुर्घटना आज वैश्विक चुनौती बन चुकी है। इसकी प्रमुख वजह है हवाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव तथा मौसम संबंधी चेतावनी को ध्यान में नहीं रखना। अत: कुशल प्रशिक्षण और मौसम की उचित जानकारी मुहैया कराकर विमान दुर्घटना को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।
- कानून तथा सुरक्षा मानकों को उचित रूप से लागू करना जरूरी है, ताकि दुर्घटना को रोका जा सके। साथ ही खतरनाक सामाग्रियों के परिवहन के लिए सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। ■

इंटरनेट ऑफ थिंग्स : मशीनों के मध्य वार्तालाप

प्र. इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आप क्या समझते हैं? भारत में इसके संभावित लाभों की चर्चा करते हुए इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों को बताएँ।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- देश में डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े अवसरों की तलाश के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) इंडिया कॉंग्रेस का आयोजन 22-23 अगस्त को बंगलुरू में किया जाएगा जिसमें आईओटी को मुख्यधारा में लाने की संभावनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा।

क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स?

- इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी नेटवर्किंग होती है जिसमें व्यक्ति के उपयोग की सभी चीजें टेलीविजन से लेकर मोबाइल तक इंटरनेट से जुड़ी होती हैं।
- दूसरे शब्दों में आईओटी इंटरनेट का एक नेटवर्क होता है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डाटा को एकत्रित और बदलने (Exchange) में सक्षम होता है।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स का महत्त्व

- इस तकनीक से हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर रहे सभी पदार्थों को डिवाइस विशिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरनेट से जोड़कर स्मार्ट बनाकर उनसे मनोवांछित कार्य करा सकते हैं।
- इसके द्वारा विभिन्न कार्यो की सक्षमता बढ़ती है जिससे धन और समय की बचत होती है। उदाहरण के लिए AC एवं मोबाइल को आपस में कनेक्ट कर, एसी को मोबाइल के माध्यम से घर के बाहर से भी नियंत्रित किया जा सकता है।

भारत की स्थिति

- केन्द्र सरकार ने अक्टूबर 2014 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर मसौदा नीति जारी की थी जिसे डिजिटल इण्डिया स्मार्ट सिटी पहल की परिकल्पना के साथ अप्रैल 2015 में कुछ संशोधनों के साथ जारी किया गया।
- इस नीति के तहत 2020 तक 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इंटरनेट ऑफ थिंग्स उद्योग बनाने की परिकल्पना है। इसके अलावा सरकार की तैयारी आईओटी सेंटर्स को भी डेवलप करने की भी है।

भारत को संभावित लाभ

- आईओटी इंडिया कॉंग्रेस के अनुसार भारत का आईओटी बाजार जैसे- दूरसंचार, स्वास्थ्य, वाहन, घरो, शहरों और कम्प्यूटर क्षेत्रों में वर्ष 2016 के 1.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2020 तक 9 अरब डॉलर हो जाने की संभावना है।
- यूटिलिटीज, विनिर्माण, मोटर वाहन और परिवहन तथा लॉजिस्टिक जैसे उद्योगों को भारत में सबसे अधिक स्तर पर पर अपनाए जाने से स्वास्थ्य देखभाल और कृषि जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धि की उम्मीद है।

चुनौतियाँ

- सात बिलियन से ज्यादा डिवाइस आज भी सुरक्षित नहीं हैं, ऐसे में विनिर्माण क्षेत्र को 2020 तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे नेटवर्क तकनीक को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया था, उसे समय के साथ-साथ और अपडेट नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते बहुत से वेबसाइट और सेवा 2016 में ऑफलाइन हो गया था नतीजतन बहुत से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।

आगे की राह

- आईओटी की तकनीक जहाँ मानवता के लिए लाभप्रद है, वहीं इसके नकारात्मक पहलू भी हैं। उल्लेखनीय है कि आज जहाँ इंटरकनेक्टेड पर्यावरण का निर्माण हुआ है वहीं ऑटोमेशन का भी विस्तार हुआ है। नतीजतन काम की रफ्तार कई गुणा बढ़ी है, साथ ही कार्यकुशलता और पारदर्शिता भी आई है। ■

जैव-विविधता एवं पारिस्थितिकी प्रणाली का भयावह ह्रास

प्र. जैव-विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव-विविधता क्षरण के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करते हुए इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों को बताएँ।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- संयुक्त राष्ट्र ने 06 मई, 2019 को जारी एक आकलन रिपोर्ट में कहा है कि मानवता उसी प्राकृतिक विश्व को तेजी से नष्ट कर रही है, जिस पर उसकी समृद्धि और उसका अस्तित्व टिका है।

परिचय

- जैव-विविधता जीवों के बीच पायी जाने वाली विभिन्नता है जो कि प्रजातियों में, प्रजातियों के बीच और उनकी पारितंत्रों की विविधता को भी समाहित करती है। जैव-विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रकाशन ई. ओ. विल्सन वाल्टर ने 1988 में किया था। जैव-विविधता तीन प्रकार की होती हैं- (i) आनुवंशिक विविधता, (ii) प्रजातीय विविधता; तथा (iii) पारितंत्र विविधता। प्रजातियों में पायी जाने वाली आनुवंशिक विभिन्नता को आनुवंशिक विविधता के नाम से जाना जाता है।

जैव-विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों?

- जैव-विज्ञान के अनुसार सभी जीवों की अपनी खाद्य- शृंखला होती है जिसके चलते सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में जैव-विविधता का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

भारत की जैव-विविधता की वर्तमान स्थिति

- भारत एक बहुत बड़ा जैव-विविधता वाला देश है, जहाँ दुनिया की लगभग 10% प्रजातियाँ रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के अनुसार, विश्व की 7-8% वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियाँ भारत में पायी जाती हैं।

जैव-विविधता क्षरण के कारण

- आज मानव जनसंख्या वृद्धि एवं मानवीय गतिविधियाँ आवास, विनाश

और आवास विखण्डन का प्रमुख कारण बन रही हैं जिसके कारण जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

- आज बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण जैव-विविधता के क्षरण का कारण बन रहा है।

जैव-विविधता के संरक्षण

- जैविक विविधता सम्मेलन (सीबीडी) की स्थापना विभिन्न देशों द्वारा 1992 में रियो-डी-जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।
- **नागोया प्रोटोकॉल:** पहुंच और लाभ बँटवारे पर नागोया प्रोटोकॉल (एबीएस) 29 अक्टूबर, 2010 को नागोया, जापान में अपनाया गया था।
- **रामसर सम्मेलन:** यह झीलों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग से संबंधित है।

भारत में जैव-विविधता का संरक्षण

- बाघ परियोजना (प्रोजेक्ट टाइगर), मगरमच्छ संरक्षण, ओडिशा - ओलिव रिडले कछुए।
- जैव-विविधता अधिनियम, 2002 भारत में जैव-विविधता के संरक्षण के लिए संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है।

आगे की राह

- उन प्रजातियों के संरक्षण का प्रयास किया जाना चाहिए जो संकटग्रस्त हैं।
- उन आवासों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए जहाँ प्रजातियाँ भोजन, प्रजनन तथा बच्चों का पालन-पोषण करती हैं। ■

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी दावेदारी का परीक्षण

प्र. सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी दावेदारी के संदर्भ में तर्क देते हुए इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों की चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में फ्रांस ने भारत समेत जर्मनी, ब्राजील और जापान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूनएनएससी) में स्थायी सदस्यता दिलाने पर जोर दिया है। फ्रांस ने यूएन में कहा कि इन देशों को स्थायी सदस्यता दिए जाने की जरूरत है, जिससे ये देश अपनी स्थिति को रणनीतिक रूप से सुधार सकें।

सुरक्षा परिषद का महत्त्व क्यों?

- सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके महत्त्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर ही महासभा संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य राष्ट्रों का चयन करती है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में सुरक्षा परिषद के निर्णयों को मानने के लिए सभी देश बाध्य हैं।

सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की माँग क्यों?

- शीत युद्ध के पश्चात विश्व की राजनीति में आमूलकारी परिवर्तन हुए हैं, परन्तु सुरक्षा परिषद की संरचना अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् की स्थिति को प्रकट करती है।
- सुरक्षा परिषद का वर्तमान ढाँचा यूएनओ के लोकतांत्रिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

भारत की दावेदारी का परीक्षण

- भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के उद्देश्य लगभग समान हैं।
- भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा प्रत्येक राज्य की स्वतंत्रता जैसे आदर्शों का समर्थक है, साथ ही यूएनओ के संस्थापक सदस्यों में भी वह शामिल है।

भारत के दावेदारी के समक्ष चुनौतियाँ

- भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी न्यायोचित है, परन्तु विश्व राजनीति का निर्धारण शक्ति के आधार पर होता है, न्याय और लोकतांत्रिक आदर्शों के आधार पर नहीं।
- यूएन के बजट में हिस्सेदारी और अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मामले में भारत अपेक्षाकृत अन्य दावेदारों से कमजोर नजर आता है।
- भारत के समक्ष स्थायी सदस्यता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा सुरक्षा परिषद के पाँचों स्थायी सदस्यों का समर्थन न प्राप्त करना भी रहा है।

भारत की सदस्यता की संभावना व संभावित लाभ

- भारत वर्तमान में विश्व के सभी प्रमुख समूहों का सदस्य है और विश्व का एक ऐसा देश है जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है बावजूद उसे परमाणु ईंधन और तकनीक प्राप्त हो रही है।
- क्षेत्रीय आधार पर भारत का दावा निर्णायक और महत्वपूर्ण है दरअसल सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में पहले से ही यूरोपीय देशों की संख्या समानुपातिक रूप से ज्यादा है। ऐसे में एशिया महाद्वीप से दो नए सदस्य शामिल किए जाने पर विचार चल रहा है। इस लिहाज से जापान और भारत की संभावना सर्वाधिक है।

आगे की राह

- जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए जोर-शोर से प्रयास को जारी रखना चाहिए। हाल ही में भारत ने स्थायी सदस्यता के दावेदारी को लेकर कूटनीतिक जीत हासिल की है। भारत के समर्थन में ब्रिटेन, फ्रांस, अेमरिका और रूस तक उतर आये हैं। ■

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. डब्ल्यूएचओ द्वारा औद्योगिक ट्रांस-फैट को समाप्त करने की पहल

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने औद्योगिक ट्रांस-फैट को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व पेय पदार्थ गठबंधन (IFBA) के साथ समझौता किया है। औद्योगिक ट्रांस-फैट को 2023 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रांस-फैट के कारण होने वाले कोरोनरी हृदय रोग के कारण प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। ट्रांस-फैट अकसर स्नैक्स, बेक्ड फूड तथा तले हुए खाने में होता है।

ट्रांस-फैट दो प्रकार का होता है- पहला प्राकृतिक ट्रांस-फैट और दूसरा कृत्रिम ट्रांस फैट। नेचुरल ट्रांस-फैट जानवरों और उनसे मिलने वाले खाद्य पदार्थों में संतुलित मात्रा में मौजूद होता है। इसका हमारी सेहत पर न के बराबर प्रभाव पड़ता है। वहीं कृत्रिम ट्रांस फैट इंडस्ट्रीज में प्रॉसेस किए गए वनस्पति और अन्य प्रकार के तेलों में पाया जाता है। ये सस्ते होते हैं और खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं। ट्रांस-फैट के कारण हृदय संबंधी बीमारी, हाइपरटेंशन, मोटापा और डायबिटीज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ट्रांस फैट केक, कुकीज, बिस्किट, क्रीम कैंडीज, फास्ट फूड, डोनट्स और क्रीम बेस्ड अन्य फूड आइटम में अधिक होता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने वाली संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को की गयी थी। इसके 193 सदस्य देश तथा दो संबद्ध सदस्य हैं। इसका उद्देश्य विश्व के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊँचा करना है। स्विटजरलैंड के जेनेवा शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। भारत भी इसका सदस्य देश है

विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्बंधी मामलों में सिफारिशें प्रस्तुत करता है तथा विभिन्न संधियों, समझौतों व विनियमों का प्रस्ताव रखता है। यह रोगों की अंतर्राष्ट्रीय नामावली की समीक्षित व संशोधित करता है तथा खाद्य व औषधीय पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण को विकसित एवं प्रोत्साहित करता है।

संगठन द्वारा अनिवार्य औषधि एवं टीका कार्य योजना के अंतर्गत विकासशील देशों में प्रभावी व सुरक्षित औषधियों एवं टीकों के उत्पादन, चयन व गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है। ■

2. केरल का प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम उत्सव

हाल ही में केरल का प्रसिद्ध उत्सव त्रिशूर पूरम संपन्न हुआ। इह उत्सव का आरंभ 54 वर्षीय हाथी द्वारा किया गया था। इस उत्सव के उद्घाटन समारोह में लगभग 10,000 लोग शामिल हुए। वडक्कुमनाथन मंदिर में तेचीकोत्तुकावु रामचंद्रन (Thechikottukavu Ramachandran) नामक इस गजराज को वाहन से लाया गया था। गजराज ने प्रतीकात्मक रूप से मंदिर के दक्षिणी प्रवेश द्वार को धक्का देकर खोला, जो उत्सव के शुभारंभ का संकेत था। यह उत्सव लगातार 36 घंटे तक मनाया जाता है।

उत्सव का आयोजनः यह केरल का वार्षिक उत्सव है जो वल्लुनावाडु क्षेत्र में स्थित देवी दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित है। इस उत्सव में रंग-बिरंगे परिधानों में सजे लोग तथा हाथियों की साज-सज्जा विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। त्रिशूर पूरम में रात भर जहां पटाखे चलाए जाते हैं, वहीं हाथियों की झाँकियां निकाली जाती हैं तथा प्रसाद का वितरण किया जाता है।

महत्त्वः त्रिशूर पूरम दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जिसे केरल में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव में स्थानीय ही नहीं बल्कि सैंकड़ों पर्यटक भी शामिल होते हैं। इसकी शुरूआत शक्थान थम्पूरन द्वारा की गई थी। शक्थान कोच्चि का एक शासक था। उस समय से ही दस मंदिरों को इसमें शामिल करके इस उत्सव को मनाया जाता है जिसमें परमेक्कावु, थिरुवमबाड़ी कनिमंगलम, करमकु, लल्लूर, चूरकोट्टुकरा, पनामुक्कमपल्ली, अय्यनथोले, चेम्बुकावु और नेथिलाकवु मंदिर शामिल हैं। उत्सव में 30 हाथियों को पूरी साज-सज्जा के साथ शामिल किया जाता है। इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ इलान्जिथारा मेलम नामक लाइव परफॉर्मेंस भी आयोजित की जाती हैं। इस दौरान लगभग 250 कलाकार भाग लेते हैं।

केरल के विभिन्न मंदिरों से सर्वश्रेष्ठ हाथियों को त्रिशूर के इस उत्सव में भाग लेने के लिए भेजा जाता है। यह उत्सव सुबह-सवेरे ही आरंभ कर दिया जाता है, साथ ही दुर्गा देवी को समर्पित कनिमंगलम शास्ता नामक प्रथा की शुरूआत की जाती है।

हाथियों की भूमिकाः त्रिशूर पूरम उत्सव के अंतिम दिन श्रद्धालु तीस हाथियों के साथ झाँकियां निकालते हैं, जिन्हें दो भागों में बाँटा जाता है। पहला दल थिरुवमबाड़ी मंदिर तक जाता है। दूसरा दल परमेक्कावु भागवती मंदिर की ओर जाता है। प्रत्येक दल के पास भगवान कृष्ण की मूर्ति होती है। ■

3. अपाचे हेलीकॉप्टर

हाल ही में भारतीय वायुसेना को पहला लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे गार्जियन मिल गया है। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण अमेरिका के एरिजोना में हुआ है। भारतीय वायुसेना को इससे पहले चिनूक हैवीलिफ्ट हेलीकॉप्टर मिल चुका है।

अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल करना भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस हेलीकॉप्टर के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी।

अपाचे हेलीकॉप्टर किस-किस देश के पास

अमेरिका के अलावा कई देश अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। यह हेलीकॉप्टर इजरायल, मिस्र और नीदरलैंड की सेनाओं के पास भी है। अमेरिका अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल पनामा से लेकर अफगानिस्तान और इराक तक करता है। यह हेलीकॉप्टर एक साथ कई तरह के काम करने में सक्षम है।

इस हेलीकॉप्टर को अमेरिकी सेना के एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर प्रोग्राम हेतु बनाया गया था। इसने पहली उड़ान साल 1975 में भरी थी। इसे साल 1986 में अमेरिकी सेना में शामिल किया गया था। यह विश्व में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला अटैक हेलीकॉप्टर है।

अपाचे हेलीकॉप्टर की खासियत

- बोइंग एएच-64 ई अपाचे को विश्व का सबसे ताकतवर और खतरनाक हेलीकॉप्टर माना जाता है। इस हेलीकॉप्टर से सटीक हमले किये जा सकते हैं।
- इस हेलीकॉप्टर में सटीक मार करने तथा जमीन से उत्पन्न खतरों के बीच प्रतिकूल हवाई क्षेत्र में परिचालित होने की क्षमता है। हेलीकॉप्टर के दोनों ओर 30 एमएम की दो गन लगी हैं।
- यह हेलीकॉप्टर लगभग 293 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में चालक दल के दो सदस्य होते हैं।
- यह हेलीकॉप्टर लगभग 21000 फीट की ऊँचाई तक उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर को रडार से पकड़ना बहुत ही मुश्किल है।
- इस हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 एमएम की 1,200 गोलियाँ भरी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त इस हेलीकॉप्टर में हेलिफायर और स्ट्रिंगर मिसाइलें लगी हैं।
- यह हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम या किसी भी स्थिति में दुश्मन पर हमला कर सकता है।
- भारत की जरूरत के हिसाब से इस हेलीकॉप्टर में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इसमें लगे अचूक मिसाइलें और रॉकेट जमीन पर मौजूद दुश्मनों की फौज तथा सैन्य दस्तों को तबाह करने की क्षमता रखता हैं।

पृष्ठभूमि

भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2015 में 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए अमेरिका सरकार और बोइंग लिमिटेड के साथ अरबों डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। इन हेलीकॉप्टरों की पहली खेप जुलाई 2019 तक भारत भेजे जाने का कार्यक्रम है। ■

4. ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन

ईरान ने हाल ही में 2015 की संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) नामक परमाणु समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्त्ताओं को सूचित किया कि अब वह समझौते में किए गए कुछ "स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं" का पालन नहीं करेगा। इस डील पर अमेरिका के अलावा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस ने हस्ताक्षर किये थे।

ईरान ने इन हस्तारक्षरकर्त्ता देशों को ईरान के तेल व बैंकिंग सेक्टर की सुरक्षा के लिए 60 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस परमाणु समझौते को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए तैयार किया गया था। इस डील के तहत ईरान को संवर्द्धित यूरेनियम को विदेशों में बेचना पड़ता है, व इसका उपयोग परमाणु हथियारों के लिए नहीं कर सकता है। ईरान ने इस सौदे के तहत अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित करने के लिए सहमति प्रकट की थी।

प्रभाव

- तेल की कीमतों में संभावित वृद्धि हो सकती है जो वित्तीय बाजारों में अस्थिरता का कारण बन सकती है क्योंकि यूरोपीय देशों तक 37% तेल आपूर्ति ईरान द्वारा की जाती है। JCPOA के निर्माण के बाद व्यापार संबंधों में कई आयामों का विकास हुआ है।
- अमेरिका द्वारा समझौते में स्वयं को अलग करना विशेष रूप से यूरोपीय देशों में इसकी विश्वसनीयता में कमी और NATO गठबंधन को कमजोर बना सकता है।
- यह जनसामान्य के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ पैदा करेगा।

अमेरिका समझौते से हटा क्यों?

अमेरिका का कहना है कि जो समझौता हुआ वह दोषपूर्ण है क्योंकि एक तरफ ईरान को करोड़ों डॉलर मिलते हैं तो दूसरी ओर वह हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को सहायता देना जारी किये हुए है। साथ ही यह समझौता ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने से रोक नहीं पा रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान अपने आणविक कार्यक्रम के बारे में हमेशा झूठ बोलता आया है।

भारत पर निर्णय के प्रभाव

तेल की कीमतें: ईरान वर्तमान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता देश (इराक के बाद) है और कीमतों में कोई भी वृद्धि मुद्रास्फीति के स्तर और भारतीय रुपये दोनों को भी प्रभावित करेगी।

चाबहार: अमेरिकी प्रतिबंध चाबहार परियोजना के निर्माण की गति को धीमा कर सकते हैं अथवा रोक भी सकते हैं। भारत, बन्दरगाह हेतु निर्धारित कुल 500 मिलियन डॉलर

के व्यय में इसके विकास के लिए लगभग 85 मिलियन डॉलर का निवेश कर चुका है, जबकि अफगानिस्तान के लिए रेलवे लाइन हेतु लगभग 1.6 अरब डॉलर तक का व्यय हो सकता है।

भारत, INSTC (International North–South Transport Corridor) का संस्थापक है। इसकी अभिपुष्टि 2002 में की गई थी। 2015 में JCPOA पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद ईरान से प्रतिबन्ध हटा दिए गये और INSTC की योजना में तीव्रता आई। यदि इस मार्ग से सम्बद्ध कोई भी देश या बैंकिंग और बीमा कम्पनियाँ INSTC योजना से लेन-देन करती हैं, साथ ही ईरान के साथ व्यापार पर अमेरिकी प्रतिबंधों का अनुपालन करने का निर्णय लेती हैं तो नए अमेरिकी प्रतिबंध INSTC के विकास को प्रभावित करेंगे। ■

5. भारत ने विद्रोही संगठन लिट्टे पर लगा प्रतिबंध बढ़ाया

हाल ही में भारत सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) पर लगे प्रतिबंध को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धाराएँ (1) और (3) के तहत पाँच साल और बढ़ा दिया है।

भारत सरकार के अनुसार, लिट्टे एक हिंसक पृथकतावादी अभियान शुरू करके उत्तर और पूर्वी श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल राज्य की स्थापना करना चाहता था।

केंद्र सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि लिट्टे अभी भी भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। लिट्टे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। सरकार हर दो साल के लिए लिट्टे पर प्रतिबंध लगाता है तथा दो साल बाद उसे बढ़ा दिया जाता है।

लिट्टे क्या है?

लिट्टे एक अलगाववादी संगठन है, जो औपचारिक रूप से उत्तरी श्रीलंका में सक्रिय है। यह संगठन

मई 1976 में स्थापित किया गया था। यह संगठन एक हिंसक पृथकतावादी अभियान शुरू करके उत्तर और पूर्वी श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल राज्य की स्थापना करना चाहते थे।

पृष्ठभूमि

भारत ने सबसे पहले 14 मई, 1992 को लिट्टे पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद से इस प्रतिबंध को बढ़ा दिया जाता है। भारत ने गैरकानूनी गतिविधियों संबंधी अधिनियम के अंतर्गत पड़ोसी देश श्रीलंका के विद्रोही संगठन लिट्टे पर प्रतिबंध लगाया था। वहीं इससे पहले ही यूरोपीय संघ, कनाडा और अमेरिका में भी इस संगठन पर प्रतिबंध था।

मुख्य बिंदु

- लिट्टे के संघर्ष के दौरान श्रीलंका सरकार के विरुद्ध शांति बहाली के लिए द्वीपीय देश गई भारतीय सेना को वहां बल प्रयोग करना पड़ा था।
- श्रीलंका में भारतीय सेना ने ही लिट्टे प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरन और उसके सभी प्रमुख सहयोगियों को मार कर तमिल विद्रोही संगठन का सफाया कर दिया था।
- श्रीलंका में लिट्टे ने कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। लिट्टे फिर से खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर तमिलनाडु में अपने समर्थन का आधार बढ़ा रहे हैं जो भारत की प्रभुता और अखंडता पर प्रबल विघटनकारी प्रभाव डालेगा। ■

6. लक्षद्वीप के मूल निवासियों का जेनेटिक अध्ययन

हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार लक्षद्वीप के निवासियों का जेनेटिक अध्ययन किया। यह अध्ययन CSIR (वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों के दल ने किया।

मुख्य बिंदु

वैज्ञानिकों ने कदमत, अन्दोर्थ, चेतलत, अगत्ती, कल्पेनी, बितरा, किल्तन तथा मिनिकॉय द्वीप का अध्ययन किया। वैज्ञानिकों ने आठ द्वीपों के 557 लोगों के डीएनए सैंपल का अध्ययन माइटोकोंड्रियल डीएनए तथा 166 लोगों के डीएनए का अध्ययन Y क्रोमोजोम मार्कर के लिए किया।

पहले माना जाता था कि लक्षद्वीप के लोगों में संभवत: प्राचीन लोगों जैसे अंदमानी व ऑस्ट्रेलियाई जनजातीय लोगों के समान जेनेटिक गुण हों। परन्तु इस नवीन अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि लक्षद्वीप के लोगों में दक्षिण एशिया के समान जेनेटिक गुण हैं, इसमें थोड़ा-बहुत प्रभाव पूर्व तथा पश्चिम यूरेशिया का भी है।

इस अध्ययन के अनुसार लक्षद्वीप के लोगों का घनिष्ठ जेनेटिक लिंक मालदीव, श्रीलंका तथा भारत के लोगों से है।

लक्षद्वीप के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

- पहले (1956–73) इसे लक्षद्वीप, मिनीकॉय तथा अमिन्दिवी द्वीप समूह कहा जाता था। यह भारत का केंद्रशासित प्रदेश है।
- यह बहुत सारे द्वीपों का समूह है, इसमें 36 द्वीप शामिल हैं।

- लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती में स्थित है।
- मलयालम तथा संस्कृत भाषा में "लक्षद्वीप" का अर्थ "एक लाख द्वीप" होता है।
- 9 डिग्री चैनल : मिनिकॉय को शेष लक्षद्वीप से अलग करता है।
- 8 डिग्री चैनल : यह लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ■

7. आदित्य–एल 1 सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम भारतीय मिशन

श्रीहरिकोटा से पी.एस.एल.वी.–एक्स.एल (PSLV-XL) द्वारा भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 2020 के आरम्भ में सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य– L1 अभियान आरम्भ करने की योजना बना रहा है।

आदित्य एल–1 मिशन

- इसरो द्वारा सूर्य मिशन भेजने का सबसे महत्वपूर्ण कारण सूर्य पर होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना है।
- यह अन्तरिक्ष यान सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना और क्रोमोस्फीयरों का अध्ययन करेगा और साथ ही कोरोना प्रतिप्रेषण (corona ejection) के सम्बन्ध में आँकड़े जमा करेगा। इन आँकड़ों से अन्तरिक्षीय मौसम के पूर्वानुमान के लिए सूचना प्राप्त होगी।
- पराबैंगनी किरणों का भी अध्ययन किया जा सकेगा
- आदित्य अभियान से प्राप्त आँकड़ों से सौर आँधियों की उत्पत्ति से सम्बंधित जानकारी मिलेगी। साथ ही यह पता चलेगा कि यह आंधियाँ कैसे बनती हैं और सूर्य से लेकर पृथ्वी तक पहुँचने के लिए ये अन्तरिक्ष में कौन–सा मार्ग अपनाती हैं।
- इस पूरे मिशन के लिए इसरो पृथ्वी और सूर्य के मध्य मौजूद एक बिंदु का उपयोग करेगा, जिससे लेग्रेंगियन पॉइंट–1 (एल–1) कहते हैं। आदित्य– L1 को सौर–पृथ्वी प्रणाली के लेग्रेंगियन बिंदु 1 (L1) के चारों ओर के हेलो परिक्रमा पथ में स्थापित किया जाएगा।
- इस मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा।

लेग्रेंगियन बिंदु

अन्तरिक्ष में वह स्थान जहाँ दो बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल परस्पर संतुलित रहता है। यदि उस स्थान पर कोई छोटा पिंड होता है तो वह बड़े पिंड से सदैव एक निश्चित दूरी पर रहेगा। सौर–पृथ्वी प्रणाली में ऐसे पाँच बिंदु हैं जिनको L1, L2, L3, L4 और L5 कहा जाता है।

हेलो परिक्रमा पथ

हेलो परिक्रमा पथ एक त्रिआयामी सामयिक परिक्रमा पथ है जो L1, L2 अथवा L3 के पास विद्यमान होता है। ■

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeyaofficial

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येय IAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

सात ब्रेन बूस्टर्स

रेत खनन पर यूएनइपी की रिपोर्ट

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने सैंड एण्ड सस्टेनेबिलिटी (Sand and Sustainability) नामक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि विश्व स्तर पर रेत की खपत बढ़ रही है।

1.2 साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा एवं वैश्विक रेत संसाधनों के लिए समाधान खोजने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्य

2.1 रिपोर्ट में कहा गया है कि रेत और कंकड़, पानी के बाद सर्वाधिक उपभोग एवं व्यापार किये जाने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं।

2.2 आँकड़े बताते हैं कि विश्व भर में उत्पादित सीमेंट की मात्रा दो दशकों में तीन गुना हो गई है।

2.3 भारत और चीन वैश्विक बुनियादी ढाँचे के निर्माण में अग्रणी हैं।

2.4 चीन के बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव के मुहिम से बुनियादी ढाँचे के निर्माण में कंकड़, रेत, पत्थर व अन्य निर्माण सामग्री का इस्तेमाल बहुतायत में होगा जिससे माँग में वृद्धि होगी।

2.5 रेत खनन के प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव है।

2.6 2017 के आँकड़ों के अनुसार, चीन दुनिया के दो तिहाई सीमेंट का उत्पादन करता है, जबकि भारत 270 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन करता है। भारत के बाद अमेरिका का स्थान आता है जो 86.3 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन करता है।

2.7 चीन ने पिछले 20 वर्षों में कंक्रीट उपयोग में 540 प्रतिशत तक की वृद्धि की है जो अन्य किसी भी देश से सर्वाधिक है।

पारिस्थितिक क्षति

3.1 रेत के अविवेकी, अवैध तथा पर्यावरण विरोधी खनन का मामला बहुत पुराना है। सीमेंट के आविष्कार के बाद रेत के उपयोग में तेजी आई तथा यह सामान्य घरों के निर्माण में भी प्रयुक्त होने लगी।

3.2 रियल स्टेट के क्षेत्र को अच्छा-खासा बढ़ावा मिलने के कारण मकानों का बनना कई गुना बढ़ गया है और उसी अनुपात में रेत का उपयोग बढ़ा है। रेत के बढ़ते उपयोग के कारण रेत के खनन में भी अकल्पनीय वृद्धि हुई है।

3.3 इसके कारण नदियों से रेत निकालने के काम में अविवेकी, अवैध तथा पर्यावरण विरोधी खनन को भी बढ़ावा मिला है। इस खनन ने समाज के प्रबुद्ध वर्ग का ध्यान आकर्षित किया है।

3.4 इस कारण पिछले अनेक सालों से नदी पर आस्था रखने वाला समाज, आजीविका के लिये निर्भर गरीब लोग, सरकारें, पर्यावरण तथा उसकी चिन्ता करने वाले वैज्ञानिक तथा अन्य लोग चिन्ता कर रहे हैं। इसी कारण मीडिया भी समय-समय पर इस मुद्दे और उससे जुड़ी गैर कानूनी घटनाओं को प्रमुखता से उठाता रहा है।

सुझाव

4.1 नदी वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, नदी की जैव-विविधता के जानकारों के साथ-साथ भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान विभाग तथा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स, राज्य सरकारों के खनन मंत्रालयों, मछली पालन, घड़ियाल अभयारण्यों, जंगली जीवों के विशेषज्ञों और देश के जाने-माने वैज्ञानिकों के सहयोग से रेत के खनन के नियम तथा नीति तय करायी जानी चाहिए।

4.2 अनेक नदियों के कछार में अभयारण्य मौजूद हैं। इन अभयारण्यों में वन्य जीव-जन्तुओं के लिये सुरक्षित आवास का इन्तजाम किया जाता है। इन क्षेत्रों में नदियों में पानी की व्यवस्था का आधार रेत के अलावा यही आवास भी होता है। पहाड़ी इलाकों में नदी में रेत के स्थान पर सामान्यतः बोल्डर मिलते हैं। उचित होगा कि उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला जाये तथा समाज को जागरूक किया जाए।

4.3 रेत के अविवेकी, अवैध तथा पर्यावरण विरोधी खनन को कानून बनाकर या समाज को जागरूक कर खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिये व्यवस्था परिवर्तन एक तरीका हो सकता है।

4.4 रेत, बजरी, मिट्टी और पत्थरों के अविवेकी, अवैध तथा पर्यावरण विरोधी खनन का काम वैज्ञानिक आधार पर करने के लिये माइनिंग विभाग के लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।

4.5 भारत की अनेक नदियों के प्रवाह में गाद तथा रेत का जमाव अवरोध पैदा कर रहा है। ऐसे स्थानों की पहचान कर अतिरिक्त रेत को आउटलेट पर कलम-जोड़ वाले वाहनों से या रेल मार्ग से ले जाया जा सकता है। इस व्यवस्था से नदी के प्रवाह को अवरुद्ध करने वाली रेत से निजात पाने में मदद मिलेगी।

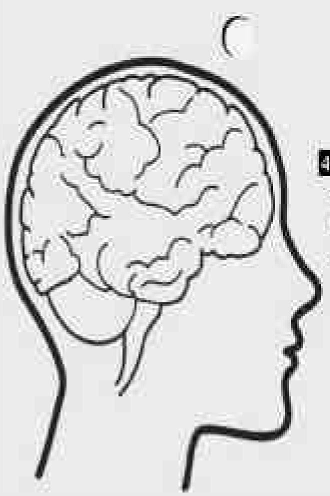

प्रशांत दशकीय दोलन

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान, पुणे और असम विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं ने पाया कि पूर्वोत्तर भारत जो पृथ्वी पर सबसे अधिक शुष्क स्थानों में से एक है, तेजी से सूख रहा है।

शोधकर्त्ताओं ने क्या पाया?

2.1 शोधकर्त्ताओं की टीम ने पाया कि पूर्वोत्तर भारत में सूखे की स्थिति पिछले 30 वर्षों में बढ़ी है, जो प्रशांत दशकीय दोलन के कारण हुई है।

2.2 प्रशांत दशकीय दोलन के कारण जहाँ मानसून के दौरान 3,000 मि.मी. तक बारिश होती थी, अब इन क्षेत्रों में बारिश में लगभग 25 से 30 प्रतिशत की कमी देखी गई है।

2.3 शोधकर्त्ताओं ने 1901-2014 की अवधि के दौरान डेटा का संग्रहण किया, जिसके परिणामस्वरूप जानकारी मिली कि पिछले 114 वर्षों में विश्व के प्रमुख हिस्सों में मानव निर्मित कारकों से वर्षा में कमी देखी गई।

2.4 इसके अलावा अध्ययन में यह जानकारी मिली कि पिछले 36 वर्षों के दौरान प्राकृतिक घटनाओं में वृद्धि देखी गई है।

2.5 पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवल 7 प्रतिशत वर्षा स्थानीय नमी पुनर्चक्रण से हो रही है जिसका अर्थ है कि मानवजनित गतिविधियाँ इस क्षेत्र को भी प्रभावित कर रही हैं।

प्रशांत दशकीय दोलन क्या है?

3.1 प्रशांत दशकीय दोलन (Pacific Decadal Oscillation) जलवायु परिवर्तनशीलता का एक पैटर्न है, जिसे अलनीनो के समान वर्णित किया जाता है।

3.2 प्रशांत दशकीय दोलन 20 से 30 वर्षों तक समान या एक ही चरण में रह सकता है, जबकि अलनीनो (ENSO) चक्र आम तौर पर 6 से 18 महीने तक रहता है।

3.3 अलनीनो के समान ही प्रशांत दशकीय दोलन में एक गर्म और ठंडा चरण होता है, जो ऊपरी स्तर के वायुमंडलीय हवाओं को बदल देता है।

3.4 विशेषज्ञों के अनुसार, जब समुद्र की सतह का तापमान आंशिक रूप से उत्तरी प्रशांत में ठंडा होता है और प्रशांत तट के किनारे गर्म होता है तथा जब उत्तरी प्रशांत पर समुद्र स्तरीय दबाव औसत से कम होता है तो प्रशांत दशकीय दोलन का मान धनात्मक होता है।

प्रशांत दशकीय दोलन का प्रभाव

4.1 उत्तरी अटलांटिक दोलन और प्रशांत दशकीय दोलन के बीच अंतर्संबंध है, इसलिए इन महासागर-केन्द्रित वायुमण्डलीय प्रतिरूपों का सीधा प्रभाव खाद्य उत्पादन पर पड़ता है।

4.2 प्रशांत दशकीय दोलन से वैश्विक जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, जिससे सूखा, प्रशांत बेसिन के चारों ओर बाढ़, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता पर नकारात्मक असर तथा वैश्विक भूमि तापन में वृद्धि हो सकती है।

4.3 विश्लेषकों का मानना है कि यदि ENSO और प्रशांत दशकीय दोलन, दोनों एक ही चरण में हैं तो यह माना जा सकता है कि अलनीनो/लानीना का प्रभाव बढ़ सकता है।

4.4 इसके विपरीत यदि ENSO और प्रशांत दशकीय दोलन दोनों एक दूसरे के विपरीत चरण में हैं तो यह माना जा सकता है कि अलनीनो/लानीना का प्रभाव कम होगा।

बिजली गिरने की बारम्बारता

चर्चा का कारण

1.1 वैज्ञानिकों का मानना है कि बिजली की आवृत्ति और तीव्रता समय के साथ और बढ़ सकती है। इसका कारण यह है कि दुनिया गर्म और अधिक प्रदूषित होती जा रही है।

1.2 भारत में बिजली गिरने से प्रतिवर्ष 2500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है।

अर्बन हीट आइलैंड में योगदान देने वाले कारक

2.1 अर्बन हीट आइलैंड (यूएचआई) वैसे महानगरीय इलाके को कहा जाता है, जो मानवीय गतिविधियों के कारण अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में अत्यधिक गर्म होता है।

2.2 यूएचआई प्रभाव मुख्यतः जमीन की सतह में परिवर्तन यानी बढ़ते शहरीकरण (जिसमें लघु तरंग विकिरण को संचित करने वाली सामग्रियों जैसे कंक्रीट, डामर आदि का उपयोग होता है) के कारण होता है।

2.3 इसके अलावा ऊर्जा के उपयोग से उत्पन्न ताप में बढ़ोत्तरी, पेड़-पौधों में कमी, वाहनों की बढ़ती संख्या तथा बढ़ती आबादी का भी इसमें योगदान होता है।

2.4 कभी-कभी ऐसे क्षेत्रों को भी ग्रीष्म द्वीप कहा जाता है, जहाँ की आबादी भले ही ज्यादा न हो, पर आसपास के इलाकों की तुलना में वहाँ का तापमान लगातार बढ़ता रहता है।

2.5 शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट के अत्यधिक उपयोग से सौर विकिरण इमारतों में ही समा जाती है, जिससे इसका परावर्तन पूरी तरह से नहीं हो पाता है।

2.6 शहरी क्षेत्रों में ऊँची इमारतों और वाहनों से निकलने वाली गर्म हवा और कार्बन उत्सर्जन को वातावरण में घुलने की जगह नहीं मिलती जिससे यह इमारतों के बीच ही फँस कर रह जाती है।

2.7 शहरों से निकली गर्म हवा का स्थान भरने के लिए ठण्डी हवा धरातल की ओर बढ़ती है किन्तु यदि ठण्डी हवा में पर्याप्त नमी उपलब्ध हो तो ये संवहनी बादलों का निर्माण कर सकती हैं जिससे मौसम अस्थिर हो सकता है।

आकाशीय बिजली क्या है?

3.1 कड़क के साथ आसमान से गिरने वाली बिजली को तड़ित कहते हैं। अंग्रेजी में इसे Lightning कहते हैं। आकाश में बादलों के बीच घर्षण होने से अचानक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज निकलती है, जिससे ये तेजी से आसमान से जमीन की तरफ आता है।

3.2 इस दौरान हमें तेज कड़क आवाज सुनाई देती है और बिजली की स्पार्किंग की तरह प्रकाश दिखाई देता है। इसी पूरी प्रक्रिया को आकाशीय बिजली कहते हैं।

अर्बन हीट आइलैंड के प्रभाव

4.1 न्यूयॉर्क, टोक्यो, मुंबई, दिल्ली जैसे महानगर अर्बन हीट आइलैंड के उदाहरण हैं। यूएचआई की वजह से शहरों में मासिक वर्षा बढ़ जाती है।

4.2 तापमान बढ़ने से फसलों के बढ़ने का मौसम भी बढ़ जाता है। यूएचआई की वजह से प्रदूषण बढ़ता है, वायु एवं जल की गुणवत्ता घटती है, जिससे पूरे पारिस्थितिकी पर दबाव बनता है।

4.3 मानव स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। यूएचआई शहरों में गर्म हवाओं (लू) के परिमाण एवं अवधि को बढ़ाते हैं, जिससे काफी मौतें होती हैं।

प्रदूषण का असर

5.1 कई शोधों से ज्ञात हुआ है कि प्री मॉनसून वर्षा से मॉनसून की बारिश की तुलना में अधिक बिजली गिरती है, जिसका कारण एरोसोल (सूक्ष्म ठोस कणों अथवा तरल बूंदों के हवा या किसी अन्य गैस में कोलाइड को एरोसोल (Aerosol) कहा जाता है) है।

5.2 प्री मॉनसून सीजन में वायु प्रदूषकों की सांद्रता उच्च होती है, जिससे बिजली के गिरने की आशंका बढ़ जाती है।

5.3 सामान्य मॉनसून के दौरान समुद्र से स्वच्छ हवा का प्रवाह होता है, जो प्रदूषण के स्तर को कम करता है। इसके अलावा बादल मॉनसून के दौरान काफी कम ऊँचाई पर होते हैं, जो बादल के भीतर संवहन ऊर्जा को कम कर देता है जिससे बिजली गिरने की घटना होती है।

सुझाव

6.1 शहरों में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए। ऊर्जा की कम खपत और कम उत्सर्जन करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाना चाहिए। अगर खाली जगह न हो, तो घरों की छतों और बालकनी में पौधे लगाए जा सकते हैं।

6.2 छतों पर सूरज की गर्मी को परावर्तित करने वाली तकनीक लगाई जा सकती है। पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने से भरपूर बारिश होगी जिससे यह प्रभाव कम होता है।

डबल एस्टरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह स्पेसएक्स क्षुद्रग्रह के साथ स्पेसक्राफ्ट को टकराने के लिए एक मिशन लॉन्च करेगा।

1.2 इसके लिए स्पेस एक्स डबल एस्टरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट (DART) ग्रहीय सुरक्षा मिशन लॉन्च करेगा।

डार्ट क्या है?

2.1 डबल एस्टरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट (DART) एक प्रस्तावित मिशन है, इसका उद्देश्य ग्रहीय सुरक्षा के लिए स्पेसक्राफ्ट को क्षुद्रग्रह के साथ टकराने के प्रभावों को प्रदर्शित करना है।

2.2 इस मिशन से यह पता चल सकेगा कि पृथ्वी की ओर आने वाले क्षुद्रग्रह को स्पेसक्राफ्ट के प्रभाव के द्वारा मार्ग से हटाया जा सकता है अथवा नहीं।

डार्ट टेस्ट के प्रमुख तथ्य

3.1 डबल एस्टरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट (DART) को जून, 2021 में कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से फाल्कन-9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जायेगा।

3.2 यह स्पेसक्राफ्ट अक्टूबर, 2022 में डिडीमोस क्षुद्रग्रह के 540 फुट चौड़े उपग्रह 'डिडीमून' के साथ टकराएगा। यह पृथ्वी से लगभग 4 मिलियन मील दूर है।

3.3 वैज्ञानिक टेलिस्कोप की सहायता से इस घटना का अध्ययन करेंगे और 'डिडीमून' की कक्षा में आने वाले परिवर्तन को मापेंगे।

3.4 वैज्ञानिकों का उद्देश्य इसे अपने मार्ग से हल्का सा विचलित करना है। यह क्षुद्रग्रह की दिशा में परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त है।

3.5 डबल एस्टरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट (DART) किसी क्षुद्रग्रह पर विस्फोट करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट नहीं है। हाल ही में जापान के हायाबुसा-2 स्पेसक्राफ्ट ने रायगु नामक क्षुद्रग्रह पर विस्फोट किया था।

क्षुद्रग्रह क्या हैं?

4.1 क्षुद्रग्रह या एस्टरॉयड दरअसल, एक खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्माण्ड में विचरण करते रहते हैं।

4.2 यह अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं।

4.3 क्षुद्रग्रह का अर्थ है तारा-जैसे, तारा-आकार, उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में क्षुद्रग्रह शब्द का प्रचलन शुरू हुआ था।

4.4 क्षुद्रग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्रग्रह पाये जाते हैं।

सौरमंडल के बाहर क्षुद्रग्रह की खोज

5.1 वर्ष 2017 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (नासा) ने पहली बार हमारे सौरमंडल के बाहर से आए किसी क्षुद्रग्रह को खोजने का दावा किया है।

5.2 वैज्ञानिकों का कहना था कि खोज से कुछ समय पहले यह हमारे सौरमंडल से गुजरा था। यह गहरे लाल रंग और सिगार के आकार का था।

5.3 यह किसी अन्य सौरमंडल के तारों के बीच से आया था। वैज्ञानिकों ने इसे 'ओउमुआमुआ' नाम दिया था, इसकी लंबाई हमारे सौरमंडल में आज तक खोजे गए किसी भी क्षुद्रग्रह से बहुत ज्यादा है।

मिशन हायाबुसा-2

6.1 जापानी स्पेस एजेंसी JAXA के अन्तरिक्ष मिशन हायाबुसा-2 ने हाल ही में एस्टरॉयड (क्षुद्रग्रह) रायगु पर सफलतापूर्वक विस्फोटक गिराया है। विस्फोटक गिराने का उद्देश्य एस्टरॉयड पर क्रेटर का निर्माण करना है तथा मलबे को एकत्रित करके पृथ्वी के निर्माण के रहस्यों का पता लगाना है।

6.2 जापान का हायाबुसा-2 अंतरिक्ष यान साढ़े तीन साल की यात्रा के बाद पृथ्वी से 30 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित एस्टरॉयड (क्षुद्रग्रह) रायगु पर पहुंचा था।

6.3 जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने रायगु से जीवन की उत्पत्ति से पर्दा उठाने वाले नमूने एकत्रित करने के लिए दिसंबर, 2014 में यह अभियान लॉन्च किया था।

6.4 वैज्ञानिकों का मानना है कि एस्टरॉयड सौरमंडल विकसित होने के शुरुआती समय में ही बन गए थे। रायगु पर जैविक पदार्थ, पानी और ऑक्सीजन की उत्पत्ति के लिए जरूरी तत्व भारी मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं।

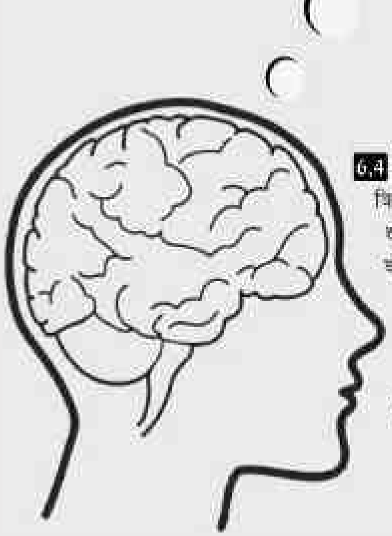

दलबदल अधिनियम

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के दो विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

1.2 ज्ञातव्य है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप के बाद तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष ने दोनों विधायकों को दल बदल रोधी कानून के तहत नोटिस जारी किया था।

1.3 चीफ जस्टिस रंजन गोगोई व जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने एआईडीएमके विधायक वीटी कलाईसेल्वन और ई रथिनासबपथी की याचिका पर विधान सभा अध्यक्ष को नोटिस जारी कर कार्यवाही पर रोक लगा दी।

दलबदल विरोधी कानून

2.1 दलबदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में जोड़ा गया है जिसे संविधान के 52वें संशोधन के माध्यम से वर्ष 1985 में पारित किया गया था।

2.2 यह निर्वाचित सदस्यों के दलबदल पर अंकुश लगाता है। यह अधिनियम संसद एवं विधान सभा के सभी सदस्यों पर लागू होता है।

विशेषताएँ

3.1 संसद अथवा विधान सभा के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यदि वह स्वेच्छा से उस दल से त्यागपत्र दे दे, जिसके टिकट पर वह चुना गया था।

3.2 यदि वह अपने दल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, जारी किए गए निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है। किंतु यदि उसका राजनीतिक दल अथवा दल का प्राधिकारी या अधिकृत व्यक्ति उसे 15 दिन में क्षमा कर दे तो सदस्यता बनी रहेगी।

3.3 यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

3.4 यदि कोई मनोनीत सदस्य स्थान ग्रहण करने के 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

3.5 सदस्यता समाप्त करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति का होगा।

3.6 राज्यों में सदस्यता समाप्त करने का अधिकार विधानसभाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति का होगा।

दलबदल निरोधक कानून निम्न आधार पर लागू नहीं होगा

4.1 सदन के सदस्यों की सदस्यता तब समाप्त नहीं होती, अगर सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 सदस्य राजनीतिक दल के विभाजन के परिणामस्वरूप उसकी सदस्यता का परित्याग करते हैं, या 2/3 सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं और पृथक् समूह के रूप में कार्य करने का निश्चय करते हैं तथा बाद में उनका विलय किसी अन्य राजनीतिक दल में हो जाता है।

4.2 लोकसभा एवं विधान सभा के अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति चाहे तो अपने निर्वाचन के पश्चात् अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। किन्तु एक बार इस्तीफा देने के बाद पद पर रहते हुए वे पुनः पार्टी में शामिल होते हैं तो अयोग्य घोषित किये जाते हैं। इसका निर्णय पीठासीन अधिकारी करेगा।

4.3 यदि किसी सांसद को पार्टी द्वारा निष्कासित किया जाये। यदि किसी राजनैतिक पार्टी का अन्य दल में विलय हो रहा है और यदि उसका कोई सदस्य उससे बाहर होना चाहता है तो उस पर दलबदल कानून लागू नहीं होगा, साथ ही, कोई पार्टी किसी सदस्य की पार्टी सदस्यता समाप्त कर दे तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं की जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

5.1 दलबदल कानून में प्रारम्भ में यह प्रावधान था कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के योग्य नहीं है किन्तु 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को हटा दिया।

5.2 वर्तमान में पीठासीन अधिकारी के निर्णय के खिलाफ सांसद या विधायक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, हालाँकि पीठासीन अधिकारी जब तक अपना निर्णय नहीं देता है, तब तक न्यायालय का कोई न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है।

समुद्र में बढ़ी रेडियोएक्टिव कार्बन की मौजूदगी

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सबसे गहरी समुद्री गर्त मानी जाने वाली मारियाना ट्रेंच के जीवों में रेडियोएक्टिव कार्बन की मौजूदगी पाई है।

1.2 वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण का असर समुद्र की गहराई तक उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से पहुंच रहा है।

प्रमुख तथ्य

2.1 पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित इस मारियाना ट्रेंच की गहराई करीब 11 किलोमीटर है। यह रेडियोएक्टिव कार्बन पिछली सदी में किए गए परमाणु परीक्षणों के कारण वातावरण में फैला था।

2.2 जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, समुद्र की सतह पर रहने वाले जीव वातावरण में होने वाले प्रदूषण से सीधे प्रभावित होते हैं। मरने के बाद ये जीव नीचे समुद्र के तल तक पहुंच जाते हैं।

2.3 वहां समुद्री गर्त में रहने वाले जीवों के लिए यही मृत जीव भोजन होते हैं। इसी खाद्य शृंखला के जरिये वातावरण का प्रदूषण उम्मीद से कहीं ज्यादा-जल्दी समुद्री गर्त तक पहुंच जाता है।

2.4 चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज के अनुसार रेडियोएक्टिव कार्बन वाले पानी को समुद्र के तल तक पहुंचने की प्रक्रिया में सैकड़ों साल लग जाते हैं लेकिन खाद्य चक्र का हिस्सा बनकर यह कार्बन बहुत तेजी से वहां तक अपनी पहुंच बना लेता है।

2.5 वैज्ञानिकों का मानना है कि ऊपरी सतह और तल के बीच जैविक व्यवस्था के जरिये मजबूत चक्र बना हुआ है। इस चक्र के चलते इंसानों की आदत समुद्र में 11,000 मीटर नीचे बसे जीवों पर भी असर डाल सकती है।

2.6 पहले ऐसा अनुमान नहीं था, लेकिन इसे आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए भविष्य में हमें अपने व्यवहार को लेकर सतर्क रहना होगा।

2.7 इन नतीजों से वैज्ञानिकों को यह समझने में भी मदद मिली है कि गहरे समुद्र के कम पोषक वातावरण में जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। वहां बहुत ज्यादा दबाव होता है और तापमान बहुत कम होता है।

2.8 वैज्ञानिकों ने पाया कि वहां पाए जाने वाले जीवों का मेटाबॉलिज्म बहुत धीरे काम करता है। यह धीमापन ही जटिल वातावरण में इन जीवों को जीवित रहने में मदद करता है।

रेडियोएक्टिव कार्बन क्या है?

3.1 कार्बन-14 एक रेडियोएक्टिव कार्बन है। वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन से आकाशीय किरणों का संपर्क होने से प्राकृतिक तौर पर इसका निर्माण होता है।

3.2 प्रकृति में सामान्य कार्बन की तुलना में इसकी उपस्थिति बेहद कम है। हालांकि लगभग हर जैविक तत्व में इसका अंश होता है।

3.3 विभिन्न पुरातत्व व भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के दौरान वैज्ञानिक इसी कार्बन की मदद से उनके काल का पता लगाते हैं।

परमाणु परीक्षणों से बढ़ा स्तर

4.1 1950 और 1960 के दशक में हुए परमाणु हथियारों के परीक्षण के दौरान मुक्त हुए न्यूट्रॉन और वातावरण की नाइट्रोजन में क्रिया से कार्बन-14 का निर्माण हुआ।

4.2 इससे वातावरण में मौजूद कार्बन-14 का स्तर करीब दोगुना हो गया। 1960 के दशक के मध्य में बम के कारण बने इस कार्बन का स्तर सर्वाधिक था।

4.3 फिर परमाणु परीक्षणों का दौर थमने से इसमें गिरावट आने लगी। 1990 के दशक में कार्बन-14 का स्तर काफी हद तक कम हो गया था।

वातावरण से समुद्र में घुला

5.1 परमाणु बमों के परीक्षण के कारण बना कार्बन-14 वातावरण से नीचे गिरते हुए समुद्र के सतह के जल में मिल गया।

5.2 उन दशकों में समुद्री सतह पर मौजूद जीवों की कोशिकाओं के निर्माण में कार्बन-14 ने भूमिका निभाई।

5.3 परमाणु परीक्षणों के शुरुआत के कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने समुद्री जीवों में कार्बन-14 का स्तर बढ़ा हुआ पाया था।

बीआरएस सम्मेलन

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में दुनिया से प्लास्टिक कचरे की समस्या को खत्म करने के लिए 187 देशों ने तय किया है कि अमीर देशों से गरीब देशों में प्लास्टिक कचरा नहीं भेजा जाएगा।

1.2 इन देशों ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुए बीआरएस (Basel Convention (COP-14), Rotterdam Convention (COP-9) Stockholm Convention (COP-9) कार्यक्रम में संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

बेसल सम्मेलन

2.1 सीमा पार घातक पदार्थों का आवागमन तथा निष्पादन को नियंत्रित करने वाली बेसल सम्मेलन एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो घातक अपशिष्टों के विभिन्न देशों में फैलने को कम करने तथा घातक अपशिष्ट को विकसित देशों से कम विकसित देशों में स्थानांतरण को रोकने में सहायक है। हालाँकि यह रेडियोएक्टिव अपशिष्टों के स्थानांतरण को संबोधित नहीं करती।

2.2 यह संधि तब स्वीकृति में आई जब 1980 में अफ्रीका तथा प्रगतिशील देशों के अनेक भागों में विदेशों से आयातित जहरीले पदार्थ बहुतायत में पाये गए तथा 1980 में पर्यावरण के लिए बढ़ती जागरूकता तथा पर्यावरण संबंधी नियमों को औद्योगिक विश्व में सख्त बनाने के कारण आम जनता में घातक पदार्थों के निष्पादन हेतु संघर्ष बढ़ा है।

बेसल संधि के लक्ष्य

3.1 घातक अपशिष्टों के उत्पादन को कम करना तथा घातक अपशिष्टों का पर्यावरण मैत्रीपूर्ण तरीकों से निष्पादन को बढ़ावा देना चाहे निष्पादन का स्थान कोई भी हो।

3.2 घातक अपशिष्टों के सीमापार निष्पादन को प्रतिबंधित करना, केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें वह निष्पादन पर्यावरण मैत्रीपूर्ण तरीके से किया जाए।

3.3 एक ऐसा कार्यशील तंत्र बनाया जाए जिससे उन समयों को नियंत्रित किया जाए, जहाँ सीमा पार आवागमन की आवश्यकता हो।

रॉटरडम संधि

4.1 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ घातक रसायनों तथा कीटनाशकों संबंधी अग्रिम सूचित आज्ञा संबंधी संधि को रोटरडम संधि कहते हैं।

4.2 यह संधि जानकारी के आदान-प्रदान तथा घातक रसायनों के सही नामकरण तथा सुरक्षित उपयोग और उन पर लगे प्रतिबंधों की जानकारी उपलब्ध कराने पर बल देती है।

4.3 इस पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र यह निर्धारित करते हैं कि इस संधि में नामांकित रसायनों के आयात की अनुमति दी जाए या उन्हें प्रतिबंधित किया जाए तथा निर्यात करने वाले राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उत्पादक लगाए गए नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं।

स्टॉकहोम संधि

5.1 स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर आधारित स्टॉकहोम संधि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी संधि है जो 2001 में हस्ताक्षरित हुई तथा मई 2004 से लागू हुई।

5.2 यह संधि स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के उत्पादन एवं प्रयोग को प्रतिबद्ध या समाप्त करने पर बल देती है।

महासागरों में प्लास्टिक कचरों की भरमार

6.1 दुनिया में सालाना 30 करोड़ टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है। रिसर्चर्स के मुताबिक दुनिया भर के महासागरों में 10 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पाया जाता है। इसमें से 90 फीसदी कचरा सिर्फ दस नदियों के जरिए समुद्र में पहुंचता है। इसमें भारत की सिंधु और गंगा नदी भी शामिल हैं।

6.2 द गार्जियन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र में मौजूद प्लास्टिक कचरे के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था को सालाना 2.5 लाख करोड़ डॉलर (174.83 लाख करोड़ रुपए) का नुकसान होता है।

अमीर देशों द्वारा कचरे का निस्तारण

7.1 अमीर देश बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करते हैं, लेकिन उसकी रिसाइक्लिंग नहीं कर पाते। ऐसे में वे अपना कचरा गरीब देशों में डंप कर देते हैं। गरीब देशों की रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री इसी कचरे पर चलती है।

7.2 कई बार ये देश उनसे यह कचरा खरीद लेते हैं, जिसमें से वे अपने काम की कई चीजें निकाल लेते हैं। अमेरिका कई दशकों तक चीन को अपना प्लास्टिक कचरा सस्ते दामों पर निर्यात करता रहा।

7.3 कनाडा बड़ी मात्रा में अपना कचरा फिलीपींस के मनीला शहर के बंदरगाह पर डंप करता है।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. रेत खनन पर यूएनइपी की रिपोर्ट

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार विश्व स्तर पर रेत की खपत घटी है।
2. चीन के बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव के मुहिम से बुनियादी ढाँचे के निर्माण में कंकड़, रेत, पत्थर व अन्य निर्माण सामग्री का इस्तेमाल बहुतायत में होगा जिससे मांग में वृद्धि होगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने सैंड एण्ड सस्टेनेबिलिटी (Sand and Sustainability) नामक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि विश्व स्तर पर रेत की खपत बढ़ रही है। 2017 के आँकड़ों के अनुसार, चीन दुनिया के दो तिहाई सीमेंट का उत्पादन करता है, जबकि भारत 270 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन करता है। भारत के बाद अमेरिका का स्थान आता है जो 86.3 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन करता है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है।■

2. प्रशांत दशकीय दोलन

प्र. प्रशांत दशकीय दोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. पूर्वोत्तर भारत में सूखे की स्थिति पिछले 30 वर्षों में बढ़ी है, जो प्रशांत दशकीय दोलन के कारण हुई है।
2. प्रशांत दशकीय दोलन 20 से 30 वर्षों तक समान या एक ही चरण में रह सकता है, जबकि अलनीनो (ENSO) चक्र आम तौर पर 6 से 18 महीने तक रहता है।
3. अलनीनो के विपरीत प्रशांत दशकीय दोलन में ठंडा चरण होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में भारतीय उष्टणकटिबंधीय मौसम विज्ञान, पुणे और असम विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं ने पाया कि पूर्वोत्तर भारत जो पृथ्वी पर सबसे अधिक शुष्क स्थानों में से एक है, तेजी से सूख रहा है। शोधकर्त्ताओं की टीम ने पाया कि पूर्वोत्तर भारत में सूखे की स्थिति पिछले 30 वर्षों में बढ़ी है, जो प्रशांत दशकीय दोलन के कारण हुई है। प्रशांत दशकीय दोलन 20 से 30 वर्षों तक समान या एक ही चरण में रह सकता है, जबकि अलनीनो (ENSO) चक्र आम तौर पर 6 से 18 महीने तक रहता है। अलीनीनो के समान ही प्रशांत दशकीय दोलन में एक गर्म और ठंडा चरण होता है, जो ऊपरी स्तर के वायुमंडलीय हवाओं को बदल देता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है। ■

3. बिजली गिरने की बारम्बारता

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अर्बन हीट आइलैंड (यूएचआई) वैसे महानगरीय इलाके को कहा जाता है, जो मानवीय गतिविधियों के कारण अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में अत्यधिक गर्म होता है।
2. यूएचआई का प्रभाव मुख्यतः जमीन की सतह में परिवर्तन यानी शहरीकरण के कारण होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः वैज्ञानिकों का मानना है कि बिजली की आवृत्ति और तीव्रता समय के साथ और बढ़ सकती है। इसका कारण यह है कि दुनिया गर्म और अधिक प्रदूषित होती जा रही है। यूएचआई प्रभाव मुख्यतः जमीन की सतह में परिवर्तन यानी बढ़ते शहरीकरण (जिसमें लघु तरंग विकिरण को संचित करने वाली सामग्रियों, जैसे कंक्रीट, डामर आदि का उपयोग होता है) के कारण होता है। इसके अलावा ऊर्जा के उपभोग से उत्पन्न ताप में बढ़ोतरी, पेड़-पौधों में कमी, वाहनों की बढ़ती संख्या तथा बढ़ती आबादी का भी इसमें योगदान होता है। इस प्रकार दिये गए दोनों कथन सही हैं। ■

4. डबल एस्टरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट

प्र. डबल एस्टरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह स्पेसएक्स क्षुद्रग्रह के साथ स्पेसक्राफ्ट को टकराने के लिए एक मिशन लॉन्च करेगा।

2. डबल एस्टरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट (DART) एक प्रस्तावित मिशन है, इसका उद्देश्य ग्रहीय सुरक्षा के लिए स्पेसक्राफ्ट को क्षुद्रग्रह के साथ टकराने के प्रभावों को प्रदर्शित करना है।
3. डबल एस्टरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट किसी क्षुद्रग्रह पर विस्फोट करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 3

उत्तरः (d)

व्याख्या: डबल एस्टरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट (DART) को जून, 2021 में कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से फाल्कन-9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जायेगा। डबल एस्टरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट (DART) किसी क्षुद्रग्रह पर विस्फोट करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट नहीं है। हाल ही में जापान के हायाबुसा-2 स्पेसक्राफ्ट ने रायगु नामक क्षुद्रग्रह पर विस्फोट किया था। इस प्रकार कथन 3 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

5. दलबदल अधिनियम

प्र. दलबदल अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. दलबल कानून में प्रारम्भ में यह प्रावधान था कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के योग्य नहीं है किन्तु 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को हटा दिया।
2. संसद अथवा विधान सभा के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यदि वह स्वेच्छा से उस दल से त्यागपत्र दे दे, जिसके टिकट पर वह चुना गया था।
3. दलबदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में जोड़ा गया है जिसे संविधान के 52वें संशोधन के माध्यम से वर्ष 1985 में पारित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्या: दलबदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में जोड़ा गया है जिसे संविधान के 52वें संशोधन के माध्यम से वर्ष 1985 में पारित किया गया था। यह निर्वाचित सदस्यों के दलबदल पर अंकुश लगाता है। यह अधिनियम संसद एवं विधान सभा के सभी सदस्यों पर लागू होता है। दलबल कानून में प्रारम्भ में यह प्रावधान था कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के योग्य नहीं है किन्तु 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को हटा दिया। इस प्रकार दिए गए सभी कथन सही हैं। ■

6. समुद्र में बढ़ी रेडियोएक्टिव कार्बन की मौजूदगी

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कार्बन-14 एक रेडियोएक्टिव कार्बन है। वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन से आकाशीय किरणों का संपर्क होने से प्राकृतिक तौर पर इसका निर्माण होता है।
2. विभिन्न पुरातत्व व भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के दौरान वैज्ञानिक इसी कार्बन की मदद से उनके काल का पता लगाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्या: हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सबसे गहरी समुद्री गर्त मानी जाने वाली मारियाना ट्रेंच के जीवों में रेडियोएक्टिव कार्बन की मौजूदगी पाई है। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण का असर समुद्र की गहराई तक उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से पहुंच रहा है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

7. बीआरएस सम्मेलन

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. रॉटरडम संधि घातक अपशिष्टों के सीमापार निष्पादन को प्रतिबंधित करता है।
2. बेसल संधि स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर आधारित है जो मई 2004 से लागू हुई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्या: अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ घातक रसायनों तथा कीटनाशकों संबंधी अग्रिम सूचित आज्ञा संबंधी संधि को रोटरडम संधि कहते हैं। यह संधि जानकारी के आदान-प्रदान तथा घातक रसायनों के सही नामकरण तथा सुरक्षित उपयोग और उन पर लगे प्रतिबंधों की जानकारी उपलब्ध कराने पर बल देती है। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर आधारित स्टॉकहोम संधि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी संधि है जो 2001 में हस्ताक्षरित हुई तथा मई 2004 से लागू हुई। यह संधि स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के उत्पादन एवं प्रयोग को प्रतिबद्ध या समाप्त करने पर बल देती है। बेसल संधि घातक अपशिष्टों के उत्पादन को कम करना तथा घातक अपशिष्टों का पर्यावरण मैत्रीपूर्ण तरीकों से निष्पादन को बढ़ावा देना चाहे निष्पादन का स्थान कोई भी हो। इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में जिसे पनामा का नया राष्ट्रपति चुना गया है।

-लॉरेंटिनो कोर्टिजो

2. हाल ही में कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में जिस भारतीय न्यायाधीश को शामिल किया गया।

-जस्टिस (रिटायर्ड) के.एस.राधाकृष्णन

3. हाल ही में अमेरिका ने जिस देश पर लोहा और स्टील सहित चार धातुओं का निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

-ईरान

4. हाल ही में जिस देश को अंतर-सरकारी मंच आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक चुना गया है।

-भारत

5. वह देश जहां जी-7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जायेगा।

-फ्रांस

6. हाल ही में जिस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य का एडवोकेट नियुक्त किया गया है।

-दिया मिर्जा

7. वह तिथि जब प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है।

-8 मई

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. भारत–वियतनाम संबंध

- हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने वियतनाम की अपनी चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण से पूर्व, वियतनाम के प्रधानमंत्री श्री गुयेन जुआन फुक के साथ कई मुद्दों पर वार्तालाप किया।
- वार्ता के दौरान, उच्च स्तरीय संबंधों को और मजबूत बनाते हुए क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के महत्त्व पर जोर दिया गया।
- अपनी वार्ता के दौरान उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने जोर देते हुए कहा कि बौद्ध और हिंदू धर्म के बंधनों से भारत और वियतनाम के बीच सौहार्द्रपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत हुए हैं।
- विभिन्न क्षेत्रों में दो राष्ट्रों के बीच बढ़ते सहयोग का उल्लेख करते हुए श्री नायडू ने वियतनाम के प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि उपग्रह और गैर-नागरिक उपयोग दोनों के लिए भारत उपग्रह निर्माण में वियतनाम के साथ साझेदारी के लिए तैयार है।
- उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वियतनाम की आवश्यकता के अनुसार भारत, वियतनाम के रक्षा बलों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए भी प्रतिबद्ध है।
- द्विपक्षीय व्यापार पर, उपराष्ट्रपति ने 2020 तक 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने का विश्वास जताया।
- भारतीय कंपनियाँ नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण, बुनियादी ढाँचे, कृषि, कृषि उत्पाद, कपड़ा, फार्मा और तेल और गैस जैसे उभरते क्षेत्रों में वियतनाम में निवेश करने को उत्सुक हैं।
- वियतनाम में भारतीय फार्मास्युटिकल उत्पादों के प्रवेश की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री से अपील करते हुए उपराष्ट्रपति ने उन्हें आश्वासन दिया कि भारतीय कंपनियाँ वियतनाम में सस्ती कीमत पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उच्च तकनीकी से युक्त स्वास्थ्य प्रणाली और दवाएँ प्रदान कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि इससे स्वास्थ्य सेवाएँ सस्ती होंगी और वियतनाम सरकार पर बीमा का बोझ कम होगा।
- वियतनाम में तेल और गैस अन्वेषण के संदर्भ में उपराष्ट्रपति ने ओवीएल (ओएनजीसी विदेश लिमिटेड)के अनुबंध को 10 वर्ष और बढ़ाने की अपील की, जो 2023 को समाप्त हो रहा है।
- ज्ञातव्य है कि ओवीएल ने अन्वेषण और खोज में 530 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है। वियतनाम में तेल और गैस की और संभावना को देखते हुए भारत लगभग 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त निवेश कर सकता है। इसके अलावा भारत पेट्रो वियतनाम के साथ साझा उत्पादन अनुबंध में भी दो वर्ष का विस्तार चाहता है।
- उपराष्ट्रपति ने 2020-21 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सदस्यता हेतु वियतनाम के लिए भारत के समर्थन की प्रतिबद्धता को भी दोहराया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए वियतनाम को धन्यवाद दिया।

2. विकासशील देशों की डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक

- हाल ही में विकासशील देशों की डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। भारत ने इस बैठक की मेजबानी की।
- डब्ल्यूटीओ के डी.जी. और 16 विकासशील देश व 6 अल्प विकसित देश- (अर्जेंटीना, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेनिन, ब्राजील, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक (सीएआर), चाड, चीन, मिस्र, ग्वाटेमाला, गुयाना, इंडोनेशिया, जमैका, कजाकिस्तान, मलावी, मलेशिया, नाइजीरिया, ओमान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, युगांडा) ने इस बैठक में भाग लिया है।

- बैठक ऐसे समय में आयोजित की गई है, जब बहुपक्षीय नियम आधारित व्यापार प्रणाली कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है।
- सदस्यगण एकपक्षीय उपाय/निर्णय ले रहे हैं और इसके जवाब में अन्य उपाय किये जा रहे हैं।
- परिणामस्वरूप परस्पर बातचीत के कई क्षेत्रों में बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं। अपीलीय निकाय में भी गतिरोध हैं।
- इससे डब्ल्यूटीओ के विवाद समझौता प्रक्रिया के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। इससे एक प्रभावी बहुपक्षीय संगठन के रूप में डब्ल्यूटीओ भी प्रभावित हो रहा है।
- नई दिल्ली में सम्पन्न हुई बैठक मे विकासशील देशों तथा अल्प विकसित देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है, ताकि वे विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकें, जो डब्ल्यूटीओ को प्रभावित कर रही हैं।
- इस दो दिवसीय बैठक ने विकासशील देशों तथा अल्प विकसित देशों को एक अवसर प्रदान किया है कि वे डब्ल्यूटीओ सुधारों के लिए आपसी सहमति बना सकें तथा डब्ल्यूटीओ की बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों को संरक्षित रख सकें।
- इसके अलावा विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श से एक नई दिशा मिलेगी। 12वाँ डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जून 2020 में कजाकिस्तान में आयोजित होगा।

3. जीडीपी आकलन

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने हाल ही में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 74वें चक्र के अन्तर्गत अंतिम रूप दिए गए भारत के सेवा क्षेत्र उद्यमों की तकनीकी रिपोर्ट जारी की है।
- एनएसएसओ रिपोर्ट की 38.7 प्रतिशत सर्वेक्षण से बाहर के उद्यमों में 21.4 प्रतिशत ऐसे उद्यम शामिल हैं,जो कवरेज से बाहर हैं।
- कवरेज से बाहर उद्यम साधारण तौर पर ऐसे उद्यम हैं, जो ऐसे कार्यकलाप नहीं करते हैं, जिन्हें सेवा क्षेत्र सर्वेक्षण में शामिल किया जा सके, हालाँकि ये उद्यम कुछ आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं- उदाहरण के लिए विनिर्माण क्षेत्र में। परिणामस्वरूप देश के जीडीपी आकलन के लिए इन उद्यमों को कवरेज से बाहर के उद्यम नहीं माना जा सकता।
- शेष 17.3 सर्वेक्षण-से-बाहर उद्यमों के संदर्भ में ऐसी इकाइयाँ जो जीडीपी आकलन के लिए एमसीए डेटाबेस का हिस्सा नहीं हैं (मात्र 0.9 प्रतिशत हैं)। शेष 16.4 प्रतिशत उद्यम या तो बंद हो चुके हैं या उनका कोई अता-पता नहीं है।
- 2012-13 से 2016-17 तक ऐसे उद्यमों की संख्या, जिनका सकल घरेलू उत्पाद आकलन के लिए वार्षिक रिटर्न उपलब्ध नहीं था, उनकी प्रदत्त पूंजी एमसीए डेटाबेस में सभी उद्यमों की प्रदत्त पूंजी की केवल 12-15 प्रतिशत थी।
- उत्तरदायी उद्यमों के अनुमानित जीवीए अनुमान में पूरे निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के जीवीए की तुलना में केवल 1.13 से 1.17 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई।
- अधिकांश गैर-उत्तरदायी उद्यमों ने अपना डाटा उपलब्ध नहीं कराया है। उन्होंने अनुवर्ती वर्षों में रिटर्न फाइल के लिए अपने विवेक का उपयोग किया है। उनके पहले दर्ज रिटर्न में उनकी गतिविधियाँ जारी हैं।
- निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए एमसीए डेटा बेस जीडीपी के आकलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग देश में आर्थिक गतिविधियों का अधिक सही माप उपलब्ध कराता है।

4. डब्ल्यूसीओ एवं एशिया प्रशांत क्षेत्र

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 8 से 10 मई, 2019 तक कोच्चि में विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) के एशिया प्रशांत क्षेत्र के सीमा शुल्क प्रशासन के क्षेत्रीय प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया।
- भारत ने इस सम्मेलन के आयोजन की मेजबानी डब्ल्यूसीओ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष की हैसियत से की। भारत ने यह पदभार 1 जुलाई, 2018 को दो साल की अवधि के लिए संभाला है।
- इस तीन दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री प्रणव कुमार दास ने की।
- इस सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श के अलावा उपाध्यक्ष आरओसीबी और आरआईएलओ के कार्यक्रमों, सुरक्षा से संबंधित मुद्दों, व्यापार सुविधा, ई-कॉमर्स, कार्य प्रदर्शन की माप, विश्वसनीय व्यापारी कार्यक्रम और व्यापार सुविधा तथा सीमा शुल्क प्रशासनों के क्षेत्र में उभरती हुई प्रौद्योगिकी और तार्किक चुनौतियों के बारे में विचार-विमर्श किया गया।
- सीमा शुल्क और व्यापार के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण के महत्त्व को मान्यता देते हुए, सीमा शुल्क के क्षेत्रीय प्रमुखों के सम्मेलन के अग्रदूत के रूप में 7 मई, 2019 को व्यापार दिवस का भी आयोजन किया गया।

5. भारतीय नौसेना और जापान, फिलीपींस एवं अमेरिकी नौसेना

- भारतीय नौसेना के जहाज कोलकाता और शक्ति ने दक्षिण चीन सागर में जापान, फिलीपींस और अमेरिका के नौसेना-जहाजों के साथ समूह यात्रा की।

- इस समूह यात्रा में शामिल जहाज थे- भारत के मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोलकाता और बेड़े को सहायता पहुंचाने वाला जहाज आईएनएस शक्ति; जापान के हेलीकॉप्टर कैरियर जेएमएसडीएफ ईजूमो और मिसाइल विध्वंसक जेएमएसडीएफ मुरासेम; फिलीपींस का फ्रिगेट बीआरपी आंद्रेस बोनिफेसियो और अमेरिका का अरलेग बर्क श्रेणी का विध्वंसक यूएसएस विलियम पी. लॉरेंस।
- इस समूह यात्रा का उद्देश्य सहयोगी देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना तथा आपसी समझ को बेहतर करना था।
- दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में सफल तैनाती के बाद भारतीय जहाजों ने इस्टर्न फ्लीट ओवरसीज डेप्लायमेंट के तहत चीन के कैम रनह वे, वियतनाम, किंगडाउ और दक्षिण कोरिया के बुसान की यात्राएँ की।
- किंगडाउ में दोनों जहाजों ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (आईएफआर) में भाग लिया। यह कार्यक्रम पीएलए (नेवी) की 70वीं वर्षगाँठ समारोह का हिस्सा था।
- बुसान की यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना के जहाजों ने एडीएमएम-प्लस के तत्वावधान में आयोजित मैरिटाइम सिक्योरिटी के उद्घाटन समारोह तथा फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज में भाग लिया।
- चरण-2 की समाप्ति के बाद कोलकाता तथा शक्ति समेत सभी भाग लेने वाले जहाज एडीएमएम-प्लस एमएस के समापन समारोह में भाग लेंगे और सिंगापुर में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल मैरिटाइम डिफेंस एक्सपो 2019 कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे।

6. जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर सीईओ फोरम

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु परिवर्तन के बारे में एक भारतीय सीईओ फोरम का आयोजन किया गया।
- सरकार की इस अग्रणी पहल का उद्योग के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने और भारत की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के संबंध में सहयोग के अवसरों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए आयोजन किया गया।
- इस फोरम में 23 सितंबर, 2019 को न्यूयार्क में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जलवायु शिखर सम्मेलन के बारे में भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के विषयों को शामिल करते हुए अनेक सत्रों में उच्च स्तरीय चर्चाएं शामिल की गई हैं।
- इन सत्रों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के बारे में निजी क्षेत्र की कार्यवाई पर व्यवसायों से विचार-विमर्श के साथ-साथ कम कार्बन गति के लिए भविष्य के दृष्टिकोणों के बारे में विचार-विमर्श किया।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि इस फोरम को जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के बारे में औपचारिक रूप से सरकार और व्यवसाय जगत को एक कार्य प्रणाली का सृजन करने के लिए गठित किया गया है, ताकि उद्योग और सरकार के रुख के बारे में कोई अलगाव न हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक साझा आवाज उठाई जा सके।
- इस फोरम से सरकार को जलवायु परिवर्तन के बारे में भाषा आधारित वर्णन करने के बारे में मदद मिलेगी।
- यह फोरम जलवायु परिवर्तन के बारे में उद्योग जगत के दिग्गजों के समक्ष सरकार का दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट रूप से रखने में सफल रहा।
- पहली बार इसके बारे में उद्योग के विचारों को आमंत्रित किया गया तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा चलाई जा रही जलवायु पहलों के बारे में भी उनकी राय मांगी गई।

7. स्कॉर्पिन वर्ग में चौथी पनडुब्बी वेला

- भारतीय नौसेना के लिए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा तैयार की जा रही स्कॉर्पिन वर्ग की चौथी पनडुब्बी वेला को लॉन्च किया गया है।
- मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इस पनडुब्बी का निर्माण मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है जिसे रक्षा उत्पाद विभाग सक्रियता से लागू कर रहा है।
- स्कॉर्पिन वर्ग की छह पनडुब्बियों के निर्माण और तकनीक हस्तांतरण के लिए फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप को सहयोगी कंपनी के रूप में ठेका दिया गया है
- 20 अप्रैल, 2019 को पी15 बी डेस्ट्रायर 'इम्फाल' और 6 मई, 2019 को वेला का उद्घाटन इस साल अब तक की एमडीएल की प्रमुख उपलब्धि है।
- अभी एमडीएल में 8 युद्धपोत और 5 पनडुब्बियों का निर्माण कार्य चल रहा है। एमडीएल भारत की प्रमुख जहाज निर्माण कंपनी है जो भारतीय नौसेना की जरूरतों को पूरा करती है।
- स्कॉर्पिन वर्ग की पनडुब्बियाँ किसी आधुनिक पनडुब्बी के सभी कार्य करने में सक्षम हैं, जिसमें एंटी-सर्फेस और एंटी-सबमरीन युद्ध शामिल हैं।

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. सिंधु घाटी सभ्यता (2600 से 1700 ई.पू.)

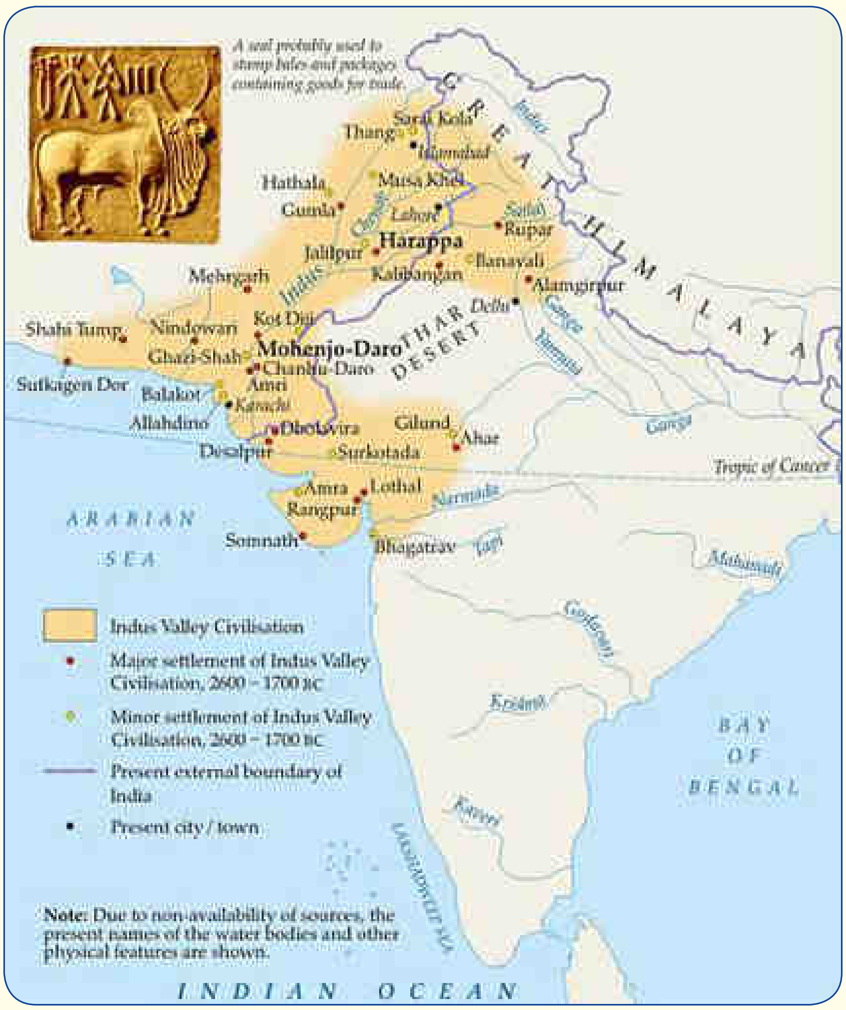

महत्वपूर्ण तथ्य

- हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो उच्चकोटि के नगर निवेश का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनका विधान दुर्ग के रूप में किया गया है जिनमें परिखा, प्राकार, द्वार, अट्टालक (बुर्ज), राजमार्ग, प्रासाद, कोष्ठागार, सभा, जलाशय आदि वास्तु के सभी तत्व प्राप्त होते हैं।
- इन नगरों की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में दो टीले मिलते हैं। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। नगरों के दुर्ग ऊँची और चौड़ी प्राचीरों (सुरक्षा भित्ति) से घिरे थे। प्राचीरों में बुर्ज तथा मुख्य दिशाओं में द्वार (गोपुरम्) बनाये गये थे।
- बृहद्स्नानागार मोहनजोदड़ों का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है जो उत्तर से दक्षिण में 180 फीट (54.86 मीटर) तथा पूर्व से पश्चिम में 108 फीट (लगभग 33 मीटर) तक फैला है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुण्ड या जलाशय बना है। यह 39 फीट (11.89 मीटर) लम्बा, 23 फीट (7.01 मीटर) चौड़ा तथा 8 फीट (2.44 मीटर) गहरा है।
- अन्नागार स्नानागार के पश्चिम में 1.52 मीटर ऊँचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला है जो पूर्व से पश्चिम में 45.72 मीटर लम्बा तथा उत्तर से दक्षिण में 22.86 मीटर चौड़ा है। इसका ऊपरी ढांचा जो शायद बांस का बना था, अब नष्ट हो गया है। इसे ह्वीलर ने अन्नागार (Granary) बताया है।

- मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थीं। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा है। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 मीटर से लेकर 3.66 मीटर तक थी।
- नालियों की विस्तृत व्यवस्था सैंधव सभ्यता की अद्भुत विशेषता है जो किसी अन्य समकालीन नगर में नहीं प्राप्त होती।
- हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली स्थल का उत्खनन 1973-74 में आर. एस. विष्ट द्वारा करवाया गया। यहाँ से संस्कृत के तीन स्तर-प्राक् सैंधव, विकसित सैंधव तथा उत्तर सैंधव प्रकाश में आये हैं।
- पंजाब प्रान्त में सतलज नदी के बायें तट पर स्थित रोपड़ से इस सभ्यता के लगभग सभी पुरावशेष-मृद्भाण्ड, सेलखड़ी की मुहर, तीन विभिन्न प्रकार की मुहरों से अंकित ठप्पे, चर्ट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के वाणाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया है।
- कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्घर नदी के बायें किनारे पर स्थित है जो सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसके निचले स्तरों से प्राक् सैन्धव सभ्यता के अवशेष मिले हैं।

2. 6ठीं शताब्दी ई.पू. में भारतवर्ष

महत्वपूर्ण तथ्य

- बौद्ध ग्रन्थ अंगुत्तरनिकाय से ज्ञात होता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के उदय के पूर्व समस्त उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 'सोलह महाजनपद' कहा गया है।
- इन महाजनपदों में से हैं- काशी, कोशल, अंग, मगध, वज्जि, मल्ल, चेदि या चेति, वत्स, कुरु, पञ्चाल, मत्स्य (मच्छ), शूरसेन, अश्मक, अवन्ति, गन्धार और कम्बोज।
- यह स्पष्ट है कि दलदली इलाके में बसने की समस्या के बावजूद ई.पू. 600 के सभी प्रसिद्ध नगर गंगा-यमुना नदियों के आस-पास ही बस गए।
- बुद्धकाल के कुछ गणराज्य अत्यन्त शक्तिशाली एवं सुव्यवस्थित थे। इन राज्यों ने अपने समकालीन राजतंत्रों का कड़ा प्रतिरोध किया था। देशभक्ति तथा स्वाधीनता की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी हुई थी, किन्तु वे राजतंत्रों के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सके, अन्ततोगत्वा उनका पतन हुआ।
- गणराज्यों के विनाश का सबसे बड़ा कारण उसके शासन में उच्चपदों का आनुवंशिक होना था। चूँकि प्राचीन ग्रन्थों में सर्वत्र राजतंत्र की ही प्रशंसा की गयी थी तथा राजा का पद दैवीय माना गया था, अतः गणराज्यों ने सुशासन एवं सुरक्षा की दृष्टि से राजतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाना लाभकर समझा।

3. अशोक का साम्राज्य

महत्वपूर्ण तथ्य

- बिन्दुसार की मृत्यु के पश्चात् उसका सुयोग्य पुत्र अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा।
- अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवन्ति (उज्जयिनी) का उपराजा (वायसराय) था।
- सिंहली अनुश्रुतियों से पता चलता है कि उसने अपने 99 भाईयों की हत्या कर राजसिंहासन प्राप्त किया।
- अशोक के अभिलेखों के आधार पर हम निश्चित रूप से उसकी साम्राज्य सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम में दो स्थानों से उसके शिलालेख प्राप्त हुए हैं- (1) पेशावर जिले में स्थित शाहबाजगढ़ी तथा (2) हजारा जिले में स्थित मानसेहरा।
- चीनी यात्री ह्वेनसांग कपिशा में अशोक के स्तूप का उल्लेख करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान का एक बड़ा भाग सम्मिलित था।
- कश्मीरी कवि कल्हण की राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसका कश्मीर पर भी अधिकार था। इसके अनुसार उसने वहाँ धर्मारिणी विहार में अशोकेश्वर नामक मन्दिर की स्थापना करवायी थी।
- कल्हण अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताता है। उसके साम्राज्य की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत तक जाती थी। इस प्रकार अशोक का साम्राज्य अपने समय के विशालतम साम्राज्यों में से एक था।

4. 150वीं ई. में भारत

महत्वपूर्ण तथ्य

- 150वीं ई. के भारत के प्रमुख वंश कुषाण, पश्चिमी क्षत्रप तथा सातवाहन थे।
- कुषाण शासकों में विम कडफिसेस ने ही सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के प्रचलित करवाये थे।
- कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रमुख शासक था। कनिष्क तथा उनके उत्तराधिकारियों का इतिहास हमें मुख्य रूप से तिब्बती बौद्ध स्रोतों, संस्कृत बौद्ध ग्रन्थों के चीनी अनुवाद तथा चीनी यात्रियों- फाहियान तथा ह्वेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है।
- पश्चिमी भारत में दो शक वंशों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं– 1. महाराष्ट्र का क्षहरात वंश तथा 2. कार्दमक वंश अथवा सुराष्ट्र और मालवा के शक-क्षत्रप।
- क्षहरात वंश ने संपूर्ण महाराष्ट्र, लाट तथा सुराष्ट्र प्रदेश पर शासन किया। क्षहरात वंश का पहला राजा भूमक था।
- क्षहरातों के पश्चात् सुराष्ट्र तथा मालवा में शकों के एक दूसरे कुल ने शासन किया जिसे कार्दमक वंश के नाम से जाना जाता है।
- सातवाहन साम्राज्य के अन्तर्गत समस्त दक्षिणपथ सम्मिलित था और उत्तर भारत में सम्भवतः मगध तक उसका विस्तार था।
- सातवाहन वंश के इतिहास का अध्ययन हम साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातत्व, इन तीनों की सहायता से करते हैं।

5. गुप्त साम्राज्य

महत्वपूर्ण तथ्य

- गुप्त राजवंश का इतिहास हमें साहित्यिक तथा पुरातात्विक दोनों ही प्रमाणों से ज्ञात होता है। साहित्यिक साधनों में पुराण सर्वप्रथम हैं।
- गुप्तकालीन अभिलेखों में सर्वप्रथम समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख का उल्लेख किया जा सकता है।
- कुमारगुप्त प्रथम के समय के लेख उत्तरी बंगाल से मिलते हैं जो इस बात का सूचक है कि इस समय तक सम्पूर्ण बंगाल का भाग गुप्तों के अधिकार में आ गया था।
- स्कन्दगुप्त के भितरी स्तम्भ-लेख से हूण आक्रमण की सूचना मिलती है।
- गुप्तवंशी राजाओं के अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये स्वर्ण, रजत तथा ताँबे के हैं। स्वर्ण सिक्कों को 'दीनार', रजत सिक्कों को 'रुपक या रुप्यक तथा ताम्र सिक्कों को 'माषक' कहा जाता था।
- गुप्तकाल के अनेक मंदिर, स्तम्भ, मूर्तियाँ एवं चैत्य गृह (गुहा मंदिर) प्राप्त हुए हैं जिनसे तत्कालीन कला तथा स्थापत्य की उत्कृष्टता का पता चलता है।
- गुप्तकाल के प्रारंभिक दिनों में गुप्त साम्राज्य के केंद्रीय प्रांतों में किसी भी सामंत को सम्राट की अनुमति के बिना स्वयं भूमिदान देने का अधिकार नहीं था।

6. हर्षवर्द्धन का साम्राज्य

महत्वपूर्ण तथ्य

- गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात् उत्तर भारत में जिस राजनीतिक विकेंद्रीकरण के युग का प्रारम्भ हुआ, हर्षवर्द्धन के राज्यारोहण के साथ ही उसकी समाप्ति भी हुई।
- हर्षवर्द्धन का जन्म 591 ईस्वी के लगभग हुआ। वह परमभट्टारक महाराजाधिराज प्रभाकरवर्द्धन का कनिष्ठ पुत्र था तथा उसकी माता का नाम यशोमती था।
- दरबारी कवि बाण हर्ष के जन्म की घटना को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व देते हैं।
- हर्ष की विजय इतनी संदिग्ध है कि उनके आधार पर उसकी साम्राज्य सीमा का निर्धारण करना एक जटिल समस्या है। कुछ विद्वान हर्ष का चित्रण उत्तर भारत के एकच्छत्र चक्रवर्ती शासक के रूप में करते हैं, जिसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विन्ध्यपर्वत तक तथा पूर्व में कामरूप से लेकर पश्चिम में सुराष्ट्र तक विशाल भू-खण्ड सम्मिलित था।
- हर्ष के साम्राज्य में प्रायः सम्पूर्ण उत्तर भारत सम्मिलित था। यह उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तथा विन्ध्य पर्वत तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र से पश्चिम सुराष्ट्र एवं काठियावाड़ तक विस्तृत था।
- हर्ष के सम्पूर्ण शासनकाल तक नर्मदा एवं विन्ध्य पर्वत-श्रेणियाँ ही साम्राज्य की वास्तविक दक्षिणी सीमा बनी रही।

7. 9वीं शताब्दी के दौरान भारत

महत्वपूर्ण तथ्य

- हर्षवर्द्धन की मृत्यु के पश्चात् बारहवीं शताब्दी ईस्वीं तक का काल उत्तर भारत के इतिहास में सामान्यतः 'राजपूत-काल' के नाम से जाना जाता है।
- अग्निकुल के चार राजपूत वंश- प्रतिहार, परमार, चौहान तथा सोलंकी थे, जो विदेशी जाति से उत्पन्न हुए थे। चौहान तथा गुहिलोत जैसे कुछ वंश विदेशी जातियों के पुरोहित थे।
- गुर्जर-प्रतिहार वंश के लोग 'खजर' नामक जाति की सन्तान थे, जो हूणों के साथ भारत आयी थीं। पुराणों में हैहय नामक राजपूत जाति का उल्लेख शक, यवन आदि विदेशी जातियों के साथ किया गया है।
- चन्देल सेनापति आल्हा तथा ऊदल बनाफर क्षत्रिय वंश के थे जो कुषाणों से संबंधित थे।
- ऐसा प्रतीत होता है कि इन विदेशी जातियों को शुद्धीकरण द्वारा भारतीय समाज में सम्मिलित करने के उद्देश्य से ही पृथ्वीराजरासो मे अग्निकुण्ड द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति बताई गयी है।
- अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर-प्रतिहार कहा जाता है।
- प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात् कन्नौज तथा बनारस में जिस राजवंश का शासन स्थापित हुआ उसे गहड़वाल वंश कहा जाता है। इस वंश की उत्पत्ति के विषय में कोई निश्चित सूचना किसी भी साक्ष्य में नहीं मिलती है।

DSC
DHYEYA SCHOOL OF COMPETITIONS

A unit of ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Comprehensive UPPCS Prelims Test Series Programme 2019

[ONLINE MODE]

Date	Test	Paper
19 MAY	Test-1- (9:30 am to 11:30 am)	सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
2 JUNE	Test-2 - (9:30 am to 11:30 am)	सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
16 JUNE	Test-3- (9:30 am to 11:30 am)	सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
30 JUNE	Test-4 - (9:30 am to 11:30 am)	सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
14 JULY	Test-5- (9:30 am to 11:30 am)	सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
	Test-6- (12:00 noon to 2:00 am)	सामान्य अध्ययन-II/General Studies-II
21 JULY	Test-7- (9:30 am to 11:30 am)	सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
28 JULY	Test-8- (9:30 am to 11:30 am)	सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
4 AUG.	Test-9 - (9:30 am to 11:30 am)	सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
11 AUG.	Test-10- (9:30 am to 11:30 am)	सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
18 AUG.	Test-11- (9:30 am to 11:30 am)	सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
	Test-12- (12:00 noon to 2:00 am)	सामान्य अध्ययन-II/General Studies-II
25 AUG.	Test-13- (9:30 am to 11:30 am)	सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
01 SEP.	Test-14- (9:30 am to 11:30 am)	सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
08 SEP.	Test-15 - (9:30 am to 11:30 am)	सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
15 SEP.	Test-16- (9:30 am to 11:30 am)	सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
22 SEP.	Test-17- (9:30 am to 11:30 am)	सामान्य अध्ययन-I/General Studies-I
	Test-18- (12:00 noon to 2:00 am)	सामान्य अध्ययन-II/General Studies-II

Starts from- **19 MAY 2019**

Ph.: 01149274400

Registration Open

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR – PATNA, **CHANDIGARH, DELHI & NCR** – FARIDABAD, **GUJRAT** – AHMEDABAD, **HARYANA** – HISAR, KURUKSHETRA , **MADHYA PRADESH** – GWALIOR , JABALPUR , REWA , **MAHARASHTRA** – MUMBAI, **PUNJAB** – JALANDHAR, PATIALA, LUDHIANA, **RAJASTHAN** – JODHPUR, **UTTARAKHAND** – HALDWANI, **UTTAR PRADESH** – ALIGARH, AZAMGARH, BAHRAICH, BARELLY, GORAKHPUR, KANPUR, LUCKNOW (ALAMBAGH , LUCKNOW (GOMTI NAGAR), MORADABAD, VARANASI

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9205336069 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400